षोडश माला, खंड 4, अंक 26

बुधवार, 13 अगस्त, 2014

22 श्रावण, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 04 में अंक 20 से 27 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 2014 / 1936 (शक)

अंक 26, बुधवार, 13 अगस्त, 2014 / 22 श्रावण, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
निधन संबंधी उल्लेख	16
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1*]तारांकित प्रश्न संख्या 501 से 505	25-53
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 506 से 520	54
अतारांकित प्रश्न संख्या 4880 से 5109	54

[1*] किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 55-67

राज्य सभा से संदेश 68

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 251वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. जितेन्द्र सिंह 69

उपाध्यक्ष महोदय का निर्वाचन 71-75

उपाध्यक्ष को बधाई 76

श्री नरेन्द्र मोदी 76

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे 76-77

डॉ. पी. वेणुगोपाल 77-78

श्री सुदीप बंदोपाध्याय 78-79

श्री भर्तृहरि महताब 79

श्री अनन्त गंगाराम गीते 80

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	80-81
श्री पी. करूणाकरन	81
श्री मुलायम सिंह यादव	82
श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती)	82
श्री रामविलास पासवान	83
श्री तारिक अनवर	83
श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी	84
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	84
श्री भगवंत मान	84
श्री राजेश रंजन	85
श्री दुष्यंत चौटाला	85
श्री उपेन्द्र कुशवाहा	85-86
श्री तारिक हमीद कर्रा	86-87
श्री कौशलेन्द्र कुमार	87
श्रीमती अनुप्रिया पटेल	87

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 88

डॉ. अंबुमणि रामादोस 88-89

श्री आर. राधाकृष्णन 89

श्री एच.डी. देवगौडा 89

श्री सी.एन. जयदेवन 90

श्री जोस के. मणि 90

माननीय अध्यक्ष 90-91

माननीय उपाध्यक्ष 91-95

नियम 377 के अधीन मामले 96-115

(एक) विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए सामुदायिक भवनों तथा रैन बसेरों का प्रावधान करने तथा ऐसी महिलाओं को अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करके कमाने में उनकी मदद करने के लिए उन्हें कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रेखा वर्मा 96

(दो) मध्य प्रदेश के भिंड में एक सैनिक स्कूल खोले जाने के साथ-साथ भिंड और दतिया में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

डॉ. भागीरथ प्रसाद 97

(तीन) बलिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सुरहा ताल (तालाब) को एक वाटर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह 98

(चार) मिश्रिख संसदीय निर्वचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों को रोकने के लिए वहाँ गंगा नदी पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अंजू बाला 99

(पांच) राजस्थान के नागौर में समपार संख्या सी-61 पर रेल उपरिपुल क निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. आर. चौधरी 100

(छह) राजस्थान के जयपुर में एकल चरण में अनारक्षित वन भूमि के लिये स्वीकृति दिए जाने तथा वहां पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री चाँद नाथ 101

(सात) कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाने तथा कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विनोद कुमार सोनकर 102-103

(आठ) राजस्थान के सभी प्रमुख नगरों में सी.एन.जी. स्टेशन खोले जाने की आवश्यकता

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 104

(नौ) राजस्थान के राजसमंद जिले में निर्माणाधीन चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के महत्वपूर्ण स्थानों पर उपरि पुलों तथा अंडर ब्रिजों के निर्माण को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ 105

(दस) बिहार में सामान्य और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों जिन्होंने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा जिनके पास अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए बी.एड. की डिग्री नहीं है, को छूट देने की आवश्यकता

डॉ. संजय जायसवाल 106

(ग्यारह) घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की घटती कीमतों को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एन्टोनी 107

(बारह) वाहनों में सन कंट्रोल फिल्मों के उपयोग की अनुमति देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

प्रो. के.वी. थोमस 108-109

(तेरह) वर्तमान वित्तीय वर्ष में तमिलनाडु में एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती वी. सत्यबामा 110

(चौदह) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बांसबेरिया में एक रेलवे हॉल्ट स्टेशन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे (नाग) 111

(पंद्रह) पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंदोपाध्याय 112

(सोलह) नौपाड़ा (आंध्र प्रदेश) से गुनुपुर (ओडिशा) रेल लाइन के आमान परिवर्तन को बढ़ाकर थेरुबली तक किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सिद्धांत महापात्रा 113

(सत्रह) निर्धारित शर्तों के अनुसार जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जे.एल.एन.पी.टी.) द्वारा नहवा और शेवा गांवों के विकास के लिए भूमि आबंटित किए जाने और जे.एल.एन.पी.टी. को जाने वाली सड़क पर यातायात व्यवस्था सुचारू किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 114

(अठारह) आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पिदूगुरल्ला शहर में एक नए ई.एस.आई. अस्पताल को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रायपति सम्बसिवा राव 115-116

(उन्नीस) विशेषकर बिहार के नालंदा जिले में मौसम सांख्यिकी पर आधारित फसल बीमा योजना को बंद किए जाने तथा वहां राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 117

(बीस) महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी 118

संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014

(नए अनुच्छेद 124क, 124ख और 124ग का अंतःस्थापन)

तथा

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 119-241

श्री रविशंकर प्रसाद 119

संविधान संशोधन विधेयक 120

खंड 2 से 10 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक

खंड 2 से 14 और 1 239-240

पारित करने के लिए प्रस्ताव 241

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 258

आवासीय कॉलोनियों और रिक्त रक्षा भूमि के विकास कार्य कराने हेतु रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता

258

डॉ. किरिट सोमैया 258

श्री अरुण जेटली 258-267

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

268-338

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे 268-281,

305-307

श्री योगी आदित्यनाथ 282-286,

287-290

श्री जे.जे.टी. नटर्जी 291-292

श्री सुदीप बंदोपाध्याय 293-301

श्री तथागत सत्पथी 302

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती)	303-305
श्री मोहम्मद सलीम	306-311
श्री तारिक अनवर	312-314
श्री राजेश रंजन	314-319
सुश्री महबूबा मुफ्ती	320-328
श्री असादुद्दीन ओवैसी	329-331
श्री गजानन कीर्तिकर	332-333
श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी	334-335
श्री बदरुद्दीन अजमल	336-338

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

प्रो. के.वी. थोमस

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

महासचिव

श्री पी.के. ग्रोवर

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 13 अगस्त, 2014 / 22 श्रावण, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन* हुईं]

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के पूर्व सदस्य श्री रेशम लाल जांगड़े का दिनांक 11 अगस्त, 2014 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में 89 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया है।

आपने पहली, दूसरी और नौवीं लोक सभा में मध्य प्रदेश के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, जो अब छत्तीसगढ़ में है, का प्रतिनिधित्व किया। वे अनंतिम संसद के सदस्य भी थे। एक सुयोग्य संसदविद् श्री जांगड़े ने कई संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री जांगड़े वर्ष 1962 से 1967, 1972 से 1977 और 1985 से 1989 तक तीन बार मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने 1963 में मध्य प्रदेश सरकार में उपमंत्री जी के रूप में भी कार्य किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री जांगड़े ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। उन्होंने सामाजिक समरसता और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए सतत् प्रयास किए।

हम श्री रेशम लाल जांगड़े के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोकसंतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करते हैं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ पल के लिए मौन धारण करेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.01 ½ बजे</u>

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

... (व्यवधान)

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, रात-भर 200 बच्चों को ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका एडजर्नमेंट मोशन है, वह मैंने एक्सैप्ट नहीं किया है। आप प्लीज़ बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : अध्यक्ष महोदया, मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूँ। ...(व्यवधान) मैं सिर्फ एक मिनट में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : महोदया, बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उस पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्नकाल में नहीं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ आप अपनी जगह पर जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ...[2*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : नहीं तो मैं आपको किसी प्रश्न के लिए अलाउ नहीं करुंगी। मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

[2*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, मैं एक अत्यावश्यक महत्व के विषय अर्थात सांप्रदायिक दंगों/हिंसा और ध्रुवीकरण की बढ़ती घटनाओं, जो देश के विभिन्न भागों में लोगों के जीवन और सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं, पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही स्थगित करने हेतु प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगने के अपने इरादे की सूचना देता हूं।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, क्वेश्चन ऑवर में सस्पेंशन नहीं होता है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, ये नोटिस हमने पहले दिए थे। आपने उनको चर्चा के लिए रखा है। ...(व्यवधान) हम 15 दिन से कंटीन्युअसली इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए दो बार तो आपसे भी मिले। लेकिन कालिंग अटेंशंस, दूसरे अन्य विषय, बिल्स, ये सब आने की वजह से इसको जो महत्व देना चाहिए था, वह महत्व नहीं मिल रहा है। 15 दिन से हम इस विषय को उठा रहे हैं। अगर आप रूल्स के मुताबिक भी परमिट नहीं करेंगी तो हमें किस जगह जाकर यह बात बोलनी चाहिए, क्या सिर्फ प्रेस कान्फ्रेंस में बोलना चाहिए या आउट साइड में बोलना चाहिए?

माननीय अध्यक्ष : यह क्या बात है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक तो जो सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन ऑवर की नोटिस है, वह स्वीकार नहीं हुई है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो फिर चिल्लाते रहिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: वह कुछ कह रहे हैं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री, **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री** (**श्री एम. वैंकैय्या नायडू) :** महोदया, यह महत्वपूर्ण विषय है।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, पहले तो मैं भी आपसे एक निवेदन करूँगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैंने उन्हें अनुमति दी है। क्या बात है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने उन्हें अनुमति दी है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, पहली बात तो यह है कि आप इस प्रकार की बात मत करिए, जिससे चेयर की तरफ कोई उंगली उठती हो, मेरा आपसे यह निवेदन है। नियम 193 की चर्चा लगी हुई है, उसमें कभी किसी के लिए ना नहीं की है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह कुछ बोलना चाहें तो सदन को बतायें।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : महोदया, यह महत्वपूर्ण विषय है, इसमें दो राय नहीं है। मगर अभी तक सदन में जो काम चल रहा है, उसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है और उसी शेड्यूल के आधार पर हम चल रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि यह विषय जल्द से जल्द चर्चा में आए। यह कांग्रेस और अन्य पार्टीज की इच्छा भी हो सकती है, मगर जो चर्चा अभी तक चल रही है, उस विषय को समाप्त करके आगे बढ़ना चाहिए।

मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। हम कल एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक के बारे मे चर्चा कर रहे थे। वह चर्चा पूरी होकर मंत्री जी का जवाब चल रहा है। मंत्री जी की तरफ से जवाब पूरा होने दीजिए और उसके बाद वोटिंग होने दीजिए। खड़गे जी, उसके बाद हम आपके साथ बैठकर समाधान निकालेंगे कि आज ही इस विषय पर चर्चा करनी है तो कैसे करें? बाकी जो अभी तक पैन्डिंग बिल्स हैं, जिनकी चर्चा अधूरी रही है, उनका क्या करना है, यह तय करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): कल आप गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक लेंगे। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कृपया, शान्त रहिये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वेंकैया नायडू: मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। श्रीमान सुरेश, आपके नेता यहाँ है। वह सक्षम हैं। वह हम सभी से वरिष्ठ हैं। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए, कल गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक आते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए, तो आज इस कार्य के बाद हम इसे प्राथमिकता पर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब क्वेश्चन ऑवर में कुछ नहीं कहें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मेरी बात भी तो सुनिये।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात तो सुन ली है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, हमारा इशारा आपकी तरफ नहीं है। हम बार-बार आपको रिप्रजेन्ट कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि, इस सदन में अगर हमारी रक्षा कोई कर सकता है तो आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं जरूर करूँगी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसी वजह से हमने आपके सामने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस विषय को उठाया है। मैंने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी अपील की है। आपने कल यह एश्योरेंस भी दिया था कि यह होने वाला है।

माननीय अध्यक्ष : यह होने वाला है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अगर आप आज का एजेंडा देखें तो यह लॉस्ट में है। अगर यह लॉस्ट प्रायोरिटी में है तो फिर इसका डिस्कशन कब होगा, इसका उत्तर कब मिलेगा? आपको मालूम है कि कल तो नॉन ऑफिशियल बिल्स आते हैं। जब नॉन ऑफिशियल बिल्स आते हैं तो ये सारी चीजें पीछे हो जाती हैं, इसलिए मैं आपसे

निवेदन करता हूँ कि आप इसे तुरन्त लीजिए और आप आश्वासन दीजिए। कल भी आपने आश्वासन दिया था, लेकिन किसी वजह से वह पोस्टपोंड हो गया होगा, इसलिए कम से कम आज तो इम्मीडिएटली ऑफ्टर क्वेश्चन ऑवर इसको ले लीजिए। उत्तर वे बाद में भी दे सकते हैं, अट्रासिटी एगेंस्ट दी वुमेन बिल अभी चर्चा में ही है। इसका भी उत्तर बाद में दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप मेरी बात सुनिये। आपने अपनी बात रख दी है, मैंने आपको आश्वासन दिया है और आश्वासन का पालन भी होगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सब लोग मेरी बात सुनिये। ऐसा नहीं होता है। अगर आज इस पर चर्चा शुरू होनी है तो जरूर चर्चा होगी। मैं आपको बता रही हूँ। मगर पहले आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ... [3*]

माननीय अध्यक्ष : जब मैं बोल रही हूँ तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। आज डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी है। बिल पास होने के बाद एक कॉल अटैंशन के बाद तुरंत आपका नियम 193 का डिसकशन लिया जाएगा। मैं इतना ही कह रही हूँ कि आज ही यह शुरू हो जाएगा। मैं आपको इतना आश्वासन दे रही हूँ। यह आज से शुरू होगा। आज जल्दी सब हो जाएगा तो आज ही 4 बजे या 3 बजे लेंगे। अगर सभी काम हो जाता है तो 3 बजे, नहीं तो 4 बजे लेंगे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रही हूँ, हम इसे आज ही शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 501।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी आप क्या कहना चाहते हैं? नियम 193 का विषय लगा हुआ है, वही बाद में लेंगे। मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इनका एडजर्नमैंट मोशन मैंने नहीं लिया है। अभी क्वैश्चन आवर सस्पैंड नहीं होगा।

[3*] कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

<u>**पूर्वाह्न 11.11 बजे**</u>

[4*]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या **501,** कर्नल सोनाराम चौधरी

(प्रश्न संख्या 501)

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी: महोदया, माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया।... (*व्यवधान*) उन्होंने अधिकतर मुद्दों को कवर किया है। लेकिन, 'वन्यजीव आवास के एकीकृत विकास' की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए वसूली कार्यक्रम के संबंध में, उन्होंने संख्या दी है जो 17 है। ... (*व्यवधान*) लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं... (*व्यवधान*) यह बताना चाहूँगा कि यद्यपि माननीय मंत्री जी ने कुछ गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची दी है, फिर भी उन्होंने अन्य चीजों को इसमें शामिल नहीं किया है।... (*व्यवधान*) उन्होंने यह नहीं बताया कि वह इन प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण कैसे करने जा रहे हैं।... (*व्यवधान*) उनके नियंत्रण में कुछ विभाग हैं जैसे भारतीय वन्यजीव संस्थान; केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव नियंत्रण प्राधिकरण।... (*व्यवधान*) वह उनकी रक्षा कैसे करेगा? (*व्यवधान*)

मैं उनके सामने यह तथ्य भी लाना चाहूंगा कि 17 प्रजातियों की सूची में उन्होंने गिद्धों को शामिल नहीं किया है।... (*व्यवधान*) पश्चिमी राजस्थान में उपलब्ध गिद्ध। इसके अलावा, उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी

[4*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

शामिल नहीं किया है जो राजस्थान में उपलब्ध है और कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। यह गुजरात और महाराष्ट्र में भी उपलब्ध है। लेकिन उन्होंने इन बातों का उल्लेख नहीं किया है। (*व्यवधान*)

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने रेगिस्तानी लोमड़ी को शामिल नहीं किया है। यह भी एक संकटापन्न प्रजाति है। मेरा कहना यह है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसे देखना चाहिए। उन्हें यह काम पूरा करना चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये। आप क्या पूछना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी: इसके अलावा, उन्होंने केवल 10 राज्यों के लिए वित्त पोषण किया है। अन्य राज्यों का क्या हुआ?

क्या माननीय मंत्री इस सूची में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिद्ध, डेजर्ट फॉक्स को शामिल करने पर विचार करेंगे और राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे।... (*व्यवधान*) उन्होंने केवल 10 राज्यों को वित्त पोषित किया है। लेकिन राजस्थान को छोड़ दिया गया है।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वल्चर का प्रश्न चल रहा है।

... (व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: मैं आपको बतान चाहूँगा कि गिद्ध जैसी लुप्तप्राय प्रजाति के लिए पुन:प्राप्ति कार्यक्रम चलाए जा रहर हैं। इसमें हमें कुछ प्रजातियों के संरक्षण में अच्छी सफलता मिली है। ...(व्यवधान) जिस प्रकार बाघों की संख्या बढ़कर 1600 हो गई है, गुजरात में शेरों की संख्या 440 हो गई है, वैसे ही गिद्ध, मणिपुर ब्रो-

एंटीलर्ड हिरण, एडिबल-नेस्ट स्विफ्टलेट- इन सभी के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों में अच्छी प्रगति हुई है और हम लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने में सफल रहे हैं। आशा है कि भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ेगी।

जहाँ तक वल्चर का पूछा है, गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें से तीन लुप्तप्राय प्रजातियाँ हैं जैसे सफ़ेद चोंच, लम्बी चोंच और पतली चोंच। इस संख्या में गिरावट आई है। *मरणोत्तर* और डायग्नोस्टिक केस से पता चला है कि वैटरिनेरी ड्रग जो पशुओं को दी जा रही थी, ऐसे पशुओं को खाने के बाद वल्चर्स की संख्या कम हुई। यह जो दवा है, अब इस पर पाबंदी लगा दी गई है और इसलिए वल्चर्स के रिकवरी प्रोग्राम में हमें अच्छी तरह से सफलता मिल रही है। सरकार का दृष्टिकोण हमेशा यही रहा है और चूँकि हर राज्य में हर स्पीशिज़ मौजूद नहीं हैं, तो जो भी स्टेट्स ऐसे एंडेन्जर्ड स्पीशिज़ के बारे में प्रस्ताव भेजते हैं, हम सकारात्मक दृष्टि से उनको देखते हैं और सबको निधि का आबंटन भी उसी तरह से होता है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : दूसरा अनुपूरक।

कर्नल सोनाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, लेकिन मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।... (*व्यवधान*) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। ... (*व्यवधान*) इसके बारे में उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है।... (*व्यवधान*) इसमें गिद्धों का उल्लेख है। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और ऊंट परियोजना है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऊँटों को मारकर उनका गोमांस विदेश भेजा जा रहा है।... (*व्यवधान*) हाल ही में राजस्थान सरकार ने 'ऊंट' को राज्य पशु बनाया है। मेरा अनुरोध है कि बाघ और हाथी परियोजना की तरह क्या ऊंट के लिए भी परियोजनाएं होंगी जो आबादी में घट रही हैं और चीता जिसे गुजरात और अन्य जगहों पर रेगिस्तान में देखा जा सकता है? ... (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.16 बजे

इस समय श्री कौशलेन्द्र कुमार, राजेश रंजन, धर्मेंद्र यादव, भगवंत मान और कुछ अन्य

माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप उनकी वकालत करने मत आइए।

... (व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, जैसा कि मैंने कहा, माननीय सदस्य ने एक सवाल में कई सवाल पूछे हैं। प्रोजैक्ट टाइगर एक सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम है।...(व्यवधान) 17 राज्यों में टाइगर्स हैं और टाइगर प्रोजेक्ट्स को हम सेन्ट्रल आसिस्टेंस दे रहे हैं।...(व्यवधान) मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि टाइगर्स की संख्या, जो एक दफा बहुत कम हो गयी थी, केवल सैंकड़ों में थी,...(व्यवधान) आज वह 1706 टाइगर्स हैं। मैंने पहले भी एक सवाल के जवाब में कहा था कि 10-15 दिन में, जैसे नम्बर आएगा, हम आपको बताएंगे।...(व्यवधान) वही मैं बताना चाह रहा हूं कि 1706 इस समय टाइगर्स की संख्या है और यह हमारी सक्सेस है।...(व्यवधान) जहां तक बस्टर्ड के बारे में आपने पूछा है, यह सही है...(व्यवधान) व्यापक क्षरण और चरागाह के विखंडन के कारण, कई प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। ... (*व्यवधान*) हमने उसके लिए अब पूरा कार्यक्रम बना लिया है और राजस्थान सरकार से जैसे ही रिक्वैस्ट आएगी तो पैसे दे दिए जाएंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई: माननीय अध्यक्ष, वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार निकायों में से एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में 15 एन.जी.ओ. होने चाहिए, लेकिन इस सरकार द्वारा हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें एन.जी.ओ. की संख्या 15 से घटाकर तीन कर दी गई है। ... (*व्यवधान*) इन तीन में से एक है गुजरात इकोलॉजिकल कोऑपरेशन फाउंडेशन, यह गुजरात फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है। ... (*व्यवधान*) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को वन्यजीवों की रक्षा करने की आवश्यकता है लेकिन इसे तीन एन.जी.ओ. तक सीमित

करके यह केवल सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाली संस्था बनकर रह गई है। … *(व्यवधान)* इसलिए, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को कमजोर कर दिया है और इसके बजाय उन्होंने 15 एन.जी.ओ. में से तीन एन.जी.ओ. तक सीमित कर दिया है। उन्होंने गुजरात से इकोलॉजिकल कोऑपरेशन फाउंडेशन का चयन किस मापदंड पर किया है? … *(व्यवधान)*

श्री प्रकाश जावड़ेकर: मुद्दा बहुत स्पष्ट है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन उचित परिश्रम के साथ किया गया था। स्थायी समिति के अनुसार, जिसकी कल पहली बार बैठक हुई, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया है और इसने अपना विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। पहले, संगठनों की संख्या 15 नहीं थी; यह पाँच थी। इसलिए, नियमों के अनुसार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का उचित गठन किया गया है। *(व्यवधान)*

श्रीमती विजया चक्रवर्ती: ऐसा कहा जाता है कि वन्य जीवन कम होता जा रहा है। … *(व्यवधान)* इसकी वजह सिकुड़ते जंगल हैं जो असम की चिंता का विषय है। असम में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 10 साल के अंदर हजारों गैंडे और हंस मारे गए और 30 फीसदी वनस्थली पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। … *(व्यवधान)* यह स्थिति अभी भी चल रही है। … *(व्यवधान)* इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने असम सरकार द्वारा मारे गए हंसों की सुरक्षा का ध्यान रखा है। … *(व्यवधान)* दूसरे, जंगलों में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए माननीय मंत्री जी की क्या सोच है? … *(व्यवधान)* असम में चार प्रमुख वन अभ्यारण्य हैं। पूरे देश में गैंडे केवल इन्हीं वन अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। … *(व्यवधान)* उन्हें मार कर तस्करी की जाती है। वन भूमि पर बांग्लादेशी नागरिकों ने कब्जा कर लिया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि वे इस पर ध्यान दें और संकटापन्न प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएं। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, सम्माननीय सदस्य महोदया ने जो भी पूछा है, वे तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।...(व्यवधान) हज़ारों की संख्या में सिंगल हॉर्न राइनो की हत्या हुई है और यह गंभीर मसला है। ... (व्यवधान)

इसलिए इस सेशन के बाद जल्दी-से-जल्दी, इस महीने में ही, मैं ख़ुद गुवाहाटी आने वाला हूं। ... (व्यवधान) हम काज़ीरंगा राष्ट्रीय पार्क भी विज़िट करेंगे और उसके बाद वहां के जो लोक प्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठकर एक मीटिंग करेंगे, जिसमें पोचिंग को रोकने की पूरी क़वायद क्या हो सकती है, इसके बारे में नए सिरे से विचार करेंगे।...(व्यवधान) इस बार पोचिंग की 21 घटनाएं हुई हैं और हमने इसे बहुत गंभीरता से लिया है।...(व्यवधान) मैंने पहले भी हमारे सम्माननीय सदस्य श्री गोगोई को बताया था कि इस सेशन के बाद सिंगल हॉर्न राइनो के बचाव के लिए एक मीटिंग होगी, जिसमें हम आप सब को बुलाएंगे।...(व्यवधान) इसमें इन्फिलट्रेटर्स के और बाकी लोगों के क्या रोल हैं, सेन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यह सब हम उस मीटिंग में तय करेंगे।...(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 502)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर बहुत विस्तृत है। ...(*व्यवधान*) लेकिन मैं यहां केवल यह बताना चाहूंगा कि मेट्रो रेल से यात्रा करने से समय और ऊर्जा की बचत होती है और सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने में भी मदद मिलती है और प्रदूषण भी कम होता है। ... (*व्यवधान*) चूंकि कई राज्य अपने यहां मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने की स्थिति में नहीं हैं, क्या केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ त्रिपक्षीय समझौते में जुड़कर इस उद्देश्य के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए आगे आएगी ताकि कम से कम तीन मिलियन की आबादी वाले अधिकांश राज्यों की राजधानियों में मेट्रो रेल आ सके। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मैडम स्पीकर,...(व्यवधान) आप माननीय सदस्य लोग बाकी लोगों के अधिकार क्यों छीन रहे हैं?...(व्यवधान)

मैडम, जैसा मैंने शुरु में कहा, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का समर्थन करती है केंद्र सरकार परियोजना इक्विटी भागीदारी/अनुदान/अधीनस्थ ऋण के माध्यम से पूंजी लागत के 20 प्रतिशत की सीमा के अधीन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का समर्थन करती है। ... (*व्यवधान*) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर परियोजनाओं को वित्त पोषण या व्यवहार्यता अंतर फंडिंग के लिए लिया जाता है। ... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव के संबंध में, भारत सरकार निश्चित रूप से विभिन्न राज्यों की राजधानियों में परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी, बशर्ते वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के भीतर

हों और यदि राज्य किसी विशिष्ट प्रस्ताव के साथ आगे आते हैं, तो भारत सरकार इसकी जांच करेंगे। ...(*व्यवधान*) अब तक, ये परियोजनाएं 20 लाख की आबादी वाले शहरों तक ही सीमित हैं। अब राज्य 10 लाख की आबादी वाले शहरों को कवर करने का अनुरोध कर रहे हैं जो सरकार के विचाराधीन है। … (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, तकनीकी समस्याओं की प्रकृति भी उत्तर में सूचीबद्ध की गई हैं। … (*व्यवधान*) तकनीकी खराबी के कारण मेट्रो रेल के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में यह बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो रेल में खामियां थीं और मीडिया में इसकी सूचना दी गई थी। लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है। … (*व्यवधान*) इसी तरह, हाल ही में मेट्रो रेल में ट्रेन चलने के दौरान कुछ दरवाजे खुले रहे। क्या इस गलती के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है क्योंकि इस तरह की तकनीकी खराबी का उत्तर में कभी उल्लेख नहीं किया गया है? … (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, मैंने ध्यान में आने आने वाली तकनीकी खराबी के संबंध में एक विस्तृत जवाब दिया है जो रुकावट और देरी का कारण बनते हैं और मैंने सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ऑपरेशन, ओवरहेड उपकरण, स्थायी रास्ता, संपत्ति विकास, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण, सुरक्षा, सिग्नलिंग आदि जैसी तकनीकी समस्याओं की प्रकृति का विवरण दिया है। ... (*व्यवधान*) यदि माननीय सदस्य विशिष्ट उदाहरणों के संबंध में विभाग के ध्यान में लाते हैं, मैं जांच कराकर माननीय सदस्य को इसकी जानकारी दे सकूंगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें करता है और समय-समय पर आने वाली समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। … (*व्यवधान*)

मैं सदन के साथ, डी.एम.आर.सी. के प्रदर्शन के संबंध में, इतनी संख्याओं में तकनीकी खराबियों का कारण साझा कर सकता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे पांच मिनट की देरी को तकनीकी खराबी मानते हैं। लेकिन डी.एम.आर.सी. ने एक मिनट देरी का एक मानदंड रखा है। यही कारण है कि संख्या थोड़ी अधिक प्रतीत होती है। यह भी वर्ष-दर-वर्ष कम हो रहा है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूँ कि अब डी.एम.आर.सी.

विलंब आदि के एक कारण के रूप में 59 सेकंड का समय गिन रहा है। ऐसा होने के कारण, बहुत सुधार हुआ है; हम आगे इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेट्रो रेलवे मास रेपिड ट्रांसपोर्टेशन के लिए अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहां सभी बड़े शहरों में कारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज हम सब जगह जाम होते हुए देखते हैं। आज जिस शहर की पापुलेशन दस लाख है, अगले छः-सात साल में वहां की पापुलेशन बीस लाख हो जाएगी। अभी मेट्रो रेलवे सिर्फ बड़े शहरों के लिए है। जिन शहरों की पापुलेशन अगले दस सालों में 15-20 लाख होने वाली है,...(व्यवधान) क्या उनके लिए भी सरकार के पास कुछ योजना है, इसकी जानकारी कृपया मंत्री महोदय मुझे दें?

[अनुवाद]

श्री एम. वेंकैया नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, निश्चित रूप से यह एक तथ्य है शहरों की जनसंख्या और शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही इसे ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, हम अपने नियमों और मानकों को संशोधित करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही सदन को बताया है, पहले यह 20 लाख से अधिक शहर थे। अब नवीनतम प्रस्ताव लगभग 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों का है। यह विचाराधीन है। यह सदस्य की चिंताओं का ध्यान रखेगा। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री आनिल शिरोले : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पुणे मेट्रो रेल परियोजना को शुरू करने में देरी क्यों हो रही है और अभी तक शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, हमें महाराष्ट्र के पुणे शहर से प्रस्ताव मिले हैं। यह अब समीक्षा के अधीन है। एक बार समीक्षा पूरी हो जाने के बाद, हम पुणे के बारे में इस संबंध में विचार करेंगे। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय मुलायम सिंह जी, एक तो आपके दल की तरफ से कोई नोटिस नहीं है और एडजर्नमेंट मोशन के बारे में मैंने पहले ही कहा था कि प्रश्न-काल सस्पैंड नहीं होगा। सदन में एक ही विषय पर बार-बार चर्चा नहीं होती है। कृपा कर आप अपना स्थान ग्रहण करें।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में, कोच्चि मेट्रो की कार्य प्रगति 45 प्रतिशत है। लेकिन यह बताया गया है कि समय पर सामग्री की कमी के कारण कोच्चि मेट्रो के काम में देरी हो रही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस पर मंत्री जी का ध्यान है। यदि हां, तो सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है और कोच्चि मेट्रो की समयबद्ध पूरा होने की तिथि क्या है? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : रंजन जी, नारे से कुछ होने वाला नहीं है, आप कृपया थोड़ा शांत होकर बैठिए।...(व्यवधान) हम बाद में देखेंगे। यह कोई तरीका नहीं है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मुलायम सिंह जी को देख कर मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है। कारण क्या है कि ये सदन के बहुत वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य हैं। मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री रहे और केन्द्र में भी मंत्री रहे, इसलिए मेरी मुलायम सिंह जी से प्रार्थना है कि कृपया आप बैठिए और अपने दल के सदस्यों को भी वापस बुलाइए। बाद में स्पीकर से अनुमति लेकर इस पर चर्चा कर लेंगे। ...(व्यवधान) धर्मेन्द्र जी, प्लीज सीट पर जाइए। ...(व्यवधान) यह कोई पद्धति नहीं है। ...(व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है। ...(व्यवधान) आप जाइए, अपना स्थान ग्रहण करिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर जाइए।

... (व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : आप अपना स्थान ग्रहण करिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका कोई नोटिस नहीं है।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

इस समय श्रीमान धर्मेन्द्र यादव, राजेश रंजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : पूरा देश इसे देख रहा है। ...(व्यवधान) जो बच्चे कार्यवाही देखने आए हैं, वे भी इसे देख रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मुलायम सिंह जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया बैठ जाइए। क्वैश्चन ऑवर के बाद हम इस पर बात करेंगे। ...(व्यवधान) पप्पू जी, प्लीज, आप भी बैठिए। ...(व्यवधान) पूरा देश हमारी ओर देख रहा है। इस सदन में गंभीर समस्याओं के बारे में चर्चा हो रही है, इसलिए कृपया सब लोग इसमें साथ देंगे तो वह अच्छा रहेगा। ...(व्यवधान) मुलायम सिंह जी ने हमारी बात सुनी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: दोनों तरफ से एक भी शब्द बोलने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान) ...[5*]

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान) आप बैठिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उत्तर दीजिए, वह ऐसे ही बोलते रहेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : यह कोई तरीका नहीं है। ...(व्यवधान) आपको यह शोभा नहीं देता है। ...(व्यवधान)

जहां तक कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना का संबंध है, 45 प्रतिशत नींव का काम पूरा हो चुका है। जिन कारणों से देरी हो रही है, उनका विश्लेषण किया जाएगा और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यदि माननीय सदस्य के पास इस परियोजना के संबंध में कोई विशिष्ट सुझाव है, तो वह इस जानकारी को मुझे दे सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करूंगा।

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री हुकुम सिंह : महोदया, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है और इसके नगरों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। मैं चाहूंगा कि सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ ज्यादा ध्यान दे। यह

[5*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मेरा अनुरोध है और इसी अनुरोध के साथ मेरा आग्रह है कि केवल एक प्रोजैक्ट आपका लखनऊ में है, जो प्रदेश की राजधानी है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, वे सारे के सारे दिल्ली से सम्बन्धित हैं। कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर और मेरठ आदि ऐसे नगर हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप खुद समझते हैं कि आज निर्भर करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट केवल मेट्रो रह गयी है। अगर मेट्रो को हम चलायेंगे तो उससे प्रदूषण भी खत्म होगा, जाम भी खत्म होगा और पब्लिक को सुविधा भी मिलेगी। जिन नगरों का मैंने नाम लिया है, क्या माननीय मंत्री जी उनका सर्वे कराकर आग्रिम कार्रवाई करेंगे?

[अनुवाद]

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के संबंध में जो कहा है वह सही है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख राज्यों में से एक है। इसके पास सबसे अधिक संख्या में शहर हैं जो 10 लाख और 20 लाख से अधिक की जनसंख्या को पार कर रहे हैं। उन्होंने सभी शहरों का जिक्र किया है।

जहां तक लखनऊ का सवाल है, इस पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। डी.पी.आर. पूरा होने और प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, हम लखनऊ को प्राथमिकता पर लेंगे। इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

जहां तक कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों का संबंध है, योजना के मापदंडों के भीतर राज्य सरकार से प्रस्ताव आने के बाद, निश्चित रूप से भारत सरकार इसकी भी जांच करेगी। मैं जानता हूं कि देश भर में मेट्रो ट्रेन दिन-प्रतिदिन लोकप्रिय हो रही है। आप एक समय में सभी शहरों को नहीं ले सकते क्योंकि पैसे की कमी की बाध्यता का प्रश्न है। कुछ निधि केंद्र द्वारा वहन की जानी होती है और कुछ निधि राज्यों को वहन करनी होती है। हमें विदेशों से भी कुछ धनराशि प्राप्त करनी है। अब तक जापान हमारी कुछ परियोजनाओं में मदद कर रहा है। हम इस तरह से इन सभी संभावनाओं का पता लगाएंगे।

जहां तक नोएडा से गाजियाबाद और कालिंदी कुंज से बोटैनिकल गार्डन के माध्यम से दिल्ली मेट्रो के एन.सी.आर. तक विस्तार का संबंध है, ये परियोजनाएं अनुमानित हैं और भारत सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना, उत्तर प्रदेश के संबंध में, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक मेट्रो रेल परियोजना का प्रस्ताव रखा है। इसने प्रस्तावित परियोजना की डी.पी.आर. की एक प्रति भी भेजी है और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 50:50 संयुक्त स्वामित्व वाली एस.पी.वी. के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की मंजूरी का अनुरोध किया है। इन प्रस्तावों को कुछ प्रश्नों के साथ वापस भेज दिया गया है और संशोधित प्रस्ताव मांगे गए हैं। संशोधित डी.पी.आर. मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रो. के.वी. थोमस : महोदया, कोच्चि मेट्रो, डी.एम.आर.सी.- कोच्चि मेट्रो लिमिटेड; भारत सरकार और केरल सरकार के संयुक्त उपक्रमों में से एक है। यह एक 5,000 करोड़ रुपये की परियोजना है, जो समयबद्ध तरीके से चल रही है। अब हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से एक यह है। वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित किया गया है, केंद्रीय बजट में 879.22 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन, दुर्भाग्य से, केवल आधे ही प्रदान किए गए हैं। मैं केरल के माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी के साथ-साथ शहरी विकास मंत्री जी से भी मुलाकात की है और भारत सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे। अन्यथा, यह कोच्चि मेट्रो जो समयबद्ध तरीके से चल रही है, समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। यह श्री श्रीधरन के नेतृत्व में है, जो देश के प्रसिद्ध मेट्रो-मैन रहे हैं। यह प्रतिष्ठित परियोजनाओं में से एक है, जो भारत सरकार और केरल सरकार दोनों एक साथ कर रही हैं।

श्री एम. वेंकैया नायडू: कोच्चि देश के खूबसूरत शहरों में से एक है, और इसे निश्चित रूप से मेट्रो की आवश्यकता है। इसलिए, इसे प्राथमिकता दी गई है, और मैं खुश हूँ जैसा कि प्रो. थोमस ने कहा है, व्यावहारिक रूप से भारतीय मेट्रो के जनक श्री श्रीधरन खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में इस

परियोजना को मंजूरी दी। तब, परियोजना की कुल लागत 5,187.79 करोड़ रूपए थी। भारत सरकार का हिस्सा 1,002.23 करोड़ रुपये और केरल सरकार का हिस्सा 1,772.23 करोड़ रूपए है। बाह्य ऋण 2,170 करोड़ रूपए है। राज्य की पहुंच की अवधि सहित इसकी समाप्ती का खर्च केरल सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह समझौता हुआ था। भारत सरकार ने एजेंस फ्रांसेइस डे डेवलपमेंट (ए.एफ.डी.) से 180 मिलियन यूरो की ऋण सहायता का भुगतान कर दिया है। सभी प्रमुख सिविल निविदाएं प्रदान की जाती हैं, और भौतिक प्रगति हुई है। लेकिन एक माननीय सदस्य, के रूप में थोमस जी ने सुझाव दिया है, एक बार मुझे अतिरिक्त आबंटन मिल जाए तो निश्चित रूप से हम कोच्चि मेट्रो में प्राथमिकता के आधार पर आगे काम कर सकेंगे।

(प्रश्न संख्या 503)

श्री प्रेम दास राय: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मुझे 15-पृष्ठ का उत्तर मिला है, जो बहुत विस्तृत है, और मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ। कई परियोजनाओं में विलंब के लिए कारण दिए गए हैं, और इनमें विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में कमियां शामिल हैं; केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा तकनीकी आर्थिक मंजूरी में देरी; समय पर दस्तावेज जमा नहीं करना; निविदा प्रक्रिया में देरी; चल रही परियोजनाओं के लिए अपर्याप्त बजटीय आबंटन शामिल है। ये विलंब के कुछ कारण हैं।

अब, मेरे विचार में, यह प्रबंधकीय परियोजना प्रबंधन के मुद्दों के कारण है। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विभाग क्या व्यापक कदम उठाने जा रहा है और यह भी देखना होगा कि भविष्य में इस तरह की कमी न हो।

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, महोदया कि हम उस सम्पूर्ण प्रक्रिया की गहन समीक्षा कर रहे हैं जिसके तहत विभिन्न परियोजनाएं हमें सौंपी जाती हैं। हमने पाया है कि विलंब इसलिए होता है क्योंकि डी.पी.आर. अपेक्षा से बहुत बाद में आते हैं। उनमें कुछ समस्याएं हैं। हम उन मंत्रालयों के साथ संपर्क कर रहे हैं जो इन परियोजनाओं को निष्पादित करते हैं ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि इन्हें पहले के समय-सीमा में तेज किया जाए। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक परियोजना, जिसमें विलंब हुआ है, की विस्तार से जांच की जाए ताकि हम यह पता लगा सकें कि अड़चनें कहाँ हैं और इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए।

श्री प्रेम दास राय: मेरा दूसरा अनुपूरक सिक्किम में पक्योंग ग्रीनफील्ड विमानपत्तन से संबंधित है। इस वर्ष नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने केवल पक्योंग विमानपत्तन के लिए 22 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं; और दिए

गए उत्तर के अनुसार, यह परियोजना, जो वर्ष 2012 में पूरी होनी चाहिए थी, अब दिसंबर, 2016 में पूरी होने जा रही है। समय के मामले में लगभग चार वर्ष का विलंब हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वे क्या कदम उठाएंगे और क्या आश्वासन देंगे कि इस विशेष परियोजना में तेजी लाई जाएगी और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। यह सिक्किम का पहला विमानपत्तन है।

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह: माननीय महोदया, पक्योंग विमानपत्तन जो सिक्किम को कनेक्टिविटी प्रदान करता है, पर्यावरण के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भूमि की उपलब्धता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के कारण अवरुद्ध हो गया। कुछ मुद्दों को सुलझा लिया गया है। कुछ शेष मुद्दे हैं जहां भूमि संबंधित है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। हम चाहते हैं कि इस विमानपत्तन को पहले के समयसीमा में कार्यात्मक बनाया जाए। हमने वर्ष 2016 का पी.डी.सी. दिया है। यदि ज़मीन के मुद्दों का समाधान किया जाता है, तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह पहले के समय सीमा में किया जाए।

सुश्री सुष्मिता देव: एन.ई.सी. पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या दाता मंत्रालय ने राज्यवार बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान करने के लिए कोई व्यापक अध्ययन किया है? या क्या हम परियोजनाओं की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर हैं?

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह: माननीय महोदया, अब तक, हम राज्य सरकारों पर निर्भर थे। इस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद, हमने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए पूरी विकासात्मक योजना का एक व्यापक समग्र मूल्यांकन शुरू किया है। हमारा उद्देश्य यह है कि विकास केवल राज्यों पर निर्भर होने के बजाय पूरे क्षेत्र में फैलना चाहिए।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह अध्ययन किया जा रहा है।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता: जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्रिपुरा उत्तर-पूर्व का दक्षिणी बिंदु है। इसलिए, मेरे पास हमारे माननीय सदस्यों से कुछ प्रश्न हैं।

क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44, जो मुख्य भूमि तक पहुँचने के लिए एकमात्र लिंक रोड है और जो त्रिपुरा को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एकमात्र सड़क है, इस योजना के तहत 4-लेन सड़क होगी?

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह: महोदया, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। हम इस परियोजना पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ काम कर रहे हैं; और माननीय सदस्य को जो भी अतिरिक्त विवरण चाहिए होगा, मैं बाद में दे सकता हूँ।

[हिन्दी]

श्री निनोंग इरिंग : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने रेलवे, सड़क परिवहन राजमार्ग, विद्युत सभी के बारे में जितने विस्तार से बताया, उसके बाद पूछने की कोई आवश्यकता नही है। फिर भी कुछ दिन पहले आपने हम सबको कहा कि हम इनमें हरेक स्टेट में चार विशेष योजनाएं लेंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में देश का नेशनल एवरेज 75 से 100 किलोमीटर है। लेकिन हमारे वहां खासकर अरुणाचल प्रदेश में यह प्रतिशत केवल 21 किलोमीटर है, इसलिए हमारे वहां एक जगह दामबुक है, जहां अभी भी लोग हाथी पर बैठकर रास्ता पार करते हैं। अगर आप सिक्युरिटी की दृष्टि से सोचें, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, औरतों और बच्चों को हाथी में बिठाकर कैसे रास्ता पार करेंगे। यह भी नसीब की बात है। हम खुद बदनसीब हैं और यह देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। जैसे बोगीबिल, धौलावाला रोड, फिशरी ब्रिजेस हैं, इनमें एनवायरमैंट क्लीयरैंस के लिए रैड टेपिज्म के कारण सब काम रुके हुए हैं। आप इसे किस प्रकार कराएंगे? हम जानते हैं कि आपने बहुत विस्तार से रिप्लाई दिया है। अन्य जवाब डज़ नॉट एराइज़, डज़ नॉट एराइज़ इस तरह दिए जाते हैं। आपने इस बार कोई स्टीरियोटाइप रिप्लाई न देकर बहुत अच्छा जवाब दिया। इससे हमें लगता है कि शायद पूर्वोत्तर के लोगों को भी अच्छे दिन नसीब होंगे।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आपको बहुत अच्छा कम्प्लीमैंट मिला है।

... (व्यवधान)

जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह : आदरणीय महोदया, मैं माननीय सदस्य की आकांक्षाओं का सम्मान करता हूं। मैं भी हाथी, नाव और उसके बाद गाड़ी, इन सबसे उस इलाके में गया हूं। मैं यह बताना चाहूंगा कि हम इस योजना के लिए जो समीक्षा कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उसे जल्दी क्रियान्वित कराया जा सके। अरूणाचल प्रदेश में रोड बनाने में समस्या आती है, क्योंकि वहां का पहाड़ कच्चा है और वहां पर उस तरीके की प्रोग्रैस नहीं हो सकती, जितनी बाकी स्थानों पर होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में टेक्नोलॉजी पर विस्तार से समीक्षा की जाये कि कैसे उसे जल्दी कराया जा सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि अरूणाचल प्रदेश में भी उसी प्रकार से डैवलपमैंट हो।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं कर रहे हैं।

(प्रश्न संख्या 504)

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी का वक्तव्य बहुत मददगार है। इसमें वर्ष 2013 में 66,580 शोध पत्रों का उल्लेख है। लेकिन वह यह भूल गए कि दुर्भाग्य से यह विश्व उत्पादन का केवल 3.5 प्रतिशत है। इसलिए भारत की हिस्सेदारी केवल 3.5 प्रतिशत वैश्विक अनुसंधान प्रकाशनों की है। हमारी आबादी में दुनिया का 17 प्रतिशत मस्तिष्क है लेकिन वैश्विक अनुसंधान में हमारी हिस्सेदारी केवल 3.5 प्रतिशत है और इसका कारण यह है कि भारत में प्रति दस लाख लोगों पर शोधकर्ताओं की संख्या मात्र 164 है।

अब तुलना के लिए बता दूं कि चीन में 863, रूस में 3,117 प्रति मिलियन, और सिंगापुर में 6,000 प्रति मिलियन है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ सरकार के लिए एक चुनौती है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि विशेष चिंता महिलाओं की है। भारत में कुल वैज्ञानिक अनुसंधान आबादी का केवल 14.27 प्रतिशत महिलाएं हैं। कार्यबल सिर्फ 27,000 विज्ञान शोधकर्ता हैं जो हमारे देश में महिलाएं हैं।

तो, माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विशेष रूप से महिला शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए, जो हमारे देश में एक अप्रयुक्त संसाधन हैं, जहां आवश्यक हो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उपयोग करके शोधकर्ताओं और अनुसंधान प्रकाशनों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं प्रस्तावित कर सकती है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य डॉ. शशि थरूर जी का अत्यंत आभारी हूँ की उन्होनें यह प्रश्न पूछा, क्योंकि इससे मुझे हाल के दिनों में इस विभाग की कुछ उपलब्धियों और उपलब्धियों को इस प्रतिष्ठित सभा के साथ साझा करने का अवसर मिला है। उनके आंकड़ों पर विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस देश से निकलने वाले अनुसंधान प्रकाशनों की संख्या में भारत आज सातवें नंबर पर है जबकि हाल तक यह 13वें नंबर पर था और बहुत जल्द हम छठे नंबर से विस्थापित होने की उम्मीद करते हैं। इसलिए, हम वास्तव में उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

मुझे खुशी है और मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि पिछले 7-8 सप्ताह में हमने कुछ बड़ी पहल की हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक, मेरे इस कार्यभार को संभालने के तुरंत बाद, हमने यह निर्णय लिया कि इसके बाद- और मुझे लगता है कि माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे - वैज्ञानिक सम्मेलनों के लिए किसी भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्री या मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी नीतिगत चर्चा में शामिल होने की कोई परम आवश्यकता न हो। इसके बाद, पिछले आठ या नौ हफ्तों में, विदेश में सभी प्रमुख सम्मेलनों का नेतृत्व उन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने किया जिनके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ मौलिक था।

ऐसा कहने के बाद, मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य यह जानकर भी संतुष्ट होंगे कि कार्यभार संभालने के बाद, विभाग ने एक और बड़ा निर्णय लिया - और चूंकि उनके पास एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन है, इसलिए वे इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे - प्रतिष्ठित कार्नेगी सम्मेलन, जो सबसे अधिक में से एक है विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सम्मेलन और स्वतंत्रता के पिछले 66 वर्षों में अब तक भारत में कभी आयोजित नहीं किया गया है, अगले वर्ष हमारे द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमने पहले ही प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

साथ ही, क्या मैं अध्यक्ष महोदया के माध्यम से इस सदन को बता सकता हूं कि विज्ञान के क्षेत्र में पहला राष्ट्रमंडल सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है? हमने पहले ही इसे नवम्बर 2014 में होस्ट करने का प्रस्ताव दिया है।

इसके अलावा, इस महीने की 4 तारीख को, जापान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यहां थे। हमने उन्हें प्रस्ताव दिया और उन्होंने स्वीकार किया कि बहुत जल्द हम जापानी सहयोग के साथ भारत में एक बायोटेक और जीवन विज्ञान केंद्र स्थापित करेंगे।

पिछले दो महीनों में विदेशी सहयोग के मामले में एक और नई पहल की गई है, जो माननीय सदस्य के प्रश्न का हिस्सा थी, वह यह है कि जिस तरह से हमारे पास यूरोपीय आर्थिक संघ है, उसी तरह हम एक इंडो-

फ्रेंच वैज्ञानिक संघ की स्थापना करेंगे। मैंने फ्रेंच उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर से बात की है। उन्होंने उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी है।

ब्रिटेन के साथ हमारा एक कार्यक्रम है - इस प्रकार के अनुभव वाले माननीय सदस्य को यह अच्छी तरह मालूम होगा - जिसे न्यूटन कार्यक्रम कहा जाता है। हमने इस संबंध में एक सुझाव दिया है। मैंने कहा कि हमारे पास सहयोग हो सकता है लेकिन एक पूर्व शर्त के साथ और मुझे यकीन है कि माननीय सदस्य इसे अनुमति देंगे। मैंने पूछा कि यह न्यूटन नाम भारत में राय के सभी वर्गों के साथ बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हम न्यूटन-भाभा को जोड़ सकते हैं। मुझे सदस्यों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब इसे भारतीय वैज्ञानिक संबंध को ध्यान में रखते हुए न्यूटन-भाभा कार्यक्रम के रूप में जाना जाएगा। इसलिए, मैं इस सभा को यह बताना चाहूंगा कि हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास महिला वैज्ञानिकों के लिए अलग कार्यक्रम हैं और युवा वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत कुछ है। पिछले महीने ही हमारे पास युवा वैज्ञानिकों के लिए एक विनिमय कार्यक्रम था। … (*व्यवधान*)

आप प्रश्न को नहीं समझ पाए हैं और इसलिए आप कह रहे हैं कि यह उत्तर नहीं है। किंतु, माननीय सदस्य संतुष्ट है.... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

… (*व्यवधान*)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: तो, हमारे पास एक विनिमय कार्यक्रम था - मैं इसे माननीय डॉ. शशि थरूर के साथ साझा करना चाहूंगा, और मुझे यकीन है कि वह इसकी सराहना करेंगे - जिसमें हमने देश भर से 18 स्कूली लड़के और लड़कियों को चुना, जिन्होंने कुछ क्षेत्रीय शोध किया था और हमने उन्हें अपने अनुभव को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक लोगों के साथ साझा करने के लिए कुछ हफ्तों के लिए विदेश भेजा था। तो, हम पहले से ही उस दिशा में हैं। इस संबंध में दिए गए सुझावों का स्वागत है।

डॉ. शशि थरूर: धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अभी भी मंत्री जी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसमें वे अधिक विवरण देंगे कि सरकार महिला शोधकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन अब मैं अपने दूसरे प्रश्न पर आता हूँ।

तथ्य यह है कि हम अपने जी.डी.पी. का केवल 0.8 प्रतिशत वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि कई विकसित देशों में यह 2 प्रतिशत है। हमने यू.पी.ए. सरकार में कोशिश की है। यह मुश्किल हो गया है। हम चुनौती की सराहना करते हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि - मंत्री जी के जवाब देने से पहले, सरकार के पास 0.88 प्रतिशत से आगे जाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है - जब मैं ओ.ई.सी.डी. देशों को देखता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार केवल 15 प्रतिशत खर्च करती है उस देश में अनुसंधान एवं विकास पर वैज्ञानिक अनुसंधान बजट का 75 प्रतिशत निजी क्षेत्र खर्च करता है। भारत में, सरकार 80 प्रतिशत खर्च करती है और निजी क्षेत्र केवल 12 प्रतिशत खर्च करता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर अधिक पैसा खर्च करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कर सकती है ताकि उनके संसाधन भी इस देश के वैज्ञानिक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दे सकें?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छी तरह से लिया गया है। मैं समझता हूँ कि यह वास्तविकता और आंकड़ों के आधार पर वक्तव्य है और इसमें विवाद करना मुश्किल है। किसी भी तरह, संयोग से, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, इस क्षेत्र को आबंटित जी.डी.पी. का हिस्सा अन्य क्षेत्रों को प्रदान किए गए हिस्से की तुलना में अपेक्षाकृत कम है और अन्य देशों की तुलना में भी कम है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। हमने इसका अनुमान भी लगाया है। मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में ऐसा होगा।

जहां तक निजी भागीदारी का प्रश्न है, निश्चित रूप से यह एक बहुत ही प्रगतिशील सुझाव है। हम पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। वास्तव में, मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि यह मुद्दा सामने आया है, कि हमने हाल ही में गोआ से पहली बार स्वदेशी रूप से निर्मित अनुसंधान पोत लॉन्च किया है, जिसे सिंधु साधना कहा जाता है। यह अनुसंधान पोत उपयोगिता के लिए पहले से ही निजी प्रस्ताव प्राप्त कर रहा है। तो, यह खुद को

शामिल करने का एक तरीका है। हमें उनके शोध इनपुट और आर.एंड.डी. आउटपुट के लिए इसकी उपयोगिता के लिए पहले से ही एक निजी कंपनी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हम पहले से ही उस दिशा में बढ़ रहे हैं और आने वाले महीनों में, मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री सदस्य देखेंगे कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं जो वह चाहते हैं।

प्रो. सुगाता बोस: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि भारत सरकार की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत सुदूर पूर्व के देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाया गया है। एकमात्र देश जिसका विशेष रूप से लिखित उत्तर में उल्लेख किया गया था, वह दक्षिण कोरिया था। लेकिन, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए पूरक के उत्तर से मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने जापान के शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी से मुलाकात की है और जैव-प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग होने जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय, से पूछना चाहता हूँ कि क्या चीन के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग बढ़ाया गया है क्योंकि विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान की गुंजाइश है। लुक ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में, क्या हम पूर्वी एशिया, जापान और चीन के दो प्रमुख देशों के साथ सहयोग को और बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं?

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय सदस्य ने पूर्व देखने के बारे में सुझाव दिया। हम यथासंभव पूर्व की ओर देखने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा ही है। प्रकाशनों की संख्या और अनुसंधान की संख्या के मामले में चीन हमसे आगे है। जैसा कि मैंने कहा, यह उन छह देशों में से एक है जो हमसे ऊपर हैं। हम उनके साथ जुड़ना चाहेंगे, बशर्ते यह उनके लिए भी उपयुक्त हो। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। चीन के साथ पहली संयुक्त बैठक हाल ही में हुई थी।

यदि उत्तर में सभी देशों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह केवल अंतरिक्ष के प्रसार के लिए है, लेकिन निश्चित रूप से हम सार्क देशों को भी देख रहे हैं। अनुसंधान पोत जिसके बारे में मैंने पहले के प्रश्न के उत्तर में

उल्लेख किया था, वह पड़ोसी देशों की जरूरतों को भी पूरा करेगा, विशेष रूप से अरबी समुद्र और भारतीय महासागर के महासागरीय क्षेत्र में। इसलिए, भारत द्वारा उपयोग किए जा रहे आर.एंडडी. इनपुट्स को जल्द ही समुद्री पड़ोस के देशों द्वारा श्री लंका आदि सहित लिया जाएगा।

चूंकि मैं अंतरिक्ष विभाग से भी जुड़ा हूं, इसलिए मैं इसे श्रीहरिकोटा में प्रस्तुत करूंगा, माननीय प्रधान मंत्री जी ने सार्क उपग्रह संभावना की घोषणा की है। निश्चित रूप से जिस दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, उस दिशा में हम निश्चित रूप से पूर्व की ओर देखने, अपने पड़ोसियों को देखने, सार्क को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बड़े भाई नहीं, तो कम से कम कुछ नेतृत्व की भूमिका हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखने की कोशिश कर रहे हैं।

(प्रश्न संख्या 505)

श्री एम.आई. शनावास: महोदया, भारतीय उच्च शिक्षा वर्तमान में दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है और अगले 15 वर्षों के भीतर संयुक्त राज्यों और चीन से आगे निकलने की संभावना है। वर्ष 2030 तक भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होगा, जिसमें उच्च शिक्षा समूह दुनिया के अन्य सभी देशों में पहले स्थान पर आ जाएगा।

भले ही भारत ने आर्थिक विकास की इस दर को बनाए रखने और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए वर्ष 2009 में जी.डी.पी. के संदर्भ में 8.5 प्रतिशत से अधिक की आर्थिक वृद्धि हासिल की है, लेकिन देश में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए।

सरकार से मेरा विनम्र प्रश्न है कि क्या आज तक कोई मॉडल कॉलेज स्थापित किया गया है और क्या वह कॉलेज सकल नामांकन अनुपात के मुद्दे को हल करने में सक्षम है।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन में माननीय सदस्य द्वारा उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में व्यक्त की गई चिंता की सराहना करना चाहती हूँ। माननीय सदस्य ने मॉडल कॉलेजों के संबंध में एक प्रासंगिक टिप्पणी की है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि रूसा के अंतर्गत हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना और विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना के संबंध में अनुदान प्रदान करें।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि राज्यों के साथ सहयोग करके हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि जी.ई.आर. में वृद्धि हो तथा माननीय सदस्य ने यहां सदन में जो महत्वाकांक्षा व्यक्त की है, वह एक ऐसी महत्वाकांक्षा और मापदंड है जिसे हम भी प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री एम. आई. शनावास: एक स्पष्ट उत्तर के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

वर्ष 2011 में अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन किया गया था। क्या समिति ने उन बड़े अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शैक्षिक सुविधाओं में सुधार के लिए कोई सिफारिश की जहां अल्पसंख्यकों का सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) कम पाया गया था? कई क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों का जी.ई.आर. कम पाया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन अक्षमताओं को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया गया है।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए रूसा योजना के माध्यम से राज्यों के साथ सहयोग कर रहे हैं कि विशेष रूप से अल्पसंख्यक आबादी के लिए, अधिक से अधिक संस्थान और सुविधाएं प्रदान की जाएं, मैं यहां विशेष रूप से एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. लड़कियों और उच्च शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यू.जी.सी. योजना के तहत इस पर प्रकाश डालना चाहूँगी, हमारे पास अपने विश्वविद्यालयों में समान अवसर सेल स्थापित करने की एक योजना है।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

यह सेल उच्च शिक्षा में एस.सी., एस.टी. और अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली समस्याओं पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। समान अवसर सेल की स्थापना हेतु अनुदान दिया जाता है। यू.जी.सी. के माध्यम से, हम अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना में भी मदद करते हैं, जिसमें यू.जी. और पी.जी. स्तर पर छात्रों के लिए कोचिंग, नेट परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों के लिए कोचिंग, केंद्र और राज्य सरकारों के तहत आने वाली सेवाओं में प्रवेश के लिए छात्रों के लिए कोचिंग जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही, अल्पसंख्यकों के लिए उपचारात्मक कोचिंग योजनाएं भी प्रदान की गई हैं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: माननीय अध्यक्ष महोदया, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों, ऑटोनॉमस कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों, आदि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश की अनदेखी की गई है।

ये संस्थान कैपिटेशन फीस की भी मांग कर रहे हैं। एस.सी. और एस.टी. छात्र कैपिटेशन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने इन संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगी कि भारत सरकार, विशेष रूप से यू.जी.सी. ने भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें ऐसे संस्थानों में 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, 7.5 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, और 27 प्रतिशत सीटें ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित हैं।

[6*] प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 506 से 520

अतारांकित प्रश्न संख्या 4880 से 5109)

[6*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब पत्रों को सभापटल पर रखा जाएगा।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों कि एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 725/16/14]

(2) वर्ष 2014-2015 के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 726/16/14]

[हिन्दी]

सूक्ष्म, **लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) :** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित

पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव तथा दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव तथा दादरा एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 727/16/14]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): महोदया, मैं सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 728/16/14]

(2) वर्ष 2014-2015 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 729/16/14]

(3) वर्ष 2014-2015 के लिए विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 730/16/14]

(2) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़- स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन), रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़- स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन), रायपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 731/16/14]

(4) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (त्रिपुरा राज्य मिशन), अगरतला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (त्रिपुरा राज्य मिशन), अगरतला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 732/16/14]

(6) (एक) सर्व शिक्षा अभियान मिशन-यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एंड दीव, मोती दमन के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान मिशन-यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एंड दीव, मोती दमन के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 733/16/14]

(8) (एक) सर्व शिक्षा अभियान-यूटी मिशन ऑथरिटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सर्व शिक्षा अभियान-यूटी मिशन ऑथरिटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 734/16/14]

(10) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अटल बिहारी वाजपेयी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 735/16/14]

(12) (एक) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 736/16/14]

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 737/16/14]

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 738/16/14]

(18) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 739/16/14]

(20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 740/16/14]

(22) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 741/16/14]

(24) (एक) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 742/16/14]

(26) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 743/16/14]

(28) (एक) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 744/16/14]

(30) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के सभापति और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियम, 2014 जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.212(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 745/16/14]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री और प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-:-

(1) नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 746/16/14]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2014-2015 के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 747/16/14]

(दो) वर्ष 2014-2015 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 748/16/14]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और विदेशी भारतीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह): महोदया, मैं अपने सहयोगी, श्री इंद्रजीत सिंह राव की ओर से वर्ष 2014-2015 के लिए योजना आयोग के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 749/16/14]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री जी कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) आखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)--

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) पांचवा संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत में राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 511 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवा संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 512 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 513 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 515 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवा संशोधन विनियम, 2014, जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 516 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आखिल भारतीय सेवा (आचार) संशोधन नियम, 2014, जो 8 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 573 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 750/16/14]

(2) लोकपाल और लोकायुक्त आधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014, जो 14 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 501(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 751/16/14]

(3) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 62 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)--

(एक) लोकपाल और लोकायुकत (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2014, जो 15 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 409 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ. 1840(अ) जो 15 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा लोकपाल और लोकायुकत (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2014 में संशोधन अधिसूचित किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 752/16/14]

(4) वर्ष 2014-15 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 753/16/14]

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त एक संदेश की रिपोर्ट करनी है:-

"राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार, मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य सभा ने 12 अगस्त, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 में बिना किसी संशोधन के सहमति व्यक्त की, जिसे लोक सभा द्वारा 6 अगस्त, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में पारित किया गया था।

<u>**अपराह्न 12.02 ½ बजे**</u>

<u>मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित **अनुदानों** की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 251[वें] प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन स्थिति[7*]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री जी कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, राज्य मंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदया, मैं यह वक्तव्य लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निर्देश संख्या 73क के अनुसरण में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे लोक सभा समाचार, भाग II, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य सदन को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2013-14) पर समिति के 244वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर 251वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सूचित करना था।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री किरिट सोमैया जी, आपका ध्यानाकर्षण बाद में लिया जाएगा।

[7*] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिये संख्या एल.टी. 754/16/14।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री कलिकेश एन. सिंह देव (बोलंगीर): महोदया, मैंने नियम 13(क) के तहत एक नोटिस दिया है।

माननीय अध्यक्ष: आपकी सूचना मेरे पास है; मैं इस पर गौर करूंगी।

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष: अब, हम लोक सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव पर विचार करेंगे। मैं श्री राजनाथ सिंह से आग्रह करती हूँ कि वे उनके नाम पर खड़े होकर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:-

> “कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

[हिन्दी]

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (**श्रीमती सुषमा स्वराज**) **:** अध्यक्ष जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री सुदीप बंदोपाध्याय:

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूँ:-

> “कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

माननीय अध्यक्ष: श्री कल्याण बनर्जी - उपस्थित नहीं।

श्री सुल्तान अहमद (उलुबेरिया): महोदया, श्री कल्याण बनर्जी और हमारी पार्टी की ओर से ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपको श्री कल्याण बनर्जी की ओर से प्रस्ताव का समर्थन करने की अनुमति नहीं है।

श्री भर्तृहरि महताब (कट्टक): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री तथागत सत्पथी (ढ़ेंकनाल): महोदया, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली (यवतमाल-वाशिम) : महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री केसिनेनी श्रीनिवास (विजयवाड़ा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री एम. वेंकटेश्वर राव (एलुरु): महोदया, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): महोदया, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती बुत्ता रेणुका (कुरनूल): महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर): महोदया, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ:

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री अक्षय यादव (फ़िरोज़ाबाद) : महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

माननीय अध्यक्ष: श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री **तारिक अनवर (कटिहार):** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): महोदया, मैं प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री के. एन. रामचंद्रन (श्रीपेरम्बुदुर): महोदया, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (**कानपुर) :** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री एल.के.आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, अब मैं श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा प्रस्तुत तथा श्रीमती सुषमा स्वराज जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखती हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि डॉ. एम. तंबिदुरै, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव लाया जाता है और डॉ. एम. तंबिदुरै को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। चूंकि श्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत पहला प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, उसके बाद पारित किए गए प्रस्ताव निष्फल हो गए हैं। मुझे उन्हें अपनी अध्यक्षपीठ पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

डॉ. एम. तंबिदुरै को सभा के नेता श्री नरेन्द्र मोदी, कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; और कुछ अन्य दलों और समूहों के नेताओं द्वारा उनकी अध्यक्षपीठ तक पहुंचाया।

<u>अपराह्न 12.10 बजे</u>

उपाध्यक्ष महोदय को बधाई

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) : आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की उच्च परम्पराओं के अनुसार फिर एक बार सदन के सभी दलों ने, सभी सदस्यों ने श्रीमान तम्बिदुरई जी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के लिए पसंद किया है। मैं सबसे पहले सदन का, विशेष रूप से प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमान तम्बिदुरई जी पहले भी उपाध्यक्ष के रूप में इस सदन का मार्गदर्शन करते रहे हैं, संचालन करते रहे हैं। वे सदस्य के रूप में भी बहुत ही सक्रिय रहे हैं। हर विषय पर उनके ज्ञान का लाभ सदन और राष्ट्र को मिला है। कुछ समय के लिए मंत्रिपरिषद् में रहने के कारण ट्रेज़री बेंच के कामकाज के भी अनुभवी हैं। उनकी और भी एक विशेषता रही है कि वे एकेडेमिशियन भी हैं। उनकी पढ़ाई वगैरह, विविधता भरे विषयों से उन्होंने अध्ययन किया है। वे एकेडेमिशियन भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे बड़ी बात कि वे एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। ऐसी विविधताओं से भरा उनका जीवन है। मुझे विश्वास है कि उपाध्यक्ष के रूप में इस सदन को भलीभांति चलाने में उनका मार्गदर्शन काम आएगा। मैं उपाध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके पास जो जिम्मेदारी है, उसे निभाने में शासक पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग रहेगा। मुझे विश्वास है कि संवाद के माहौल का पूरे सत्र में जो अनुभव आया है, उसे बल देने में आपकी भूमिका भी काम करेगी।

मेरी तरफ से और सदन की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बहुत-बहुत बधाई।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष जी, तम्बिदुरई जी एक बहुत बड़े नेता हैं, जो एआईएडीएमके पार्टी से चुनकर आए हैं। वे सतत् छह-सात बार संसद में चुनकर आए हैं और अपने व्यक्तित्व को दिखाया है। तम्बिदुरई जी लॉ मिनिस्टर, कम्पनी अफेयर्स मिनिस्टर, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे हैं। उपाध्यक्ष के पद पर भी उन्होंने काम किया है और इस सदन को बहुत नजदीक से उन्होंने देखा है। वे सदन के काम काज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभी जैसे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वह एक बहुत बड़े विद्वान भी हैं। एम.ए., एम.फिल.

और डी.लिट जैसी डिग्रियां भी उन्होंने हासिल की हैं। शिक्षण में भी वह बहुत आस्था रखते हैं। वह बहुत से एनजीओज भी चलाते हैं और एजुकेशन सोसायटीज भी चलाते हैं, मुझे मालूम है। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे यहां पर आज अपोजीशन के लिए डिप्टी स्पीकर का पद दिया गया है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आभिनंदन करता हूं। मुझे इतना ही कहना है कि वह सभी को देखेंगे।...(व्यवधान) सभी के साथ एक सुलूक करेंगे।...(व्यवधान)

डैमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारा जो भी कर्तव्य है, दायित्व है, उसको निभाने का यही एक स्थल होता है। इस स्थल पर हम जनता की आवाज उठाना चाहते हैं या कोई प्रस्ताव इस सदन के सामने रखना चाहते हैं, तो वह उसको बड़े लार्ज-हार्टेडली स्वीकार करेंगे, हमारी मदद करेंगे। सरकार के पास अपने विचार रखने के लिए नैचुरली बहुत से मौके हैं। मैडम, आप भी उनको ज्यादा मौके देती हैं। मैं पार्शयल्टी का इल्जाम नहीं लगा रहा हूं लेकिन उनकी मेजोरिटी के हिसाब से आप उनको मौके देती हैं। तम्बिदुरै जी भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनको इस सदन ने डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुना है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।

अंत में, मैं एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस सदन में हमें पांच साल चलना है। मंजिल बहुत दूर है। रास्ता बड़ा कठिन है। फिर भी हमें चलना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिलाकर चलना है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी की महासचिव और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा और अपनी ओर से डॉ. तंबिदुरै को उनके सर्वसम्मति से इस सदन के उप सभापति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से स्वयं को जोड़ता हूँ।

यह बहुत खुशी की बात है कि ए.आई.ए.डी.एम.के. संसदीय दल के हमारे नेता को इस 16वीं लोक सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह एक अर्थशास्त्री और शिक्षाविद् हैं। वह अब पांचवीं बार इस सभा के निर्वाचित सदस्य रहे हैं। उन्होंने आठवीं लोक सभा में वर्ष 1985 और वर्ष 1989 के बीच उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बाद में वह पिछली एन.डी.ए. सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे और कई संसदीय समितियों में भी रहे।

सभा के कार्यकरण में उनकी निष्पक्षता सभी माननीयों सदस्यों को ज्ञात है। जो सदस्य अंतिम लोक सभा के सदस्य थे, जब वे भी अध्यक्षों के पैनल के सदस्य थे और सदन की कार्यवाही चलाते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदया, इस उच्च पद पर उनकी पदोन्नति निश्चित रूप से आपके बोझ को काफी हद तक हल्का कर देगी। मैं उन्हें इस सभा के कार्यकरण को चलाने में हमारे पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाता हूँ। मैं उनके नए कार्य में सफलता की कामना करता हूँ।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता, उत्तर): महोदया, यह एक अच्छी मिसाल है कि हमने सर्वसम्मति से आपको माननीय अध्यक्ष के रूप में चुना है। अब इसके बाद डॉ. तंबिदुरै को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मैं उन्हें सबसे ज्यादा याद करूंगा। पिछले एक महीने से, वह मेरे पास बैठे थे। मुझसे मीडिया के कुछ पत्रकार मित्रों ने पूछा कि मेरी पार्टी ने उपाध्यक्ष का पद क्यों नहीं मांगा है। मैंने उनसे कहा, 'मेरी नेता ममता बनर्जी ने कहा है कि जब डॉ. तंबिदुरै का नाम है तो किसी और के नाम का प्रश्न ही नहीं है। हमने पिछले कई वर्षों से इस सदन में एक साथ काम किया है। हम मानते हैं कि डॉ. तंबिदुरै बहुत समझदार हैं।

पाँच बजे के बाद, जब सदन चलाने के लिए कोई अन्य सभापति उपलब्ध नहीं होता है, तो डॉ. तंबिदुरै सायं 8 बजे तक सदन चलाने के लिए उपलब्ध है। आप इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति तो वहां मौजूद है। जब आप अपने निर्धारित कार्यों में व्यस्त होंगे, तो कम से कम वह सदन का संचालन बहुत ही सुचारू रूप से करेगा।

मैं श्री खड़गे की आशा दोहराता हूँ कि उद्देश्यपूर्ण और स्वतंत्र निर्णय डॉ. तंबिदुरै द्वारा लिए जाएंगे जैसा कि आप सामान्य रूप से लेते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कट्टक): महोदया, अक्सर कहा जाता है कि चीजें बदलती हैं और मानव जाति भी जानती है कि चीजें बदलती हैं फिर भी वे नहीं बदलती हैं।

यह आठवीं लोक सभा में था जब सत्ता पक्ष के पास 400 से अधिक सदस्यों का बहुत मजबूत बहुमत था और सबसे बड़े विपक्षी दल को उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया था। यह अन्ना द्रमुक के पास गया जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और डॉ. तंबिदुरै को उपाध्यक्ष चुना गया। 16वीं लोक सभा में फिर से, वही बात दोहराई जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीजें बदल गई हैं लेकिन बदलाव नहीं हुआ है। 16वीं लोक सभा में, हमारे पास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन है जिसमें 336 से अधिक सदस्य मंत्री मंच में बैठे हैं। हमारे पास सबसे बड़ा विपक्षी दल भी है, जो उपाध्यक्ष के पद का दावा नहीं कर रहा है और उपाध्यक्ष का पद सर्वसम्मति से हमारे मित्र डॉ. मुनीसामी तंबिदुरै के पास आया है।

बहुत कम लोगों ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि एम तंबिदुरै के नाम पर 'एम' क्या है। आज सुबह मैंने अपने मित्र, डॉ. तंबिदुरै से यह समझने की कोशिश की, जिनके साथ मैंने श्री सुदीप बंदोपाध्याय के साथ मिलकर काम किया है। हमने विभिन्न समितियों में काम किया है। हमने देखा है कि वह कितने स्पष्ट रूप से विशिष्ट दृष्टिकोण रखते रहे हैं और कैसे वह दूसरों के साथ काम करने में सक्षम रहे हैं।

मुझे आशा है कि भविष्य में, इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में वह हमारा मार्गदर्शन करेंगे। डॉ. तंबिदुरै वर्ष 1985 में पहली बार उपाध्यक्ष बने। बहुत कम उम्र में, उन्हें सबसे पहले लोक सभा के लिए चुना गया और उपाध्यक्ष के रूप में उस पद पर पदोन्नत किया गया। अब वह अनुभवी हो गये हैं हालांकि उनके बाल पके नहीं हैं लेकिन मुझे लगता है कि जीवन 60 से शुरू होता है क्योंकि यह अक्सर तमिलनाडु में कहा जाता है। मुझे आशा है कि वह हमारा मार्गदर्शन करेंगे और बेहतर परिणाम के लिए इस सभा का मार्गदर्शन करेंगे।

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): माननीय अध्यक्ष जी, श्री एम. तम्बिदुरई जी को इस सदन के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है, मैं अपनी और अपनी पार्टी शिव सेना की ओर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। तम्बिदुरई जी ने इससे पूर्व सफलतापूर्वक उपाध्यक्ष पद को निभाया है, उनके पास काफी लंबा अनुभव है। कई वर्षों से तम्बिदुरई जी अपने राज्य तमिलनाडु और तमिलनाडु की समस्याओं के लिए इस सदन में अक्सर लड़ते रहे हैं, नेतृत्व करते रहे हैं। उनको शुभकामना देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से सदन को मिलेगा। मैं सरकार में हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस सदन में मैं उन्हें इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे यहां महताब जी ने एक उदाहरण दिया है, वैसे भारी बहुमत मिलने के बाद जो विपक्ष में चुने गये सदस्य हैं, विपक्ष के सदस्यों को यह अवसर मिलता है, जो सदन की परम्परा रही है, उस परम्परा के तहत हमेशा विपक्ष को ही उपाध्यक्ष के पद पर आसीन होने का अवसर दिया गया है, उस परम्परा को आज भी कायम रखा है और इसलिए मैं प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि उपाध्यक्ष, डॉ.एम. तंबिदुरै जी अब तक ए.आई.डी.एम.के. का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब तक मैंने इसलिए कहा, क्योंकि अब वह निष्पक्ष हो गये हैं। जब वह उपाध्यक्ष चुने गये हैं तो अब वह निष्पक्ष हो गये हैं। अब तक वह अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो पार्टियां हैं, उन राज्यों की पार्टियों की स्थिति और उनकी समस्याओं से वह अवगत हैं और इसीलिए इस सदन के अंदर जो अनेक स्टेट लैवल पार्टीज हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी को निभा रही हैं, उन सारी स्टेट लैवल पार्टियों को इस सदन में सही सम्मान मिलेगा, यह अपेक्षा करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी के नेता श्री के. चन्द्रशेखर राव की ओर से, अपने सहयोगी डॉ. तंबिदुरै को सर्वसम्मति से इस सभा के उपाध्यक्ष बनने के लिए

बधाई देता हूँ। मैं, जैसा कि श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा था, सामने की पंक्ति में उनके बगल में बैठा था। तब उन्होंने मुझे सलाह दी थी। लेकिन अब वह बहुत दूर चले गये हैं! लेकिन फिर भी वह निश्चित रूप से हमें अच्छी सलाह देंगे। वह इतने वर्षों से तेलंगाना हासिल करने में हमेशा मेरे नेता का समर्थन करते रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी वह हमें बोलने का और मौका देंगे, जब आप आसन पर नहीं बैठ रहे हैं, तो हमारे नवगठित तेलंगाना राज्य के सदस्यों के लिए।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): माननीय अध्यक्ष महोदया, हम सभी इस बात से खुश हैं कि डॉ. तंबिदुरै को सर्वसम्मति से 16वीं लोक सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मुझे विश्वास है कि वह इस पद पर अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने उप-अध्यक्ष, अध्यक्षों की तालिका के सदस्य तथा तमिलनाडु में विभिन्न विभागों के मंत्री जी के रूप में लम्बी सेवा की है।

जब मैं उन्हें उस पद पर पदोन्नति के लिए बधाई देता हूं - निश्चित रूप से, यह अच्छा है - लेकिन साथ ही, संसद में वाद-विवाद के संबंध में कुछ कमी होने वाली है क्योंकि 15वीं और 16वीं लोक सभा की अवधि के दौरान, हम उन्हें एक प्रखर और कुशल सांसद के रूप में देख रहे हैं। वह लगभग सभी मुद्दों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह सच है कि वह तमिलनाडु और विशेष रूप से तमिलनाडु के मछुआरों के मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को कम से कम 100 बार इस सदन में उठाया होगा। तो, हम इसे देख रहे हैं। वह न केवल तमिलनाडु के मुद्दों को उठा रहे थे, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों और अन्य मुद्दों को भी उठा रहे थे।

बेशक, यह भारत में संसदीय प्रक्रिया को समृद्ध करेगा। जैसा कि अन्य सदस्यों द्वारा कहा गया है, जहां तक विपक्ष की संख्या का संबंध है, यह कम हो सकता है। लेकिन एक सदस्य के रूप में कई मुद्दों को उठाते हुए, उन्हें लगेगा कि विपक्ष को पर्याप्त समय और न्याय दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं, सी.पी.आई. (एम) की ओर से, उन्हें इस सदन के उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के लिए बधाई देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, डॉ.एम. तंबिदुरै उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गये हैं, इसके लिए मैं उन्हें अपने दल की तरफ से बधाई देता हूं। सभी जानते हैं कि वह बहुत ही विद्वान और अनुभवी हैं, सदन चलाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी और हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वे अनुभवी हैं। सदस्यों की भावनाएं और समस्याएं कैसे रखी जाती हैं और कैसे सुना जाता है, वह सब जानकारी उनको है। उनके चुने जाने पर हमें खुशी बहुत है, लेकिन एक अफसोस है कि वे मेरे बगल में बैठते थे और उनसे रोज़ाना बातचीत होती थी। अब वे काफी दूर हो गए हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि वे दिल से दूर नहीं होंगे। हमारे और उनके जो रिश्ते और संबंध रहे हैं, वे रिश्ते उनके उपाध्यक्ष के पद पर जाने पर भी कायम रहेंगे। हम पुनः आपको बधाई देते हैं। आप सदन चलाने में कामयाब होंगे। सब की शुभकामनाएं और सब का सम्मान आपको मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पनुः बहुत-बहुत बधाई देते हैं।

[अनुवाद]

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनकपल्ली): धन्यवाद, महोदया। तेलुगु देशम पार्टी और हमारे नेता श्री नारा चंद्रबाबू नायडू की ओर से, मैं डॉ. एम. तंबिदुरै को बधाई देता हूँ। वह एक अत्यंत अनुभवी सांसद हैं और दूसरी बार सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वह बहुत विनम्र व्यक्ति हैं। पिछले डेढ़ महीने से वह संसद के नए सभी सदस्यों को अवसर दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी वह सभी नए सदस्यों को और अधिक अवसर देकर प्रोत्साहित करेंगे, जैसे की महोदया आपने किया था। मुझे उम्मीद और इच्छा है कि आने वाले दिनों में वह निश्चित रूप से सभा की गरिमा को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं उन्हें अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। महोदया, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदया, मैं डॉ. एम. तंबिदुरै को उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने हेतु अपनी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसे सभी सदस्यों ने कहा और प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इनका अनुभव चाहे डिप्टी स्पीकर के रूप में हो या मंत्री जी के रूप में हो, बहुत बढ़िया रहा है। जब ये पहली बार चुन कर आए थे, उस समय ये डिप्टी स्पीकर बने थे। उस समय इन्होंने सदन को बहुत ही सुचारू रूप से चलाया और मार्गदर्शन किया। यह इनका पाचवां टर्म है। निश्चित रूप से इनके अनुभव का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात जिससे हमको खुशी हो रही है कि ये जो पार्लियामेंट है, हमारा एक देश है। इसमें साउथ भी है, नॉर्थ भी है, ईस्ट भी है और वैस्ट भी है। ये सारी संस्कृति जब मिल जाती है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप चेयर पर हैं, डिप्टी स्पीकर के रूप में वे रहेंगे। यह जो हमारा कल्चर है, यह जो हमारा बगीचा है, यह बहुत बड़ी चीज़ को शो करता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से एक बार फिर से तंबिदुरै जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यह सदन सुचारू रूप से काम कर सकेगा। आप जो बहुत ही व्यस्त रहती हैं, कभी-कभी टेंशन में आ जाती हैं, उसमें ये टेंशन को थोड़ा कम करने का काम करेंगे।

श्री तारिक अनवर (कटिहार): अध्यक्षा महोदय, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी एन.सी.पी. की ओर से डॉ. तंबिदुरै जी को बधाई भी देता हूँ और उनको विश्वास भी दिलाता हूँ कि इस हाऊस को सुचारू रूप से चलाने में हम लोग उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। उनका जो अनुभव है, एक लंबे समय से वे इस सदन के सदस्य हैं और एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन के रूप में उन्होंने देश और तमिलनाडु की समस्याओं को हमेशा पूरी मज़बूती से यहां रखा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वे सब को अपने साथ ले कर, इस सदन को विश्वास में ले कर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाएंगे और हम लोगों की तरफ से उन्हें पूर्ण सहयोग मिलेगा ताकि जो हमारी परंपरा है, वह इसी तरह बनी रहे।

[अनुवाद]

श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर): महोदया, मैं इस सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए डॉ. एम. तंबिदुरै की सराहना करता हूँ। मैं उन्हें वर्ष 1989 से जानता हूँ। उनका स्वभाव और रवैया निश्चित रूप से इस पद के लिए उपयुक्त है और निश्चित रूप से वह इस पोस्ट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल): महोदया, मैं अपनी पार्टी की ओर से, शिरोमणि अकाली दल और मेरे मुख्यमंत्री, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की ओर से, डॉ. तंबिदुरै जी को हार्दिक बधाई देती हूं। वास्तव में, यह भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत गर्व का एक स्रोत है कि दक्षिण भारत की क्षेत्रीय पार्टी का एक सदस्य सर्वसम्मति से इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना गया है।

महोदया, यह बहुत समय पहले की बात नहीं है जब पहली बार किसी छोटी पार्टी के सदस्य के रूप में, मैं उस तरफ बैठती थी और डॉ. तंबिदुरै मुझसे उस पार होते थे। अक्सर वह पीठास्न्न होते थे जब बहस करने की हमारी बारी होती थी। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि वह क्षेत्रीय और छोटे दलों के प्रति हमेशा बहुत दयालु थे और समय के साथ बहुत उदार थे। मुझे यकीन है कि उनके अनुभव और उनके मार्गदर्शन के साथ, भले ही अब हम सबसे दूर होकर खड़गे जी के पास हो गये हैं। उनके नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में यह सभा बहस और मर्यादा के नए स्तरों तक जाएगी।

मेरी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविन्द केजरीवाल जी की तरफ से डॉ. एम.तंबिदुरै जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी

ने कहा कि वे विद्वान हैं, किसान हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको समाज के हर वर्ग के दर्द का पता है। मुझे उम्मीद है कि जब वे चेयर पर आसीन होंगे और विपक्ष से कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा होगा तो उनका हाथ बैल बजाने के लिए थोड़ी देर से जाएगा। मैं उनको एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूं।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदया, मैं अम्मा को बधाई देता हूं। ये एक अनुभवी, संवेदनशील और ऊंचे नैतिक मूल्यों के लिए जीने वाले आम आदमी, गरीब और किसानों के दर्द को समझने वाले हैं। ये पांच बार सांसद रहे हैं, तो मैं भी तीन बार इनके साथ रहा हूँ। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मैंने इन्हें अनुभव किया है कि छोटे दलों को, आरजेडी जैसे छोटे दलों को ये संरक्षित भी करेंगे और सुरक्षित भी करेंगे। ...(व्यवधान) मैं इनको हृदय से, अंतःकरण से बधाई देता हूँ। ये सार्वभौमिकता के लिए जीते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को भी बहुत-बहुत हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने उच्च परम्परा को, ऐसी राह को चुनकर हमेशा एक परम्परा को जिंदा किया है। मै एक बार और प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल करने के लिए आग्रह करूंगा कि इसी तरह से विपक्ष में एक सुंदर नेता बनाने के लिए भी आप अपने दिल को बड़ा करें। ...(व्यवधान) यह मेरा आपसे आग्रह होगा। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने उच्च परम्परा को आगे बढ़ाया है और हम भी आपके साथ, उस उच्च परम्परा के साथ खड़े रहेंगे। एक बार पुनः अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई अम्मा को, अपने दल और लालू यादव जी की ओर से, इस पूरे समाज को आप साथ लेकर चलेंगे, इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदया, मैं अपनी ओर से, इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी की ओर से और हमारे मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ओर से डॉ. एम. तंबिदुरै को बहुत-बहुत शुभकामनायें देता हूँ। इन्हें पूरे पार्लियामेंट ने एकतरफा चुनकर इस डिप्टी स्पीकर पद पर भेजा है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जब ये चेयर पर आसीन हों तो जो छोटे दल हैं, जिनके दो या चार सांसद हैं, उनको भी बड़े दलों की तरह समय देकर अपनी आवाज उठाने का मौका दें। एक बार पुनः इंडियन नेशनल लोक दल की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से डॉ. तंबिदुरै साहब को शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ। सदन आज सुखद अहसास कर रहा है। बाकी मौकों पर न सही, यद्यपि इस निर्णय में पक्ष-विपक्ष सभी लोगों की सहमति है लेकिन ऐसा माहौल बनाने में बड़े दलों की भूमिका, खासकर सत्ताधारी दल की भूमिका विशेष होती है। सत्ताधारी दल ने और बड़े दलों ने ऐसी भूमिका निभाई, इस बात के लिए जो उस तरफ के लोग हैं, इस तरफ के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कम से कम इस निर्णय से अच्छे दिन का अहसास तो आप सबको हो रहा होगा।

महोदया, इस सदन के और भारत की संसद के ऐसे निर्णयों से ही दुनिया में हमारे लोकतंत्र को सबसे प्रतिष्ठित लोकतंत्र कहा जाता है। हम आपस में अपनी-अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण अलग मत रखते हैं लेकिन जब दुनिया को संदेश देने की ज़रूरत होती है तो हम सब एक हैं, इस बात का संदेश हम हमेशा देते रहते हैं। आज भी हमने संदेश दिया है। इस बात के लिए मैं पक्ष-विपक्ष, सभी दलों को और सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। आदरणीय प्रधान मंत्री जी बोल रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब और विशेषताओं तथा विशेषणों के अलावा थम्बी दुरई साहब के बारे में उन्होंने कहा कि वे किसान भी हैं। मैं समझता हूँ कि इनके उपाध्यक्ष पद पर आसीन होने से देश के जो किसान हैं, जिनकी नज़र हमारे इस सदन पर हमेशा बनी रहती है, उन किसानों की समस्याओं को यहाँ उठाने में, प्रमुखता देने में इनकी भूमिका होगी, इतनी अपेक्षा मैं इनसे करता हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ फिर से इनको बधाई देते हुए और तमाम पक्ष-विपक्ष के दलों को, सदस्यों को और विशेषकर आदरणीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री तारिक हमीद कर्रा (श्रीनगर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से यहां खड़े होकर डॉ. तंबिदुरै को लोक सभा के उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने पर बधाई देता हूँ।

महोदया, हालांकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और उनके साथ काम करने का अनुभव नहीं है, फिर भी हमने पिछले डेढ़ महीने में जो देखा है वह यह है कि जब भी वह पीठासीन होते हैं, तो वह बहुत उदार रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र विचारों की लड़ाई है और लोकतंत्र का सार आवास है, जो मेरे अनुभव में, वह काफी समय से यहां कायम है। मुझे उम्मीद है कि एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में और हमारे पास सिर्फ तीन सदस्यों का प्रतिनिधित्व है - अन्य सभी क्षेत्रीय दलों ने उन पर भरोसा जताया है। एक समायोजित व्यक्ति होने के नाते, मुझे उम्मीद है, वह उस भावना को बनाए रखेंगे। मैं पुनः डॉ. तंबिदुरै को बधाई देता हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, श्री अंबुमनी रामदोस जी और श्री राधाकृष्णन जी, सभी एक-एक वाक्य में अपनी बात रख दें। श्री कौशलेन्द्र कुमार।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी जनता दल (यू) की तरफ से और अपनी तरफ से डॉ. एम. तंबिदुरै जी को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से आज उनका उपाध्यक्ष के पद पर चयन हुआ। इसके लिए पूरे सदन के तमाम सदस्यों को भी हार्दिक शुभकामना देता हूं। छोटी-छोटी जो पार्टियां हैं, उनको समय देंगे, यही आशा और विश्वास रखता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष, मेरी पार्टी, अपना दल की ओर से, मुझे हमारे नवनिर्वाचित और सर्वसम्मति से निर्वाचित उप-अध्यक्ष, डॉ. एम. तंबिदुरै को बधाई देते हुए खुशी हो रही है। काश हम सभी इस पल के आने का इंतजार करते।

एक नए सदस्य के रूप में, मुझे कई अवसरों पर उनके ज्ञानपूर्ण शब्दों को सुनने का सौभाग्य मिला है और मैं वरिष्ठ सदस्यों से सीखती हूँ कि उन्होंने आठवीं लोक सभा में भी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इसलिए, मुझे आशा है कि सोलहवीं लोक सभा में उनका कार्यकाल समान रूप से गौरवपूर्ण रहेगा। मैं उनसे सीखती रहूंगी और आगे भी सीखती रहूंगी। जिस दृढ़ विश्वास के साथ वह अपनी पार्टी के दर्शन और विचारधारा को सामने रखते हैं, वह प्रशंसा के योग्य है। उनका नया पद ग्रहण करने पर उन्हें मेरी हार्दिक बधाई!

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदया, मैं, अपनी पार्टी, आर.एस.पी. की ओर से, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष, डॉ. एम. तंबिदुरै को हार्दिक बधाई देता हूँ।

महोदया, मैं उन्हें वर्ष 1996 से जानता हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह से आश्वस्त कर सकता हूँ कि वह सबसे अच्छे सांसद हैं और वह जानते हैं कि संसद का उपयोग राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे किया जा सकता है। यहां तक कि अंतिम लोक सभा में, ग्यारह सदस्यों के साथ, वह संसद में अपने मुद्दों की व्याख्या करने और अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम थे। वे पिछले लोक सभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डॉ. तंबिदुरै द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के कारण ऐसा हुआ है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है। महोदया, मैं आपके मार्गदर्शन की आशा करता हूँ। उपाध्यक्ष, डॉ. एम. तंबिदुरै छोटे समूहों और छोटे दलों को न्याय दिलाएंगे।

मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे उन्हें उपाध्यक्ष की अध्यक्षपीठ पर पाकर भी खुशी हो रही है। वह केरल राज्य का बहुत करीबी पड़ोसी और दक्षिण भारत के एक हिस्से के रूप में भी, मैं उन्हें उपाध्यक्ष बनने पर सम्मानित करना चाहता हूँ।

डॉ. अंबुमणि रामादॉस (धर्मपुरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी की तरफ से तिरु एम. तंबिदुरै अवार्गल को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्हें इस सम्मानित सभा में सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

मुझे खुशी है कि आपके पास आपका समर्थन करने के लिए एक सक्षम सहयोगी है। मुझे दोगुनी खुशी है कि एक तमिल होने के साथ-साथ इस प्रतिष्ठित सभा के सबसे अनुभवी सदस्यों में से एक होने के नाते, वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे और विभिन्न दलों और क्षेत्रों के अलावा पूरे सभा ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरेंगे, इस प्रतिष्ठित सभा के उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें चुनने के लिए उनका समर्थन किया।

मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे हमें बोलने के लिए और अधिक समय दें।

श्री आर. राधाकृष्णन (पुडुचेरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी और पुडुचेरी के लोगों की ओर से डॉ. एम. तंबिदुरै को इस सदन का उप-अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ।

मुझे विश्वास है कि अपने विशाल अनुभव से, वह इस सभा की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से संचालित करने और उसमें योगदान देने में सक्षम होंगे।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा (हसन): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अपना तहे दिल से समर्थन देना चाहता हूँ कि उन्होनें डॉ. एम. तंबिदुरै को इस सभा का उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया। मुझे आज सभा के नेता का आभारी होना चाहिए। भले ही, विपक्षी दलों में विभिन्न समूह हैं, उन्होंने पूरे विपक्ष को, चाहे वह एक बड़ा समूह हो या एक छोटा समूह हो, सभी समूहों के साथ सत्ता साझा करने के विश्वास में लेने की कोशिश की है और दूसरे सबसे बड़े समूह, ए.आई.ए.डी.एम.के. को इस सदन के उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है।

यह सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे सभा को विश्वास में लेने के लिए प्रधान मंत्री जी की उदारता को दर्शाता है। मुझे पूरे हृदय से डॉ. एम. तंबिदुरै को बधाई देनी चाहिए, जो मेरा पड़ोसी है। हमारे मन में हमेशा किसानों से जुड़े किसी न किसी मुद्दे पर मतभेद रहा है। लेकिन उन्होंने इसे हमेशा सहजता से लिया। आपकी अनुपस्थिति में, वह सभापति थे। उस समय, जब मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता था, मैंने इस ओर आने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। उसके पास भरपूर धैर्य है।

डॉ. तंबिदुरै सबसे परिपक्व और अनुभवी सांसद हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। इन सबसे अधिक, वह एक किसान हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। वह इस देश की समस्याओं को जानते हैं। मुझे आज इस सम्मानित सभा में एक बार फिर से उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें पूरे हृदय से बधाई देता हूँ। मैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ।

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर): माननीय अध्यक्षा, मैं अपनी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, डॉ. एम. तंबिदुरै को सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे भाई को उपाध्यक्ष चुना गया है। जैसा कि कॉमरेड श्री एन.के. प्रेमचंद्रन ने कहा है, वह हमारे पड़ोसी हैं। केरल बहुत खुश है कि तमिलनाडु का एक व्यक्ति, जो अन्ना दुरई, एम.जी.आर. और जयललिता की भूमि है, लोक सभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ।

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम): मैं अपनी पार्टी, केरल कांग्रेस (एम.) की ओर से इस सभा के नव निर्वाचित और सर्वसम्मति से निर्वाचित उपाध्यक्ष डॉ. एम. तंबिदुरै को बधाई देता हूँ। हमने उन्हें सदन में बोलते हुए देखा है। जब भी कोई चर्चा होती थी, प्रश्नकाल होता था या किसी हस्तक्षेप के दौरान वह दोषसिद्धि से बोलते थे। उनका सामर्थ्य इस संसद में उनका अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज हम सब ने डॉ. मुनिसमी तंबिदुरै को सोलहवीं लोक सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया है। उपाध्यक्ष पद पर उनके निर्वाचन के अवसर पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी राजनीतिक दलों और समूहों के नेताओं को इस महान सभा के समय की कसौटी पर खरी उतरी परंपराओं को कायम रखने और डॉ. मुनिसमी तंबिदुरै को सर्वसम्मति से लोक सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने के लिए सभी को बधाई देती हूं। ऐसी लोकतांत्रिक भावना से ही सभा के निर्विघ्न और स्वस्थ कार्यकरण का मार्ग प्रशस्त होता है।

उपाध्यक्ष के पद का हमारी संसदीय प्रणाली वाली संवैधानिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस पद को धारण करने वाला पदाधिकारी, अध्यक्ष के सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है और उसके दायित्वों का निवर्हन करता है। मैं अपनी ओर से और सभा की ओर से डॉ. तंबिदुरै को लोक सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर बधाई तो देती ही हूं, और उनके बुद्धिमत्ता और राजनीतिक जीवन के दौरान उनके योगदान के दीर्घकालिक अनुभव का यह उपयुक्त सम्मान है, ऐसा मैं महसूस करती हूं। उपाध्यक्ष के पद पर उनके निर्वाचन से निश्चय ही इस पद की गरिमा भी बढ़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में यह सभा सुचारू रूप से और कुशलता पूर्वक कार्य करेगी।

वे पांच बार इस सभा के सदस्य रह चुके हैं। पहली बार वर्ष 1984 में 8वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और लोक सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु भी निर्वाचित हो चुके हैं। तब से चार बार 9वीं, 12वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा के लिए पुन: निर्वाचित हुए हैं। केन्द्रीय केबिनेट मंत्री जी के रूप में भी आपने विधि और न्याय कम्पनी कार्य और भूतल परिवहन सहित विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला है और सभापति तालिका के सदस्य भी आप रह चुके हैं। विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में भी संसदीय कार्य के लिए आपने बहुत योगदान दिया है। मेरा विश्वास है कि राजनीतिक सूझबूझ से यहां पर भी आप अपना एक विशेष स्थान बनाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी एक माननीय साथी इस महान लोक सभा के एक पीठासीन अधिकारी के रूप में मिले हैं, इसके लिए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

मेरा विश्वास है कि हम साझा प्रयास करते हुए इस संसदीय लोकतंत्र की परम्पराओं को कायम रखेंगे और इस आदरणीय संस्था लोक सभा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। माननीय खड़गे जी, मेरा यह भी विश्वास है कि अगर मन साफ हो तो दिल मिलने में कठिनाई नहीं होती है। कदम से कदम मिला करके राष्ट्र को विकास की राह पर हम सभी ले जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और इसमें सभी सम्मिलित भी रहेंगे।

मैं पुन: डॉ. मुनिसमी तंबिदुरै को लोक सभा के उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देती हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, शुरू में, मैं संत तिरुवल्लुवर, महान कवि के दोहे को उद्धृत करता हूँ:-

विनायकुरिमई नदियापिनराई अवनि अठारकु उरियावनगा सेयल। अपनी क्षमता का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के बाद एक जिम्मेदारी सौंपें। यह इस छोटे लेकिन महान दोहे का अर्थ है।

महोदया, मुझे यह साबित करना है और उस स्तर तक ऊपर उठना मेरी ज़िम्मेदारी है। सभा ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है और मैं यह साबित कर दूंगा कि मैं इसके लायक हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके और माननीय सदस्य के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इस सम्मानित सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुझे लोक सभा के उप-अध्यक्ष के उच्च पद के लिए चुना।

सबसे पहले, मैं अपने नेता *पुरात्चीथलाईवी* तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. *अम्मा* को मुझे दूसरी बार उप-अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय *अम्मा* को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होनें ने मुझे इस उच्च पद पर प्रायोजित करके मुझ पर भरोसा जताया।

मैं भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी का इस सम्मान को देने के लिए आभारी हूँ। मैं अपने दोनों नेताओं, माननीय *पुरात्चीथलाईवी अम्मा* और माननीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करता हूँ कि मैं उनकी पसंद के लायक साबित होऊंगा। मेरे माननीय नेता *पुरात्चीथलाईवी अम्मा* का नारा है: *मक्कलल नान, मक्कलुकगा नान* इसका अर्थ है कि मैं लोगों के साथ हूँ और लोग मेरे साथ हैं। ऐसे ही माननीय *अम्मा* ने इतिहास रचा और 39 सीटों पर चुनाव लड़कर तमिलनाडु से 37 सांसदों को इस प्रतिष्ठित सभा में भेजा। इनहोने हमारी पार्टी, ए.आई.ए.डी.एम.के., वर्तमान लोक सभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दी।

मैं हमारी पार्टी के संस्थापक नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, भारत रत्न, *पुरात्चीथलाइवर* डॉ. एम.जी.आर. का भी बहुत आभारी हूँ। सफलता के लिए उनका नारा हैः उझाईपे उयार्वुइसका मतलब है, कड़ी मेहनत और प्रयासों से सफलता मिलती है।

महोदया, हमारे महान नेता पेरारिग्नर अन्ना, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास महान सिद्धांत थे: *कदमई, कन्नियम, कट्टुप्पडु।* इसका अर्थ है कर्तव्य, गरिमा और अनुशासन।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

लोक सभा के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मेरा हमेशा उन सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास रहेगा।

तमिलनाडु के महान राजनीतिक और सामाजिक सुधारक, *थंथई पेरियार,* ने जातीय विभाजन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए खड़े हुए। मेरे माननीय नेता *पुरात्चीथलाईवी अम्मा* यह देखने के लिए सभी प्रयास कर रही है कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण एक वास्तविकता बन जाए। इस विधेयक को संसद द्वारा पारित किया जाना है। हम यही उम्मीद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह सभा इसे जल्दी से उठाएगी और महिला आरक्षण विधेयक पारित करेगी जो विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देता है।

मैं सदन के नेता, भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी, और इस सदन के अन्य राजनीतिक नेता, और इस सदन के अन्य माननीय सदस्य द्वारा किए गए गर्मजोशीपूर्ण संदर्भ से बहुत अभिभूत हूँ।

माननीय अध्यक्ष, मुझे इस तथ्य के बारे में पता है कि यह पद सभी प्रख्यात पूर्ववर्तियों द्वारा आसीन किया गया है, और मैं उनके नक्शेकदम पर चलूंगा। उनकी समृद्ध परंपराएं मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करने और इस सदन की गरिमा को बनाए रखने में मार्गदर्शन करेंगी।

जब मैं सभा में बैठूंगा तो वे मेरे विचारों में हमेशा रहेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करूं जैसा कि मुझसे अपेक्षा की जाती है। साथ ही, मैं इस सदन के सभी वर्गों से सहयोग मांगूंगा, और मुझे यकीन है कि यह प्रचुर मात्रा में सामने आएगा। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सभी दलों, समूहों और व्यक्तिगत सदस्यों के हितों को अपने मन में रखूंगा। अधिकांश सदस्यों ने इसके संबंध में अनुरोध किया है। निश्चित रूप से, मेरे अनुभव के आधार पर, मैं इसका ध्यान रखूंगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सदन चलाने में आपका पूरा-पूरा सहयोग रहेगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं मेरे नेता, माननीय *पुरात्ची थाइलैवी अम्मा* की ओर से, मेरी पार्टी, ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से, और अपनी तरफ से इस उच्च पद के लिए मुझे चुनने के लिए आपको, भारत के माननीय प्रधान मंत्री, सभी राजनीतिक दलों के नेता, और इस सदन के माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आज इस आनंद के क्षण में लंच टाइम नहीं होना है।

<u>अपराह्न 1.02 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले [8*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सदन के पटल पर रखे जाएंगे। सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है और वो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर विषय का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा के पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल उन विषयों को साभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए विषय का पाठ निर्धारित समय के भीतर तालिका में प्राप्त हुआ है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए सामुदायिक भवनों तथा रैन बसेरों का प्रावधान करने तथा ऐसी महिलाओं को अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करके कमाने में उनकी मदद करने के लिए उन्हें कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) : हमारे संसदीय क्षेत्र धौरहरा (उ.प्र.) अंतर्गत जनपद-लखीमपुर (खीरी) के सिसैया में निराश्रित विधवा महिलाएं एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं आदि के लिए सामुदायिक भवन/रैन बसेरा बनवाने की अति आवश्यकता है। साथ ही ऐसी महिलाएं आदि को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए प्रेरित करने व समाज में बराबर की हिस्सेदारी दिलाने की भी आवश्यकता है।

अतः मैं मांग करती हूं कि उक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्यवाही करने की कृपा करें।

[8*] सभा पटल पर रखा माना गया।

(दो) मध्य प्रदेश के भिंड में एक सैनिक स्कूल खोले जाने के साथ-साथ भिंड और दतिया में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड) : मध्य प्रदेश के भिंड तथा दतिया जिले शिक्षा की गुणवत्ता में पीछे है। इस क्षेत्र के बच्चे कर्मठ एवं लगनशील हैं। अनुकूल वातावरण के अभाव में शिक्षा का अपेक्षित स्तर नहीं रह पाता है।

भिंड जिले में बड़े पैमाने पर सेना में लोग भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भिंड जिले से 4 हजार से अधिक सैनिक भारतीय सेना में कार्यरत हैं तथा 6537 पूर्व सैनिक तथा 1301 युद्ध विधवाएं हैं। इनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय खोले जाना आवश्यक है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि भिंड में कम से कम दो एवं दतिया में एक आतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए। भिंड में एक सैनिक स्कूल खोला जाए, जिससे सैनिकों के बच्चों को सेना में अफसर बनने के अवसर मिल सके।

(तीन) बलिया में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सुरहा ताल (तालाब) को एक वाटर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री भरत सिंह (बलिया) : मेरे संसदीय क्षेत्र बलिया जनपद के बसन्तपुर में स्थित सुरहा ताल को वाटर स्पोर्ट्स केन्द्र के रूप में विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। यह वृहद तरण ताल (तालाब) है जिसका क्षेत्रफल लगभग 25.6 किमी. है जोकि वाटर स्पोर्ट्स केन्द्र के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। इस ताल पर पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा वाटर स्पोर्ट्स केन्द्र का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है। इस योजना को शीघ्र अमली जामा पहनाए जाने पर सुरहा ताल पूरे उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा। वाटर स्पोर्ट्स केन्द्र के निर्माण से क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर भी सुलभ हो सकेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी के पर्यटन विकास योजना को गति मिलेगी जिससे देश-विदेश के पर्यटकों द्वारा देश को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बसन्तपुर में स्थित सुरहा ताल को वाटर स्पोर्ट्स केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए जिससे बलिया भी पर्यटक स्थल के मानचित्र में अंकित हो सके।

(इति)

(चार) मिश्रिख संसदीय निर्वचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ों को रोकने के लिए वहाँ गंगा नदी पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : पवित्र माँ गंगा उत्तराखण्ड प्रदेश के गंगोत्री से उद्गम होकर हरिद्वार, सहारनपुर, फर्रू खाबाद, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बलिया होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। हमारी सरकार ने पवित्र माँ गंगा के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। माँ गंगा के विकास के क्रम में मैं अपने लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के उस क्षेत्र के विषय में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है।

बिलग्राम-मल्लावां क्षेत्र के सढ़ियापुर गाँव के पास माँ गंगा में गर्रा नदी का मिलान होता है, जिससे इस क्षेत्र में पानी के बहाव की गति बहुत विकराल हो जाती है। इससे सढ़ियापुर गाँव से उन्नाव जनपद के गहरिपुरवा गाँव तक माँ गंगा के तट पर बसे हुए सैकड़ों गाँव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। अभी तक पचासों गाँव भूमि कटान के कारण पानी में बहकर अपना आस्तितत्व समाप्त कर चुके हैं। इस बाढ़ की समस्या के कारण प्रतिवर्ष यहाँ के निवासियों के जन-धन का नुकसान होता रहता है। सढ़ियापुर गाँव से गहरिपुरवा गाँव की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है।

इस बाढ़ की अति गंभीर समस्या को मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहती हूं तथा मांग करती हूं कि जनहित में बाढ़ की इस गंभीर समस्या का समाधान माँ गंगा के किनारे पर तट बांध निर्माण कराकर कराया जाए।

(पांच) राजस्थान के नागौर में समपार संख्या सी-61 पर रेल उपरिपुल क निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : मैं मेरे लोक सभा क्षेत्र के मुख्यालय नागौर की प्रमुख समस्या से भारत सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। नागौर शहर की जनसंख्या लगभग 1 लाख 40 हजार है एवं जिला मुख्यालय है। इस शहर में से एनएच 89 व 65 गुजरता है। शहर का रेलवे फाटक सी-61 अधिकतर समय बंद रहने के कारण दुर्घटना में आपातकालीन मरीज को जिला मुख्यालय चिकित्सालय जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही कृषि उपज मण्डी जाने के लिए भी काश्तकारों को इसी क्रासिंग से जाना होता है। इस रेल मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 40 गाड़ियों का आवागमन रहने के कारण रेलवे फाटक हमेशा बंद मिलता है। इस कारण से मरीजों, स्थानीय लोगों, मण्डी माल ले जाने वाले काश्तकारों को एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से अजमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं जयपुर की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें काफी देर तक रेलवे फाटक के दोनों ओर कतारों में व्यर्थ में खड़ा रहना पड़ता है। मानव का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी एवं सड़क परिवहन मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की कृपा करें।

(छह) राजस्थान के जयपुर में एकल चरण में अनारक्षित वन भूमि के लिये स्वीकृति दिए जाने तथा वहां पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री चाँद नाथ (अलवर): वन भूमि अनारक्षण के प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा दो चरणों में स्वीकृति जारी की जाती है। भारत सरकार समस्त परियोजनाओं के अनारक्षण प्रस्तावों की स्वीकृति एकल चरण में जारी करें एवं स्वीकृति में लगाई गई शर्तों की पालना राज्य सरकार के स्तर पर की जावे।

कतिपय राजकीय परियाजनाओं में मुख्यतः आधारभूत संरचनाएं जैसे स्कूल, चिकित्सालय, विद्युत एवं संचार लाइनें, पेयजल योजनाएं, विद्युत सब स्टेशन, संचार पोस्ट, सड़क निर्माण एवं सुधार आदि सम्मिलित हैं। इसलिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सामान्य स्वीकृति के अंतर्गत एक हेक्टेयर से बढ़ाकर दस हेक्टेयर कर दिया जाए। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में खोला जाना प्रस्तावित है जोकि लखनऊ में है ताकि राजस्थान राज्य से संबंधित ऐसे प्रस्ताव जिनमें 40 हेक्टेयर तक अनारक्षण हेतु प्रस्ताव त्वरित गति से निस्तारण हो सके। भारत सरकार को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट एवं नगरपालिका अपशिष्ट जल के उपचार एवं निस्तारण के लिए स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को पर्याप्त व्यवस्थाएं स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध है क्योंकि राजस्थान सरकार अकेले इस राशि को वहन नहीं कर सकती।

(सात) कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाने तथा कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : हमारे देश के कई क्षेत्र विशेष अपने विशिष्ट फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान कौशाम्बी जनपद का निर्माण इलाहाबाद जनपद के एक भाग को अलग करके किया गया। कौशाम्बी लोक सभा क्षेत्र अंतर्गत कुन्डा एवं बाबागंज विधान सभा क्षेत्र (जनपद प्रतापगढ़) आवंला उत्पादन के लिए तथा कौशाम्बी विश्व प्रसिद्ध अमरूद तथा केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इन जनपदों की लगभग 95 प्रतिशत आबादी कृषि विशेष रूप से इन फलों के उत्पादन पर निर्भर है। क्षेत्र में आज भी तकनीकी एवं विपणन सुविधा का अभाव है। केन्द्र एवं प्रदेश के संबंधित विभागों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

इन फलों के व्यावसायिक उपयोग हेतु उद्योगों की स्थापना भी नहीं की गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त फलों की प्रचुर मात्रा में उत्पादन के बावजूद किसानों को फलोत्पादन का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन फलों के भंडारण हेतु भी कोई उचित व्यवस्था केन्द्र अथवा राज्य सरकार की ओर से नहीं की गई है। परिणामस्वरूप किसानों द्वारा फल-बागों को समाप्त किया जा रहा है तथा रोजगार की तलाश में क्षेत्र के नौजवानों का पलायन देश के अन्य प्रदेशों में हो रहा है।

इलाहाबाद नगर के विस्तार के साथ फल-पट्टी आवासी कालोनियों में परिवर्तित हो गई है। प्रदेश शासन की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप इलाहाबाद की विश्व प्रसिद्ध सफेदा अमरूद की प्रजाति विलुप्त हो गई है।

अतः इन जनपदों में फलों के भंडारण हेतु उचित आधारभूत संरचना जैसे कोल्ड स्टोरेज आदि का विकास (निर्माण) हो तथा इन फलों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योगों का विकास/निर्माण किया जाए जिससे फलोत्पादन किसानों के लिए फायदे का क्रियाकलाप बन सके और किसानों एवं नवयुवकों के लिए उचित रोजगार के अवसर सृजित हो सके।

अतः अनुरोध है कि कौशाम्बी लोक सभा क्षेत्र हेतु योजना बनाकर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं फल प्रसंस्करण के अतिरिक्त क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग की भी अपार संभावनाएं हैं। सरकार इस प्रकार से इन पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास कर सकेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा इन क्षेत्रों से नवयुवकों का रोजगार के लिए पलायन रोका जा सकेगा।

(आठ) राजस्थान के सभी प्रमुख नगरों में सी.एन.जी. स्टेशन खोले जाने की आवश्यकता

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : पूरे राजस्थान में वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को न्यूनतम करने की दृष्टि से भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से निवेदन किया गया था कि राजस्थान के मुख्य शहरों और राजमार्ग पर सी.एन.जी. आउटलेट खोले जाये ताकि सी.एन.जी. का मुख्य मोटर ईंधन के रूप में उपयोग हो सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा भी माननीय केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी को पत्र प्रेषित कर राज्य के मुख्य शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेंर, भरतपुर, बीकानेर एवं अलवर आदि में सी.एन. जी. स्टेशन खोलने का अनुरोध किया जा चुका है। इस कार्य में हो रही देरी जहाँ एक ओर पर्यावरण सुरक्ष के राजस्थान राज्य के कार्यक्रमों को जोखिम में डाल रही है, वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्णय की अनुपालना नहीं करने का दोषी भी बना रही है।

मैं माननीय केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, राजस्थान के सभी मुख्य शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर बीकानेर एवं अलवर में सी.एन.जी. स्टेशन खोलने का शीघ्र निर्देश देने का कृपा करे ताकि वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।

(नौ) राजस्थान के राजसमंद जिले में निर्माणाधीन चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के महत्वपूर्ण स्थानों पर उपरि पुलों तथा अंडर ब्रिजों के निर्माण को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड गोमती-उदयपुर फोर लेन निर्माणाधीन कार्य की डी0पी0आर0 दोषपूर्ण है। जहां केलवा गाँव में एलेवेटेड ओवरब्रिज बनना चाहिए था वहाँ नहीं बना। ग्राम राजनगर में ब्रिज जितना लंबा बनना चाहिए था उतना लंबा नहीं बना और मेन क्रासिंग सनवाड राजनगर से पहले ही ड्राप-डाउन कर दिया। नाथद्वारी में जहाँ बाइ पास होना चाहिए था वहॉ एलेवेटेड ओवरब्रिज बनाकर राजस्व बोझ बढ़ाया गया और कई ऐसे गाँव जहां अंडर पास की आवश्यकता थी उनका प्रावधान नहीं रखा है। गाँव मण्डावाला में टोल प्लाजा गलत स्थान पर बनाया गया है। मैं माननीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि संभव हो तो सारी योजना का पुनः अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

(दस) बिहार में सामान्य और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों जिन्होंने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा जिनके पास अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए बी.एड. की डिग्री नहीं है, को छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : मैं सरकार का ध्यान बिहार के शिक्षक को टी.ई.टी. परीक्षा में उतीर्ण हुए हैं पर इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

किसी भी परीक्षा में परीक्षा देने का मापदण्ड समान होता है पर शिक्षक नियोजन की इस परीक्षा में जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आति पिछड़ों को ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा बी0एड0 करने के लिये 5 वर्षों की छूट दी गई है वहीं पिछड़ों एवं सामान्य छात्रों को यह छूट नहीं दी जा रही है जबकि भारत सरकार की दृष्टि में पिछड़े एवं अति पिछड़े दोनों ओ.बी.सी. में ही आते हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को यह अनुरोध होगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन को एक बराबर मानते हुए सामान्य जाति एवं पिछड़े जाति के छात्रों को भी बी.एड. से उतनी ही दिन की छूट मिले जितना अति पिछड़े एवं एस.सी.,एस.टी. छात्रों को मिल रही है इससे न केवल हजारों छात्रों को नौकरी मिलेगी बल्कि बिहार में शिक्षा का भी सुधार होगा।

(ग्यारह) घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की घटती कीमतों को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत प्राकृतिक रबड़ के आयात को रोक दें। पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी बाजारों से भारत में प्राकृतिक रबर की भारी प्रवाह हुआ है। तीन वर्ष पहले आयातित प्राकृतिक रबड़ की मात्रा 50,000 टन थी और अब इस संबंध में आंकड़ा 325190 टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत के पास 240000 टन प्राकृतिक रबड़ का भंडार है। इसके अलावा पिछले महीने घरेलू उत्पादन में भी 28.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत में प्राकृतिक रबड़ के बंपर उत्पादन और अतिरिक्त स्टॉक के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में इसका आयात लगातार बढ़ रहा है। नतीजतन, घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमत दिन-ब-दिन घटती जा रही है। उदाहरण के लिए पिछले सप्ताह घरेलू बाजार में आर.एस.एस.-4 ग्रेड प्राकृतिक रबर की कीमत 138 रुपये प्रति कि.ग्रा. थी। लेकिन आज यह 136 रूपए प्रति कि.ग्रा. पर आ गया। प्राकृतिक रबर की कीमतों में तेज गिरावट केरल की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी क्योंकि देश में प्राकृतिक रबर उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत है। इसलिए, मैं सरकार से इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

(बारह) वाहनों में सन कंट्रोल फिल्मों के उपयोग की अनुमति देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

प्रो. के. वी. थोमस (र्नाकुलम): माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी ने सड़क सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मोटर वाहनों के प्रावधान करने के लिए घोषणा की है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 पर फिर से विचार कर रहा है। दुनिया भर में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों में से एक वी.एल.टी. पर अनिवार्य प्रतिबंधों के साथ सूर्य नियंत्रण फिल्मों के अनुप्रयोग (पेस्टिंग) द्वारा ऑटोमोबाइल के सुरक्षा ग्लास (फ्रंट, रियर और साइड विंडो-पेन) की टिंटिंग प्रदान करता है। यह कारखाने निर्मित टिंटेड ग्लास की तुलना में सूर्य नियंत्रण फिल्म के साथ टिंटिंग की अंतर्निहित श्रेष्ठ विशेषताओं के कारण है क्योंकि सूर्य नियंत्रण फिल्म का उपयोग किफायती होने के अलावा कार के सवारों को अल्ट्रा बैंगनी किरणों से बचाता है जो त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण है। इसके अलावा, सूर्य नियंत्रण फिल्म का अनुप्रयोग सुरक्षा ग्लास की मजबूती को बढ़ाता है और दुर्घटना या ग्लास को नुकसान की स्थिति में इसके टूटे हुए टुकड़ों को अंधाधुंध उड़ान भरने से रोकता है, इस प्रकार यात्रियों को गंभीर चेहरे और अन्य शारीरिक चोटों से बचाता है। ए.आर.ए.आई. अध्ययन के अनुसार ऑटोमोबाइल सुरक्षा ग्लास पर सूर्य नियंत्रण फिल्म का उपयोग ईंधन दक्षता को कम से कम 5% *अन्य में* प्रतिवर्ष 7000 करोड़ रूपए के राजस्व से अधिक की बचत करके बढ़ाता है।

हालाँकि, सी.एम.वी अधिनियम 1988 के नियम 100(1) के उचित स्पष्टीकरण के अभाव के कारण, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इस तरह से व्याख्या की कि ऑटोमोबाइल पर सूर्य नियंत्रण फिल्म का उपयोग अवैध है जिससे हज़ारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। संयोग से सन कंट्रोल फिल्म को भारत द्वारा 80 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है।

उपरोक्त आलोक में, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वी.एल.टी. मानकों के साथ सुरक्षा ग्लास की टिंटिंग के लिए सूर्य नियंत्रण फिल्म को शामिल करने के लिए सी.एम.वी. अधिनियम 1988 के नियम 100(1) में संशोधन के संबंध में अपने मंत्रालय की स्थिति और रुख को निर्दिष्ट करने की कृपा करें।

(तेरह) वर्तमान वित्तीय वर्ष में तमिलनाडु में एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती वी. सत्यबामा (तिरूप्पुर): हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य में संस्थान जैसे सभी भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। इस संबंध में तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी का एक पत्र मिला है जिसमें राज्य सरकार से राज्य में एक नए संस्थान की स्थापना के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान करने का अनुरोध किया गया है। तमिलनाडु सरकार पहले ही कांचीपुरम जिले के चेंगलपट्टू, पुदुकोट्टई जिले के पुदुकोट्टई शहर, तंजावुर जिले के सेंगीपट्टी, इरोड जिले के पेरुंदुरई और मदुरै जिले के थोपपुर में आवश्यक भूमि की पहचान कर चुकी है जहां उपयुक्त सड़क संपर्क वाली भूमि पहले से ही राज्य सरकार और उसकी एजेंसियों के कब्जे में है। सभी पांचों स्थानों पर पर्याप्त पानी और बिजली भी उपलब्ध है, जिनके पास उत्कृष्ट रेल और हवाई संपर्क भी है। तमिलनाडु में संस्थान जैसे आयाम स्थापित करने से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में सुविधाओं में काफी वृद्धि होगी और गरीब और मध्यम वर्गों को लाभान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल भी उपलब्ध होगी। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 जुलाई 2014 को माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है कि तमिलनाडु को उन राज्यों की सूची में शामिल किया जाए जिनमें वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ही संस्थान जैसे आयाम स्थापित किए जाएंगे। चूंकि तमिलनाडु को वर्ष 2012-13 में स्थापित संस्थानों की तरह छह एम्स के पहले बैच में बाहर रखा गया था, इसलिए मैं केंद्र से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ही तमिलनाडु में संस्थान की तरह एम्स स्थापित करने की अपील करता हूँ।

(चौदह) पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बांसबेरिया में एक रेलवे हॉल्ट स्टेशन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली): लंबे समय से पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले के बांसबेरिया में एक हॉल्ट स्टेशन के निर्माण की मांग है। हॉल्ट स्टेशन का नाम हाजी मो. मोहिसिन हॉल्ट स्टेशन है। हालांकि, काम शुरू हो गया है, पर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह लाइन इस क्षेत्र में रहने वाले रेल यात्रियों के लिए जीवन-रेखा है क्योंकि यह हॉल्ट स्टेशन पश्चिम बंगाल में हुगली जिले और आसपास के बाकी जिलों के बीच आवागमन में मदद करेगा। इन परिस्थितियों में, मैं माननीय रेल मंत्री जी से बिना किसी देरी के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बांसबेरिया में हॉल्ट स्टेशन को पूरा करने का पुरजोर अनुरोध करना चाहती हूँ।

(पंद्रह) पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): कोलकाता की मेट्रो रेलवे दुनिया की सबसे अच्छी रेलवे में से एक थी। लेकिन वर्तमान में, कोलकाता में मेट्रो रेलवे के संचालन से यात्रियों में चिंता और तनाव पैदा हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में कई भयावह घटनाएं हुई हैं और मेट्रो रेल यात्री भयभीत हैं।

दूसरी ओर, पूर्वी पश्चिम मेट्रो परियोजना को पूरी तरह से अनिश्चितता में डाल दिया गया है। इस परियोजना के लिए कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना के पूरा होने के बाद कोलकाता शहर कम यातायात खतरे वाले शहर के रूप में उभरेगा।

रेल मंत्री जी से मेरी मांग है कि कोलकाता की पूर्वी-पश्चिमी मेट्रो परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आबंटित किया जाए। मेट्रो रेलवे में सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा, मैं भारतीय रेलवे में 100% एफ.डी.आई. के निर्णय का विरोध करता हूं (जहां यह लागू होगा) कुछ क्षेत्रों में जिसमें बुनियादी ढांचा खंड शामिल हैं।

(सोलह) नौपाड़ा (आंध्र प्रदेश) से गुनुपुर (ओडिशा) रेल लाइन के आमान परिवर्तन बढ़ाकर थेरुबली तक किए जाने की आवश्यकता

डॉ. सिद्धांत महापात्र (बेरहमपुर): नौपाड़ा (आंध्र प्रदेश) का आमान परिवर्तन (ओडिशा) पूरा हो गया है लेकिन थ्रूबली तक 60 किलोमीटर का विस्तार अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए, आमान परिवर्तन के उद्देश्य और लाभ ने रेलवे और समाज को वांछित लाभ नहीं पहुंचाया है।

नौपाड़ा से गुनुपुर तक रेल लाइन का आमान परिवर्तन, यदि थरुबली तक विस्तारित किया जाता है, तो दो प्रमुख गलियों (चेन्नई-हावड़ा और विशाखापत्तनम-रायपुर) को जोड़ेगा। इस लाइन में दक्षिण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भीतरी इलाकों में गोपालपुर पत्तन के साथ पत्तन कनेक्टिविटी होगी।

नाल्को, वेदांता, उत्कल एल्युमिना आदि जैसी औद्योगिक इकाइयाँ अपने खनिजों के परिवहन के लिए प्रमुख उपयोगकर्ता होंगी। इसके माल ढुलाई राजस्व के माध्यम से रेलवे को भी उतना ही लाभ होगा। यह लाइन ओडिशा के के.बी.के. और गजपति जिलों, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले और छत्तीसगढ़ के हिस्से में रहने वाले आदिवासी लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में एक उल्लेखनीय बदलाव लाएगी।

यह लाइन आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तीन राज्यों की माओवादी गतिविधियों को रोकने में भी मदद करेगी। इसलिए, मैं रेल मंत्री जी से इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

(सत्रह) निर्धारित शर्तों के अनुसार जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जे.एल.एन.पी.टी.) द्वारा नहवा और शेवा गाँवों के विकास के लिए भूमि आबंटित किए जाने और जे.एल.एन.पी.टी. को जाने वाली सड़क पर यातायात व्यवस्था सुचारू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जे.एन.पी.टी.) भारत सरकार का एक बहुत ही लाभदायक पोर्ट है परंतु इस पोर्ट की अन्य समस्याओं पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, महोदया, सिड्को ने नावा सेवा गांव की जमीन जे.एन.पी.टी. बनाने हेतु अधिग्रहण की और गांववासियों को विस्थापित करते समय यह वादा किया गया कि गांववासियों को 23 हैक्टेयर जमीन ग्राम विकास के लिए दी जाएगी और स्थानीय किसानों को यह भी वादा किया गया है कि अधिग्रहण की गई कुल जमीन का 12.5 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय किसानों को लौटाया जायेगा परंतु वर्ष 1970 से अब तक राज्य या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण परियोजना से प्रभावित जनता अपने अधिकारों हेतु समय समय पर आंदोलन करते हैं।

जे.एन.पी.टी. जाने वाले रास्ते की चौड़ाई कम होने के कारण और रास्ते में ट्रक कंटेनर खड़े किया जाने के कारण ट्रैफिक एवं पार्किंग की समस्या भी उत्पन्न होती है।

अतः मैं सरकार से उक्त विषयों पर ठोस कदम उठाने एवं किये गये वादे के मुताबिक नावा सेवा इन दोनों गांवों को 23 हैक्टेयर व 12.5 प्रतिशत जमीन विस्थापित किसानों को तुरंत दिए जाने की मांग करता हूं और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के रास्ते की ट्रैफिक समस्या को हल करने हेतु पार्किंग की सुविधा भी दिए जाने की मांग करता हूं।

(अठारह) आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पिदूगुरल्ला शहर में एक नए ई.एस.आई. अस्पताल को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद] **श्री रायपति सम्बसिवा राव (नरसाराओपेट):** आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप, अवशिष्ट और आंध्र प्रदेश के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कई अन्य क्षेत्रों में कुछ सुविधाएं बची हैं। नई एन.डी.ए. सरकार ने मूल क्षेत्रों में सभी सुविधाओं के साथ अवशेष और आंध्र प्रदेश को नए सिरे से बनाने का वादा किया है।

इस संबंध में, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि पिदूगुरल्ला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक शहर और नगर पालिका है। यह अपने सफेद सीमेंट, चूना पत्थर और सीमेंट उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यह समृद्ध खनिजों से संपन्न है। इसमें लगभग 45 चावल मिलें (उबले हुए चावल और कच्चे चावल), 55 सफेद सीमेंट कारखाने, 6 रोलर मिलें और 25 पोल्ट्री फार्म और ग्रिट (लाइमस्टोन) विनिर्माण इकाइयां हैं। यह जगह गुंटूर जिले के सबसे औद्योगिक शहरों में से एक है। इसमें लगभग 300 चूना पत्थर भट्ठियां, चूना हाइड्रेटिंग मिलें, बहुत सारी कपास मिलें और पेंट उद्योग हैं। कुछ 2-5 फ्लाई ऐश ईंट उद्योग हैं। लगभग 15 एच.डी.पी.ई./पी.पी. बुनी हुई बोरी सिलाई कंपनियां हैं जो अधिकांश चावल मिलों को चावल बैग की आपूर्ति करती हैं। इसके अलावा, बहुत सारे लकड़ी के डिपो हैं।

इडुगुरल्ला पूरे आंध्र प्रदेश को सफेद नींबू की आपूर्ति करने वाला शहर है। लोगों का मुख्य पेशा चूना पत्थर और सफेद सीमेंट का निर्यात करना है। वहाँ लकड़ी के डिपो, खोखले ईंट उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, अनाज और चावल और मूँगफली का तेल जैसे कई उद्योग हैं।

इसके अलावा, दचेपल्ली, नादिकुडी, गुराजाला जैसे शहर जो सीमेंट उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं, पिडुगुरल्ला शहर के पास स्थित हैं। इन क्षेत्रों में स्थित सभी उद्योग श्रमिक केंद्रित हैं; और दो लाख मजदूर हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वे इन उद्योगों से अपनी आजीविका चला रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास

स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता तक पहुंच नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उस क्षेत्र में मजदूरों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पिडुगुरल्ला शहर में एक नए ई.एस.आई. अस्पताल की मंजूरी देने की कृपा करें।

(उन्नीस) विशेषकर बिहार के नालंदा जिले में मौसम सांख्यिकी पर आधारित फसल बीमा योजना को बंद किए जाने तथा वहां राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : नालंदा जिले में फसल बीमा योजना में काफी गड़बड़ी हो रही है। जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वहां फसल बीमा के लाभ-हानि का दावा वर्षा मापक यंत्र से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर निर्धारित करना होता है, किंतु एक प्राइवेट कंपनी एनसीएमएसएल द्वारा वर्षापात द्वारा एकत्रित कर फसल बीमा लाभ दिया जा रहा है जो बिल्कुल फर्जी है। यह धोखाधड़ी साफ नजर आता है कि एनसीएमएसएल द्वारा 16.7.2012 को वर्षा मापक यंत्र का आंकड़ा 5.58 एमएम वर्षा दिखाया गया जबकि बिहार सरकार के नालंदा जिला के सांख्यिकी विभाग द्वारा दिखाया गया आकड़ा दिनांक 16.7.2012 में 17.02 एम.एम. दिखाया गया है। इसी प्रकार दिनांक 17.07.2012 को एनसीएमएसएल द्वारा प्राप्त आंकड़ा 50.28 एम.एम. है जबकि बिहार में सांख्यिकी विभाग का आंकड़ा 17.07.2012 को 64.02 एम.एम. बारिश है। इसी प्रकार ढेर सारे आंकड़ों में काफी भिन्नता है। साथ ही एनसीएमएसएल द्वारा किसानों को फसल बीमा का दावा भुगतान 1004 रूपये प्रति हैक्टेयर से किया गया, जबकि बिहार सरकार के सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार करीब 3000 रूपये होना चाहिए। इसी प्रकार जिले में करीब 50 हजार किसानों को राशि दी जा रही है। एक चौंकाने वाला विषय है कि गेहूं में प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत लिया जाता था जो 2014 से बीमित राशि का 4.8 प्रतिशत लिया जा रहा है। इसी प्रकार धान (खरीफ) 2014 के पूर्व बीमित राशि का प्रीमियम 2.5 प्रतिशत था, जो 2014 में 5 प्रतिशत कर दिया गया, जो किसानों के द्वारा भुगतान संभव नहीं है।

अतः कृषि मंत्री जी से आग्रह है कि किसानों के इस महत्वपूर्ण विषय को संज्ञान में लेकर फसल बीमा में पहले की तरह प्रीमियम रहने दिया जाए तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना को बंद कर पूर्व में संचालित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किया जाए। साथ ही साथ खरीफ एवं रबी का बीमित राशि प्रति हेक्टेयर बढ़ाया जाय।

(बीस) महाराष्ट्र में पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी (हातकंणंगले) : केन्द्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2008 में पूरे देश में ग्राम पंचायतों को कम्पयूटर (संगणक) सेवा से जोड़ने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया था। उसके तहत केन्द्र सरकार ने राज्यों को करोड़ों रूपयों कि निधि आबंटित की थी। ग्राम पंचायत का कारोबार पूरे तरीके से ऑन लाईन हाना चाहिए, यह उद्देश्य उस योजना के पीछे था। इसके तहत पंचायत की तरफ से दिए जाने वाले दाखिले और दस्तावेज (कागजात) आम जनता को इस सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराने का भी उद्देश्य था।

हमारे महाराष्ट्र सरकार और टाटा कन्सलटेंसी इनके ज्वाइंट व्हेंचर से " महाऑन लाईन " नामक कंपनी का निर्माण किया गया। इस कंपनी ने ग्राम विकास मंत्रालय की मदद से महाराष्ट्र राज्य में 32 हजार डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की। इन ऑपरेटर्स को हर माह 8,000/- (आठ हजार रूपये) मेहनताना देने का सरकार ने लिखित आदेश में स्पष्ट रूप से जारी किया था। लेकिन उसके बावजूद पहले दिन से ही 8,000/- रूपयों की जगह 4,000/- (चार हजार रूपये) की रकम 'महा ऑन लाईन' नामक कंपनी ने अपनी तरफ से डेटा ऑपरेटर्स को बिना बताए डायव्हर्ट कर ली। यह चौंकाने वाली खबर पूरे महाराष्ट्र में फैल गई है और इसी संदर्भ में यह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स लगातार पिछले छह महीनों से आंदोलित है।

केन्द्र सरकार से ग्राम विकास मंत्रालय की तरफ से चलायी जा रही योजनाओं में ही पैसों का सही विनियोग नहीं हो रहा है। इस तरह की शिकायतें बार-बार आ रही है और वो इस घटना से साबित हो रहा है।

इसलिए मेरी ग्रामीण विकास मंत्री जी से यह मांग है कि महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत गत 10 वर्षों में जो केन्द्र सरकार की विविध योजनाओं की निधि का सही ढग से उसी नियोजित काम के उपर गाइड लाईन की तहत खर्च हुआ है, इस मामले की जांच कराना नितान्त आवश्यक है।

अपराह्न 1.03 बजे

संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014

(नए अनुच्छेद 124क, 124ख और 124ग का अंत:स्थापन)

तथा

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 .... जारी

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, हम मद सं. 26 और 27 पर विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी अपनी बात जारी रखें।

अपराह्न 01.03 ½ बजे (**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आपके चुनाव के तुरंत बाद मुझे आपको संबोधित करने और इस कार्यवाही को जारी रखने का सौभाग्य मिला। मैं खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ।

कल, मैंने बहुत संक्षेप में शुरू किया था। आज, जब मैं यहां बैठा हूँ, तब उठाई गई चिंताओं को संबोधित कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया आदेश दें। माननीय मंत्री जी खड़े हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह पीठासीन हो जायें। मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ खड़ा हो।

… (*व्यवधान*)

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, जैसा कि मैंने कल कहा था, पूरी सभा ने बड़ी सहमति दिखाई थी। महोदय, मैंने कल ही कहा था कि मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने

मुझे पिछले 20 वर्षों से लंबित प्रक्रिया को शुरू करने की सलाह दी। मैं महोदया सोनिया गांधी और विपक्ष के सभी नेताओं, मुलायम सिंह यादव *जी;* महोदया मायावती *जी;* तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री, महोदया जयललिता; पश्चिम बंगाल की महोदया ममता *जी;* श्री नवीन बाबू; शरद यादव *जी।* … (*व्यवधान*) इसलिए, पूरे सदन ने सर्वसम्मति दिखाई है। मैं उन सबका आभारी हूँ।

महोदय, अब मैं उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर आता हूँ। बहुत जल्द समय बचाने के लिए बिना नाम लिए, मैं एक-एक करके जाऊंगा। अनेक माननीय सदस्यों ने संरचना का मुद्दा उठाया है कि 6 सदस्य ही क्यों रखे गए है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि 67वें संशोधन विधेयक, 1990 ने 5 सदस्य प्रस्तावित किए हैं। अगला, वर्ष 1998 प्रस्ताव में 7 सदस्य दिए गए। न्यायमूर्ति वेंकटचलैया की अध्यक्षता में वर्ष 2002 में संविधान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग ने 5 सदस्यों का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग – 98वां संशोधन विधेयक, 2003 – ने 7 सदस्यों का प्रस्ताव दिया, जबकि वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने 8 सदस्यों का प्रस्ताव रखा, जिसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल थे। इसलिए, इन सभी विकास को ध्यान में रखते हुए, हमने 6 सदस्यों को रखा है। इसलिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति प्रधान मंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, विपक्ष के नेता, विपक्ष में सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता द्वारा की जानी है। इसलिए, उच्च पदस्थ लोग दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दो प्रतिष्ठित व्यक्ति सबसे अच्छे उपलब्ध होंगे और सामूहिक निर्णय में वे एक निर्णय लेंगे। विनियम भी संविधान के तहत यह अधिकार देते हैं। इसे गलत भी किया जा सकता है। लेकिन एक सांसद के रूप में, एक विधि मंत्री जी के रूप में, मुझे लगता है, मैं तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामूहिक निर्णय पर अधिक भरोसा करूंगा।

दूसरा प्रश्न संरचना के बारे में आया है कि रोटेशन मुद्दे की उपेक्षा क्यों की गई। मैं इसे बहुत संक्षेप में समझाना चाहूंगा। रामविलास पासवान जी, ने अपनी शैली में, उस पर प्रतिक्रिया दी। हमें ओ.बी.सी. या एस.सी. या एस.टी. या अल्पसंख्यक से एक महिला मिली है। यदि हम रोटेशन द्वारा कहते हैं, तो एक की अवधि 12 वर्षों

के बाद आ सकती है क्योंकि तीन वर्ष एक सदस्य की अवधि होगी जो फिर से नामांकन के अधीन नहीं है। आप लचीलापन देखते हैं। हमारे पास अल्पसंख्यक समुदाय की एक बहुत ही प्रख्यात महिला हो सकती है, जैसा कि रामविलास पासवान जी ने अपने भाषण में कहा है। हमारे पास ओ.बी.सी. समुदाय या एस.सी. समुदाय से एक बहुत ही प्रतिष्ठित महिला हो सकती है। कौन जानता है? हम भविष्य में एक महिला के रूप में विधि मंत्री बना सकते हैं। आप संविधान संशोधन कर रहे हैं। कौन जानता है? आपके पास एक महिला के रूप में या अल्पसंख्यक समुदाय से भारत का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। इसलिए, वहां रचना के आलोक में यह लचीलापन उपलब्ध हो कि तीन व्यक्ति प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता या विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता हों। आपके पास इन समूहों में से एक को रखने का लचीलापन है जो वहां होगा। इस दृष्टि से, रोटेशन का मुद्दा नहीं है। मुझे आशा है कि यह सभा इसकी सराहना करेगी।

अब मैं अगले मुद्दे पर आता हूँ। ए.आई.ए.डी.एम.के. से अनेक माननीय सदस्यों ने कहा, साथ ही धर्मेंद्र जी ने भी, राज्य आयोग के बारे में कहा। यह एक मुद्दा है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। यह संवैधानिक रूप से कमजोर हो सकता है क्योंकि अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 77 और 78 के तहत, शक्ति केवल भारत सरकार के पास है। इसलिए, यदि हमारे पास केवल नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए राज्य आयोग है, तो समस्या हो सकती है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय मंत्री जी, यह सही है कि राष्ट्रपति महोदय ही नियुक्त करते हैं, लेकिन यह भी सही है कि अभी स्टेट में हाई कोर्ट का कोलेजियम रिकमैंड करता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोलेजियम की एप्रूवल के बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय ही नियुक्त करते हैं।...(व्यवधान) हमारी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि ऐसी व्यवस्था कर दें कि रिकमैंड वह कर दें, फाइनल नियुक्ति भले ही महामहिम राष्ट्रपति जी

के हाथ से हो जिससे पूरे प्रदेशों की जजों की नियुक्ति की वास्तविक स्थिति सबके सामने आ जाएगी।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं क्या कह रहा हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि श्री धर्मेन्द्र यादव विनियमों को देखें, तो यह स्पष्ट रूप से कहता है कि आयोग ऐसी सिफारिश करने से पहले संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के विचारों को इस तरह से निर्दिष्ट तरीके से लिखित रूप में लेगा। एक्ट में ही दे रखा है कि माननीय मुख्य मंत्री, माननीय राज्यपाल का लिखित मन्तव्य पूरी नियुक्ति के बारे में आएगा। वह बिल्कुल लिखा हुआ है। इसलिए उस पर कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

इसलिए, इस मामले के मद्देनजर, मैं ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी के अपने मित्रों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे अपने संशोधन को वापस लेने पर विचार करें जो राज्य आयोग के उद्देश्यों के लिए है क्योंकि राज्य का हित पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं की गई टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि शुरू में हमने केवल राज्यपाल का नाम लिया था। लेकिन, नहीं, हमने कैबिनेट में महसूस किया कि हमें मुख्यमंत्री जी को भी यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है और राज्यपाल को मुख्यमंत्री जी की सहायता और सलाह पर काम करना होगा। यह संविधान की योजना है। यह बहुत स्पष्ट है। इसलिए, मैं ए.आई.ए.डी.एम.के. के माननीय सदस्यगण से अनुरोध करूंगा की मेरे स्पष्टीकरण के मद्देनजर इस संशोधन को वापस लेने पर विचार करें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : आपको सहयोग करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) यह थोड़ा है कि सब उन्हीं पर छोड़ दिया जाएगा।...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : मुलायम सिंह जी, जब कमीशन में है तो आप निश्चिन्त रहिए।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: कुछ वर्गों की उपेक्षा लगातार होती रही है। वही असली सवाल है।...(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैं उस बात पर आ रहा हूं।...(व्यवधान) मैं उस पर बोलने वाला हूं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अभी बोलूंगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वीरप्पा मोइली ने दो मुद्दे उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर ये दोनों सदस्य अनुशंसा को अस्वीकार करते हैं तो इसे लागू क्यों नहीं किया जाएगा। यह छह सदस्यीय आयोग है। वीरप्पा मोइली जी शायद जानते होंगे क्योंकि वह भारत के पूर्व कानून मंत्री हैं। उसके पास इतनी सिफारिशें आईं जो अब मेरे पास आती हैं जहां एक न्यायाधीश को भी स्थगित कर दिया जाता है। एक असहमति है और छह में से दूसरा विचार किए जाने के कारण की आवाज़ है। मैं यह सब नहीं कह रहा हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय का वर्ष 1998 का एक निर्णय है जिसके द्वारा विशेष संदर्भ दिया गया था। यह माननीय उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायाधीशों के समक्ष था। यह वर्ष 1998, के खंड 7 एस.सी.सी. और पृष्ठ 739 में प्रतिवेदन किया गया था। मैं इसे श्री वीरप्पा मोइलीजी के लिए पढ़ना चाहूंगा। यह कहता है;

> "आमतौर पर, कॉलेजियम को आम सहमति के आधार पर अपनी सिफारिश करनी चाहिए, लेकिन मतभेद की स्थिति में अगर सी.जे.आई. असहमति जताते हैं तो किसी को नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि कॉलेजियम के दो या दो से अधिक सदस्य असहमति रखते हैं, तो सी.जे.आई. को सिफारिशों के साथ नहीं रहना चाहिए।"

यहां तक कि निर्णय में या संपादकीय नोट में भी, यह मौजूद है। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि यदि चार कॉलेजियम के सदस्यों को सम्मान दिया जा रहा है कि यदि दो विरोध करने का निर्णय लेते हैं, तो उस पर कायम न रहें। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के पास एक ही प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए, अर्थात्, यदि दो सदस्य बने रहते हैं, तो सिफारिश क्यों नहीं करनी चाहिए? मुझे वीटो के इस पूरे मुद्दे की समझ नहीं है। कौन जानता है, दो न्यायाधीश विरोध कर सकते हैं; कौन जानता है, कानून मंत्री और सी.जे.आई. मिलकर विरोध कर सकते हैं; और कौन जानता है, सदस्यों में से एक और न्यायाधीशों में से एक विरोध कर सकता है? इसलिए, बहुत

लचीलापन उपलब्ध है, लेकिन दो सदस्यों के असहमति का यह प्रावधान भी चालू है, जैसा कि मैंने आपको पहले के कॉलेजियम प्रणाली में बताया था।

श्री वीरप्पा मोइली जी ने एक और मुद्दा उठाया है। मैं इसका सम्बोधन करना चाहूँगा। विधेयक के खंड 7 में, मैंने एक प्रावधान रखा था कि यदि भारत के राष्ट्रपति, संवैधानिक रूप से बोलते हैं, तो उस स्थिति में पुनर्विचार के लिए सिफारिश को संदर्भित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए। यहां एक आपत्ति है कि यह दुरूपयोग के लिए खुला हो सकता है कि सरकार फिर से प्रभाव डालने की कोशिश करना चाहेगी। मैं इस सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय उपसभापति महोदय, कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। यदि भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में यह सोचता है कि इसके कारण हैं, तो आयोग द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है, और समिति को सर्वसम्मति से विचार करने दें क्योंकि यदि दो सदस्य इस तरह से महसूस कर सकते हैं, यदि आप राष्ट्रपति की सलाह को दोहराना चाहते हैं। लेकिन महोदय, मैंने उनकी बात मान ली है। उनकी सलाह पर उचित विचार करते हुए, मैं एक आधिकारिक संशोधन पेश करने का प्रस्ताव करता हूँ, और समय की कमी के कारण, मैं परिचालित नहीं कर पाया हूँ। मैं इसे सिर्फ इस सदन के सभी सदस्यों के लिए पढ़ूँगा। महोदय, मैं इसे अलग से करूंगा।

श्री वीरप्पा मोइली जी, मुझे कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। जब मैं विधेयक पर आता हूँ, तो मुझे इसे पारित करना होगा, और मैं बस वही करूंगा।

जहां तक इस संशोधन का संबंध है, इसका सार यह है। मैं इसे औपचारिक रूप से बाद में पारित करूंगा। मुझे आपको और इस सभा को समझाने दीजिए की यह क्या है। यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए आयोग के निर्देश को वापस लेने की सिफारिश करता है, तो आयोग माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उसी तरह से कार्य करेगा जैसा वे करते हैं। इसका मतलब है, एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात्, यदि दो सदस्य इसके समर्थन में नहीं हैं, तो आप नियमों द्वारा निर्धारित अन्य शिष्टाचार पर विचार नहीं करेंगे। इसलिए, सर्वसम्मति की याचिका पर अब जोर नहीं दिया जा

रहा है। मुझे इसका संकेत देना चाहिए। श्री वीरप्पा मोइली जी ने अनुरोध किया, मैंने विचार किया और मैं इसके लिए सहमत हो गया हूं। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। श्री भर्तृहरि महताब यहां नहीं हैं। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि विधायिका से परामर्श क्यों नहीं किया जाए। यह बिल्कुल उचित बात है। दुनिया के कई हिस्सों में, आपके पास विधायिका है जो इसकी पुष्टि करती है। लेकिन मैं अम्बेडकर जी को फिर से उद्धृत करना चाहता हूँ। वर्ष 1950 में, यह प्रावधान था। श्री अम्बेडकर जी ने कहा, "नहीं। अगर हम राष्ट्रपति को वीटो नहीं दे रहे हैं, तो हम सभा को भी वीटो नहीं दे सकते, हम भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी वीटो नहीं दे सकते क्योंकि यदि इस तरह की स्थिति आती है, तो यह बहुत सारे दबावों, खींचों और राजनीतिक विचारों के लिए खुली हो सकती है।

मैं इस सभा को बताना चाहूँगा - एक मत था - कि इस नई प्रक्रिया को बनाते समय सरकार को भी नाम देना चाहिए, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को भी नाम देना चाहिए। लेकिन हमने इस बात से परहेज किया है कि साधारण कारण से न्यायपालिका की संस्था की पवित्रता बनी रहनी है। हाँ, उनके नाम को सूचित करने के लिए मंच हैं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा नामों पर विचार किया जाएगा और उनके विचार लिए जाएंगे।

अब, मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ, अर्थात् न्यायपालिका की प्रधानता के बारे में। मुझे लगता है, श्री वीरप्पा मोइली ने कुछ मुद्दा उठाया और किसी अन्य ने इस मुद्दे को उठाया। वर्तमान विधेयक में भी न्यायपालिका की प्रधानता बहुत अधिक है। मैं बताना चाहूंगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश आयोग के प्रमुख हैं। दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता या दो प्रतिष्ठित सदस्यों के चयन के विरोध में सबसे बड़ी एकल पार्टी से मिलकर बनी टीम का हिस्सा है। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामों को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए, हर जगह न्यायपालिका की प्रधानता है। लेकिन हाँ, फर्क क्या है? परामर्श को अधिक सार्थक बनाया गया है। मैं न्यायपालिका के महत्व और पवित्रता को स्वीकार करते हुए यह कहना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक ऐसे विषय पर आना चाहूंगा, जिसकी चर्चा माननीय राम विलास पासवान जी और माननीय मुलायम सिंह जी ने की। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कई ऐसे वर्ग, जिनका न्यायपालिका में स्थान होना चाहिए, वे नहीं हैं। राम विलास पासवान जी ने अपनी चिंता बहुत सही जाहिर की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसमें कहा गया है कि -- हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला/ओ.बी.सी./एस.टी.एस.सी. भी आएं।

लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं हुआ है। हमारी यह कोशिश होगी कि कमिशन को भी अधिकार है नाम मंगाने का, तो रिजर्व्ड कैटेगरी के अच्छे वकीलों का डाटा बैंक बनाया जाए। श्री रामविलास जी, यह मेरी इच्छा है। कमिशन का जो दफ्तर बनेगा, तो आगे रेगुलेशंस भी बनेगा, इसकी चर्चा मैंने उनसे की है, रेगुलेशंस भी साथ में बैठकर चीफ जस्टिस बनाएंगे। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि देश में एससी वर्ग के जो अच्छे वकील हैं, उनका डाटा बैंक बने, एसटी के बहुत कम वकील हैं, उनका डाटा बैंक बने, जो लेडीज़ जजेज़ हैं, उनका डाटा बैंक बने, वे कैसे बहस कर रहे हैं, उस पर कितना रिपोर्ट हो रहा है, उनका परफॉरमेंस क्या है, इसको जांचने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार से ओबीसी वर्ग के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जानबूझकर चर्चा करके, हमने इसीलिए ऐसा रखा कि कमिशन भी हाई कोर्ट के जजेज का नाम देगा, उसका यही परपस है कि यदि इस तरह के वर्गों के लोगों का नाम छूटा है, तो कमिशन नाम भेजेगा कि हमारे डाटा में ओबीसी, महिलाएँ, एससी, एसटी, मायनॉरिटी आदि वर्गों के हाई कोर्ट के अच्छे वकीलों की सूची है, आप इन पर विचार कीजिए। माननीय मुलायम सिंह जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। मैं पटना का हूँ और श्री रामविलास जी बिहार से हैं, इस सदन में वहाँ से कई लोग हैं। श्री मुलायम सिंह जी, पटना में एक " सुपर-30 " चलता है। इसके बारे में श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी भी जानते हैं। इसे चलाने वाले श्री आनंद हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। वे गरीब, उपेक्षित एससी, एसटी, तथा रिक्शा चलाने वालों के बच्चों को पढ़ाते हैं और वे बच्चे आईआईटी में टॉप कर रहे हैं। आज उनका देश में एक नाम बन रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव: वे अपनी मेहनत पर कर रहे हैं। एससी, एसटी के लिए अलग है।

श्री रवि शंकर प्रसाद : इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बात का विशेष प्रयास, हम कमिशन के माध्यम से करेंगे कि ऐसे वर्गों को न्यापालिका की नियुक्ति में, जजेज़ की नियुक्ति में स्थान मिले। इन वर्गों के लोगों को योग्यता, प्रतिभा और क्षमता पर स्थान मिले।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मुझे एक ही बात का क्लैरिफिकेशन करना है, आप जो कह रहे थे, मुझे उसमें यही पूछना है कि जब तक मैनडेटरी प्रोविज़न नहीं होता, तब तक एससीज,एसटीज, बैकवर्ड्स, मायनॉरिटीज को जगह नहीं मिलती है। आप बोल रहे हैं कि इसे रेगुलेशन में लाएंगे और नाम मंगवाएंगे, जैसा कि आप कमिटमेंट से बोल रहे हैं, यदि यही कमिटमेंट प्रत्येक लॉ मिनिस्टर का होगा और कमिशन का होगा, तब ठीक है, लेकिन अनिवार्य कानून के अभाव में यह बहुत कठिन है, भविष्य में भी ऐसा ही होगा और नाम बुलाए जाएंगे और वे चूज़ करेंगे। इसलिए, कुछ अनिवार्य उपबंध होना बेहतर है। जैसा कि आपने कहा है, आप कुछ संशोधन ला रहे हैं, जैसा कि मोइली जी ने बताया और आप सहमत हुए। इसके लिए भी आप कुछ अनिवार्य प्रावधान करते हैं ताकि यह ठीक हो जाए।

[अनुवाद]

श्री रवि शंकर प्रसाद: जैसा कि मैंने बताया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के वर्तमान ज्ञापन में, कॉलेजियम प्रणाली में यह मौजूद है। जब विनियमन होगा, तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाएगा।

लेकिन अपने व्यापक अनुभव के साथ, खड़गे जी, मैं आपको बता दूं, यह अंततः संबंधित लोगों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। हमारी सरकार में हालांकि कोई 33 प्रतिशत आरक्षण नहीं है, लेकिन कृपया कैबिनेट में देखें कि कितनी महिला मंत्री हैं। उसे बस उन्हें याद करने दीजिए। सुषमा स्वराज जी हैं; मेनका गांधी जी हैं; उमा भारती है; स्मृति इरानी है; हरसिमरत कौर है; निर्मला सीतारमण जी हैं। सभी के पास महत्वपूर्ण विभाग हैं। क्यों नहीं?

<u>अपराह्न 1.22 बजे</u> (**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुई*)

इसलिए, यदि नामांकन प्रक्रिया में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा, तो मुझे विश्वास है कि इसका ध्यान रखा जाएगा।

महोदया, मुझे बहुत खेद है। माननीय अध्यक्षा भी एक महिला है। इसलिए, हमने इस तरह का सम्मान दिया है। निश्चित रूप से, जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होगी, तो हम निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखेंगे।

आप न्यायपालिका में आरक्षण की बात कर रहे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है। हमें इस पर अलग से विचार करना होगा।

अब, महोदय, मैं उस बात पर आता हूँ जो राम विलासजी ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के बारे में कहा था। कई अन्य सदस्यों ने भी यह बात कही। माननीय वीरप्पा मोइली जी भारत के एक पूर्व कानून मंत्री हैं, यह जानते होंगे। राम विलासजी, यह एक मुद्दा है, जो पिछले 40 वर्षों से लंबित है। कई राज्य सहमत हैं और कई राज्य सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं, यह संघीय सिद्धांत पर हमला है। मैं उस बिंदु को भी देखता हूँ, जो आपने कहा था, यदि शानदार कानून स्नातक हैं, तो आठ से नौ साल की प्रैक्टिस के बाद वे सीधे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बन सकते हैं और आरक्षित श्रेणी सहित जिला न्यायाधीश बन सकते हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बन सकते हैं। लेकिन राज्यों की मौजूदा न्यायपालिका इसका विरोध करते हुए कहती है, “आप मेरे अधिकारों को क्यों मार रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि "एक संघीय मुख्यमंत्री जी के रूप में यह मेरा अधिकार है। आई.ए.एस. और आई.पी.एस. के अलावा एक अखिल भारतीय सेवा क्यों है?”

इसलिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्पष्टीकरण और विचार किया जाना चाहिए। मैं आपकी चिंताओं पर विचार करता हूँ। मैं वीरप्पा मोइली जी को भी जानता हूँ कि यह पिछले कई वर्षों से कैसे लंबित है। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि इस मुद्दे पर आम सहमति बन जाए और यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा।

अब, मैं इस सभा के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा करना चाहूंगा। हम कैसे काम करते हैं? हम यह क्यों मान लेते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में हमेशा मतभेद होंगे? मैं इस सदन को बता दूं कि इतने सारे अधिकरणों के अध्यक्ष नियुक्त हैं। लगभग 8-9 अधिकरण हैं - केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सेबी अपीलीय अधिकरण, प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण, ऋण वसूली अधिकरण और अन्य। सभी का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और कार्यकारी सदस्यों, सेवानिवृत्त सचिवों या अन्य प्रतिष्ठित लोगों द्वारा किया जाता है। उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सचिव, विधि विभाग, वित्त सचिव और डॉप्ट के सचिव द्वारा की जाती है। क्या आपने कभी इस मामले को सुना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के नामित व्यक्ति के दृष्टिकोण की अनदेखी की गई है? नहीं, हम इतने संतोषजनक तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए, इन सभी आशंकाओं का कोई कारण नहीं है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग में परिपक्व लोग होंगे। सी.जे.आई., दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के कानून मंत्री, दो प्रतिष्ठित व्यक्ति - सभी परिपक्व वरिष्ठ लोग हैं। निश्चित रूप से, वे समन्वय में काम करेंगे। इसका बड़ा उद्देश्य यह होगा कि जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और जिनकी अनदेखी की जाती है, उनकी आवाज़ भी न्यायिक नियुक्ति में आनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वे सामूहिक रूप से काम करेंगे।

मुझे लगता है कि श्री कल्याण बनर्जी यहां नहीं हैं। बंदोपाध्याय जी, उन्होंने जजों की वरिष्ठता के बारे में मुद्दा उठाया था। हाँ, मैं उनकी चिंता से सहमत हूँ। माननीय उच्च न्यायालय के कई अच्छे मुख्य न्यायाधीशों को कॉलेजियम पद्धति में बढ़ावा नहीं दिया गया है। मैं भारत के कानून मंत्री जी के रूप में कम बोल रहा हूं, एक वरिष्ठ वकील के रूप में और एक संबंधित नागरिक के रूप में कि माननीय उच्च न्यायालयों के कई प्रतिष्ठित न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों, जिन्हें पदोन्नत किया जा सकता था, को पदोन्नत नहीं किया गया था। ऐसा क्यों? कोई जवाब नहीं है। उन्होंने श्री भट्टाचार्य के बारे में बात की। वह एक शानदार न्यायधीश हैं। उनको पदोन्नत किया जाना चाहिए था। लेकिन, माननीय उच्च न्यायालय और क्षेत्र के अलावा वरिष्ठता पर भी विचार

करना होगा। मान लीजिए कि मुंबई में या कोलकाता में या दिल्ली में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। क्या हमें यह देखना चाहिए कि केवल इन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएं? या, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पूरे देश के न्यायाधीश भी परिलक्षित हों। इसलिए, हमें थोड़ा लचीला होना होगा। इसलिए मैंने कहा है, हाँ, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वरिष्ठता के अलावा क्षमता और योग्यता पर भी विचार किया जाना चाहिए।

यह वरिष्ठता का मामला नहीं होना चाहिए। महोदया, आडवाणी जी भी यहाँ हैं। वह संवैधानिक मामलों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि श्री वी. आर. कृष्ण अय्यर को माननीय उच्चतम न्यायालय में लाया गया था। वरिष्ठता के क्रम में वह सातवें स्थान पर थे, फिर भी, उन्हें लाया गया। वह कितने शानदार न्यायधीश बन गये। मुझे पता है कि कई अच्छे न्यायधीश नहीं आ पाए। मोहम्मद करीम चागला बॉम्बे उच्च न्यायालय में 11 वर्ष तक प्रमुख रहे। वह उच्चतम न्यायलय नहीं आ सके। मुझे पता है कि जे.पी. सिंह जिनके बारे में बात करते थे। मैंने जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के बारे में बात की जिन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वह उच्चतम न्यायलय नहीं आ सके। इसलिए, हम अच्छे न्यायाधीशों के बारे में जानते हैं जो उच्चतम न्यायालय में नहीं आ सके। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वरिष्ठता के अलावा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्षमता और योग्यता पर भारत के उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के लिए उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।मुझे यकीन है कि आयोग इसका ध्यान रखेगा। इसलिए, यहाँ यह प्रावधान है।

जहां तक वकील की नियुक्ति का संबंध है, अच्छे और प्रतिष्ठित वकील हुए हैं, लेकिन मुश्किल से चार को नियुक्त किया गया है। मैं चाहूंगा कि अच्छे वकील भी भारत की उच्चतम न्यायलय में आएं।

इसी तरह, उच्च न्यायालयों के मामले में, मैं आज कुछ सामान्य टिप्पणियाँ करता हूँ क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है? श्री कल्याण बनर्जी ने सही तरीके से उस मुद्दे को उठाया। मान लीजिए कि एक अच्छा वकील, जो 48 वर्ष का है, उसे सही समय पर नियुक्त नहीं किया जाता है, और एक वकील, जो 46 वर्ष

का है, उसे पहले नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह उतना अच्छा नहीं है, वह कहता है, मुझे अब क्यों शामिल होना चाहिए? मैं जूनियर हो जाऊंगा। मुझे वकालत करने दें। इसलिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय, मुझे विश्वास है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला आयोग इस बात पर विचार करेगा कि प्रख्यात, होनहार, सत्यनिष्ठा और क्षमता के युवा वकीलों को सही समय पर न्यायाधीश बनाया जाए ताकि वे संस्थान की सेवा करने में सक्षम हो सकें। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस पर जोर देना चाहूंगा।

दूसरा मुद्दा यह है कि इन नियुक्तियों पर विचार करते समय, हमने जो सम्पूर्ण संरचना बनाई है, उसकी प्रकृति इस प्रकार होगी कि एक-दूसरे के विचारों पर विचार करने तथा विचारों का उचित संतुलन बना रहे, तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचारों को उचित प्राथमिकता दी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे कुछ बहुत दिलचस्प बातें कहने दीजिए। वर्ष 1993 से पहले, कार्यपालिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। हम सभी यह जानते हैं। एस.पी. गुप्ता मामले में माननीय उच्चतम न्यायलय ने कहा कि कार्यपालिका की भूमिका प्रधानता है। लेकिन, मुझे कुछ कहना है। जनवरी, 26 जनवरी, 1950 से लेकर वर्ष 1993 तक, भारत के कुछ बेहतरीन न्यायाधीश – उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय - पहले की प्रणाली से आए थे। कुछ चूक भी गए। क्या हम आज कह सकते हैं, श्री वीरप्पा मोइली, कि कॉलेजियम प्रणाली में वर्ष 1993 के बाद हमें सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश मिले हैं? जाहिर है, बहुत अच्छे न्यायाधीश रहे हैं, बहुत अच्छे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन, अगर हम यह कहें कि कॉलेजियम प्रणाली में सभी अच्छे न्यायाधीश आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि हम वह दावा नहीं कर सकते हैं।

ऐसा नहीं है कि यह बदलाव की ज़रूरत केवल हमारी सरकार का निर्णय है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, विधेयक प्रस्तुत करते समय, 20 वर्षों से यह लंबित है। श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग और कई संविधान समीक्षा आयोगों सहित पांच से छह आयोगों ने इसकी सिफारिश की है। यहां तक कि संविधान समीक्षा आयोग का नेतृत्व करने वाले भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया के विचार भी हैं।

विधि आयोग का नजरिया है। इसलिए, यह पिछले 20 वर्षों से अस्तित्व में एक सामूहिक अभ्यास है, जो कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए कह रहा था।

अब, मेरे पास समापन से पहले दो छोटे बिंदु हैं। किसी ने कहा, यह भार आयोग कैसे लेगा। श्री प्रेमचन्द्रन ने संशोधन प्रस्तुत किया है, 'रजिस्ट्रार पंजीयक बनाओ'। मैं आपसे निम्नलिखित कारणों से अपने संशोधन को वापस लेने का अनुरोध करूंगा। सचिव, न्यायमूर्ति को सदस्य बनाया गया है न कि संयोजक क्योंकि सचिव के पास सारी सूचनाएं आती हैं, पूरे देश में उच्च न्यायालयों के कामकाज के बारे में सूचना होती है। आयोग के सुचारु संचालन के लिए न्यायाधीश, सचिव का होना बहुत जरूरी है।

अन्य मुद्दा इसे एक स्थायी निकाय बनाने के बारे में बताया गया है। अगर हम एक स्थायी संस्था बनाएंगे तो उसमें कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी होंगे। मैं उन सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर विचार करें कि वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति न्यायपालिका के प्रमुख हैं। दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश महत्वपूर्ण हैं और वे सभी उस पर आते हैं। उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कहेंगे कि इन सभी को छोड़ कर एक परमानेंट बॉडी बनाओ, तो उनके व्यू का क्या होगा, इसलिए यह पूरा नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन ठीक से चले, हैड ऑफ दी ज्यूडिशरी का भी सम्मान हो, हाई कोर्ट के हैड का भी सम्मान हो, मुख्य मंत्री जी का भी सम्मान हो, गवर्नर की भावनाओं पर भी विचार हो, लॉ मिनिस्टर भी अपनी बात रखें, एमीनेंट पर्सन भी अपनी बात रखें, तो यह पूरा सिस्टम बहुत सोच-समझ कर बनाया गया है। यह बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष, महोदया, इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात का समाप्त करता हूँ।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदया, माननीय मंत्री जी ने मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन को गलत समझा है। मेरा संशोधन आयोग में सचिव की नियुक्ति के संबंध में नहीं है। मेरा संशोधन रिक्तियों की प्रतिवेदनिंग के संबंध में है। हम अब संशोधनों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। विधेयक के खंड 4 में, यह उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार 30 दिनों की अवधि के भीतर रिक्तियों को आयोग को सूचित करेगी। मेरा कहना है कि हमें न्यायपालिका के

पृथक्करण को बनाए रखना चाहिए। विधेयक को यह संदेश देना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता विधायिका द्वारा बनाए रखी जाती है। केंद्रीय सरकार को रिक्त पदों के प्रतिवेदन न्यायिक नियुक्ति आयोग को क्यों देनी चाहिए? न्यायपालिका को इसकी सिफारिश करने दें। इसलिए, यह एक छोटा और हानिरहित संशोधन है। लेकिन संदेश बहुत स्पष्ट है। केंद्र सरकार रिक्तियों को भरने के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग को रिक्तियों को रिपोर्ट करने के लिए पूरी शक्तियां अपने पास ले रही है। यह होना चाहिए कि न्यायपालिका को यह कहना है कि ऐसी-ऐसी रिक्तियां हैं, जिन्हें भरने की आवश्यकता है। यह रिपोर्टिंग का अधिकार न्यायपालिका को दिया जाना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। यह मेरा संशोधन है। यह केवल विधानसाभा की मंशा को साबित करने के लिए है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मुझे लगता है, श्री प्रेमचंद्रन, आप जानते होंगे कि मैं भी भारत का पूर्व विधि मंत्री हूँ और श्री मोइली जी भी यहां बैठे हैं।

न्याय विभाग भारत के न्यायाधीशों की पूरी सूची रखता है कि कौन कब सेवानिवृत्त हो रहा है, यह सूची अभी से नहीं बल्कि वर्ष 1950 से है। मैं कहूंगा कि यह 64 वर्ष से भी अधिक है। वैसे, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता तभी पवित्र होगी जब रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग का अधिकार दिया जाएगा? इस सदन ने कल इतनी खुलकर पुष्टि की है कि यह सदन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। यह आश्वासन अधिक महत्वपूर्ण है ना कि रजिस्ट्रार की रिपोर्टिंग। मैं यही कहना चाहूंगा। इसलिए, मुझे लगता है कि आपको इसे वापस लेने की आवश्यकता है।

महोदया, मुझे लगता है, मैंने सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य सभी मुद्दों का उत्तर दिया है। मैंने नाम नहीं लिए हैं, लेकिन मैं बहुत सम्मान के साथ यह बात दोहराना चाहता हूँ कि मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया है। हमने पूरी कार्यप्रणाली और इसकी संपूर्ण आवश्यकता के बारे में सभा में जो सामूहिक सहमति बनी है, उसको देखा है। मैं सदस्यों को सलाम करता हूँ। देश को यह संदेश जाना चाहिए

कि भारतीय लोकतंत्र की इस महानतम संस्था द्वारा प्रतिबिंबित भारत की राजनीति न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए एक है, लेकिन निश्चित रूप से, नियुक्ति की प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा के विचार करने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक और संशोधन प्रस्तुत करूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, मेरा प्रश्न राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक से संबंधित है। यह खंड 7 के बारे में है जहां राष्ट्रपति को पुनर्विचार की आवश्यकता की शक्ति दी गई है। मैं उन दो पैराग्राफ को पढ़ना चाहूँगा और उस प्रश्न को रखना चाहूँगा। इसमें लिखा है:

"बशर्ते कि राष्ट्रपति, यदि आवश्यक समझे, तो आयोग को उसके द्वारा की गई सिफारिशों पर, सामान्यतः या अन्यथा, पुनर्विचार करने के लिए कह सकेंगे।"

एक और परंतुक है जो कहता हैः

"बशर्ते आयोग पुनर्विचार के बाद सर्वसम्मति से सिफारिश करें।"

मैंने कल अपने भाषण में जो बात कही थी वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित थी और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। उसमें श्री मोइली ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बाद वीटो के मुद्दे का जिक्र किया था। मैं इस प्रश्न को थोड़ा विस्तारित करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मंत्री इस पर विचार कर रहे हैं या इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देंगे। क्या यह सच नहीं है कि एक बार माननीय राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफ़ारिश को पुनर्विचार के लिए भेजते हैं और सूची पर सर्वसम्मति नहीं होने पर सिफ़ारिश निरर्थक हो जाती है क्योंकि एक बार 'आम सहमति' शब्द आ गया तो इसका मतलब है कि अगर एक भी सदस्य असहमत है तो भी वह आम सहमति नहीं है। इस संबंध में, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश की

सिफारिश भी हटा दी जाती है। वे इसे कैसे ठीक करेंगे? यहाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से भी समझौता किया जा रहा है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय महताबजी, आप बहुत प्रतिष्ठित मित्र और माननीय सदस्य हैं। आप यहाँ नहीं थे जब मैं समझा रहा था। मैंने स्पष्ट किया है कि मैं उस विशेष प्रावधान में संशोधन करूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं उपस्थित था। आपने समझाया नहीं। आपको सलाह दी गई थी कि ऐसा न करें।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैंने इसे समझाया था। मुझे बस वही दोहराने दीजिए जो मैंने कहा था।

मैंने श्री वीरप्पा मोइली को अपनी सराहना व्यक्त की। उन्होंने इसको उठाया था और आपने भी उठाया था। मैंने विधेयक में प्रस्ताव दिया था कि राष्ट्रपति जी के विचारों पर उचित विचार किया जाना चाहिए। यदि आप उसके विचार को अस्वीकार करना चाहते हैं, तो सर्वसम्मत सिफारिश के साथ आइए। वीटो का कोई तत्व नहीं है। मैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा था, विधि मंत्री जी के बारे में नहीं। सदन के विचारों को देखते हुए, मैं एक आधिकारिक संशोधन पेश करूंगा जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* यह कहा जाएगा कि यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए अनुरोध भेजते हैं, तो ऐसे अनुरोध पर धारा 5 और धारा 6 के अनुसार ही विचार किया जाएगा। इसलिए, सर्वसम्मति का मुद्दा जाता है और यदि दो सदस्य 'न' कहते हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा। मैंने इसे कॉलेजियम के दृष्टिकोण के बारे में भी बताया है।

श्री भर्तृहरि महताब: अगर कोई एक सदस्य है जो 'नहीं' कहता है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: एक सदस्य असंतुष्ट हो जाता है; दो सदस्य छह के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। इसी तरह आपको इसे देखना होगा।

माननीय अध्यक्ष: सबसे पहले, संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखने से पहले, मैं सभा को सूचित करती हूं कि यह एक संविधान (संशोधन)

विधेयक है, मतदान विभाजन द्वारा होना चाहिए। चूंकि विभाजन संख्या आबंटित नहीं की गई है, इसलिए विभाजन सदस्यों को पर्चियां वितरित करके किया जाएगा।

तो, लॉबी को खाली किया जाए -

अब, लॉबी खाली हो गई हैं।

अब, महासचिव पर्चियों के वितरण द्वारा मतदान की प्रक्रिया के बारे में सूचित करेंगे। किस तरीके से वोटिंग करनी है, सैक्रेटरी जनरल आपको बताएंगे, ध्यान से सुनें।

स्वचालित मतांकन यंत्र के बारे में घोषणा

महासचिव: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चूंकि अभी तक सदस्यों को विभाजन संख्या आबंटित नहीं की गई है, इसलिए स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग मशीन द्वारा विभाजन करना संभव नहीं है। नियम 367 कक के अंतर्गत पर्चियों के द्वारा अब मत विभाजन होगा

सदस्यों को उनके मत दर्ज करने के लिए उनकी सीटों पर 'हां/नहीं' छपी हुई पर्चियां दी जाएंगी। 'हां' पर्चियां एक तरफ हरे रंग में अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में छपी होती हैं और पीछे की तरफ लाल रंग में 'नहीं' छपी होती है। पर्चियों पर, सदस्य अपने नाम, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और तिथि को पर्चियों पर निर्दिष्ट स्थान पर स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर करके और लिखकर अपनी पसंद के मत दर्ज कर सकते हैं। जो सदस्य अनुपस्थित रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो पीले रंग की अनुपस्थित वाली पर्ची मांग सकते हैं। अपना वोट रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद हर सदस्य अपनी पर्ची डिवीज़न अधिकारी को दे देगा जो उनकी सीट पर उसको लेने आयेंगे और फिर वह उनको पटल के अधिकारियों को दे देंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे मत विभाजन के लिए केवल एक पर्ची भरें।

सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे तब तक अपनी सीट न छोड़ें जब तक कि प्रभाग अधिकारी पर्चियां एकत्र न कर लें।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

लोक सभा का विभाजन:

<u>विभाजन संख्या - 1</u> **<u>हाँ वाले</u>** **<u>अपराह्न 2.05 बजे</u>**

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनन्तकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बैस, श्री रमेश

बाइटे, श्री थांगसो

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्दोपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री अभिषेक

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती, सुश्री उमा

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बीजू, श्री पी. के.

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

बोस, प्रो. सुगाता

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री अधीर रंजन

चुड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डे, डॉ. रत्ना (नाग)

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अर्का केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देव, कुमारी सुष्मिता

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धोत्रे, श्री संजय

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री फिरोज़ वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

जॉर्ज, एडवो. जॉयस

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिर्री, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गोहेन, श्री राजेन

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदाक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कंभमपति

हाजरा, डॉ. अनुपम

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हीकाका, श्री झीना

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वकुंतला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कर्रा, श्री तारिक हमीद

करुणाकरण, श्री पी.

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

खेर, श्रीमती किरण

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री कौशल

कीर्तिकर, श्री गजानन

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शैलेश

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्दर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, श्री विद्युत बरन

महताब, श्री भर्तृहरि

माझी, श्री बलभद्र

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीणा, श्री अर्जुन लाल

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोदी, श्री नरेन्द्र

मोहन, श्री एम. मुरली

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मंडल, श्री सुनील कुमार

मुफ्ती, सुश्री महबूबा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोड़मल

नागेश, श्री गोदाम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पाण्डेय, श्री रविन्द्र कुमार

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटील, श्री कपिल मोरेश्वर

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेश, श्री एम.बी.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामादॉस, डॉ. अंबुमणि

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्रीमती रंजीत

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास [अवंती]

राठौर, कर्नल राज्यवर्धन

राठोर, श्री हरिओम सिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री वाई. वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुत्ता

रिजीजू, श्री किरेन

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

रॉय, प्रो. सौगत

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साहु, श्री ताम्रध्वज

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सलीम, श्री मोहम्मद

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज

सरनीया, श्री नव कुमार

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शनावास, श्री एम. आई.

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल रमेश

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हेमेंद्र चंद्र

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री राव इंद्रजीत

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लाडू किशोर

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तराई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

तेली, श्री रामेश्वर

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागपल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

‘ना’ वाले

शून्य

<u>मतदान न करने वाले</u>

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

भारती मोहन, श्री आर.के.

चिन्नयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

एलुमलाई, श्री वी.

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

जयवर्धन, डॉ. जे.

कामराज, डॉ. के.

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

मरगथम, श्रीमती के.

मरुथाराजा, श्री आर. पी.

नागराजन, श्री पी.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

राधाकृष्णन, श्री टी.

राजा, श्री ए. अनवर

राजेन्द्रन, श्री एस.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी. आर.

सुन्दरम, श्री पी. आर.

तंबिदुरै, डॉ. एम.

उदयकुमार, श्री एम.

वनरोजा, श्रीमती आर.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

विजय कुमार, श्री एस. आर.

माननीय अध्यक्ष: विभाजन का परिणाम यह हैः

हाँ: 315

नहीं: शून्य

मतदान न करने वाले : 033

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर खंड-वार विचार करेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मध्याह्न भोजन का क्या होगा?

माननीय अध्यक्ष : पहले ही बोल दिया है कि आज मध्याह्न भोजन नहीं होना है। माननीय, सदस्यगण, डॉ. एम. तंबिदुरै अपने संशोधनों को खंड 3 में प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार, खंड 2 से 10 में कोई संशोधन नहीं हैं। यदि सभा सहमत है, तो मैं खंड 2 से 10 को सभा के मतदान के लिए एक उपस्थित करूंगी, ऐसी स्थिति में मतदान का परिणाम प्रत्येक खंड पर लागू माना जाएगा।

लॉबियों को पहले खाली कर दिया गया है।...

अब मैं खंड 2 से 10 को सभा के मतदान के लिए उपस्थित करूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 10 विधेयक का हिस्सा हैं।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या. - 2 **हाँ वाले** **अपराह्न 2.20 बजे**

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनन्तकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बैस, श्री रमेश

बाइटे, श्री थांगसो

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्दोपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री अभिषेक

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती, सुश्री उमा

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बीजू, श्री पी. के.

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

बोस, प्रो. सुगाता

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बाबूलाल

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डे, डॉ. रत्ना (नाग)

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अर्का केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देव, कुमारी सुष्मिता

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धोत्रे, श्री संजय

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री फिरोज़ वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

जॉर्ज, एड. जॉयस

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिर्री, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गोहेन, श्री राजेन

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हरिबाबू, डॉ. कंभमपति

हाजरा, डॉ. अनुपम

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हीकाका, श्री झीना

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वकुंतला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कर्रा, श्री तारिक हमीद

करुणाकरण, श्री पी.

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

खेर, श्रीमती किरण

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री कौशल

कीर्तिकर, श्री गजानन

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शैलेश

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्दर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, श्री विद्युत बरन

महताब, श्री भर्तृहरि

माझी, श्री बलभद्र

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीणा, श्री अर्जुन लाल

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोदी, श्री नरेन्द्र

मोहन, श्री एम. मुरली

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मंडल, श्री सुनील कुमार

मुफ्ती, सुश्री महबूबा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुंडा, श्री करिया

नागर, श्री रोड़मल

नागेश, श्री गोदाम

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पाण्डेय, श्री रविन्द्र कुमार

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेश, श्री एम.बी.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामादॉस, डॉ. अंबुमणि

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्रीमती रंजीत

राव, श्री मुथमसेती श्रीनिवास [अवंती]

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठोर, श्री हरिओम सिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रेणुका, श्रीमती बुत्ता

रिजीजू, श्री किरेन

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

रॉय, प्रो. सौगत

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साहु, श्री ताम्रध्वज

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सलीम, श्री मोहम्मद

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, डॉ. ममताज

सरनीया, श्री नबा कुमार

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शनावास, श्री एम. आई.

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल रमेश

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हेमेंद्र चंद्र

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर. के.

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री राव इंद्रजीत

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

स्वेन, श्री लाडू किशोर

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तराई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

टीचर, श्रीमती पी. के. श्रीमथि

तेली, श्री रामेश्वर

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागपल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

‘ना’ वाले

शून्य

<u>मतदान न करने वाले</u>

भारती मोहन, श्री आर.के.

चिन्नयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

एलुमलाई, श्री वी.

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

जयवर्धन, डॉ. जे.

कामराज, डॉ. के.

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

मरगथम, श्रीमती के.

मरुथराजा, श्री आर. पी.

नागराजन, श्री पी.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

राधाकृष्णन, श्री टी.

राजा, श्री ए. अनवर

राजेन्द्रन, श्री एस.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सेनगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

तंबिदुरै, डॉ. एम.

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

विजय कुमार, श्री एस.आर.

माननीय अध्यक्ष: विभाजन का परिणाम यह हैः

हाँ:	315
नहीं:	शून्य
मतदान न करने वाले :	032

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

माननीय अध्यक्ष: खंड 1 में एक संशोधन है। अब, मंत्री संशोधन संख्या 1 को प्रस्तावित करेंगे

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 1, पंक्ति 2, --

"एक सौ इक्कीसवां" *के स्थान पर*

"निन्यान्वेवां" *प्रतिस्थापित किया जाए* (1) "

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आपने अमेंडमेंट मूव कर दिया।

श्री रवि शंकर प्रसाद : मैंने अमेंडमेंट मूव कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष: क्या आपको इस पर कुछ बोलना है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, यह अमेंडमेंट बहुत ही छोटा है, पहले हमने इसका नम्बर 121 अमेंडमेंट रखा था, गिनती करने पर आया कि यह 99 होगा, इसका नम्बर ठीक कर रहे हैं। संविधान के संशोधन में संविधान के संशोधन का नम्बर कितना है, वह देना पड़ता है। पहले हमने काउंट किया था तो यह 121 था, जब हमने पूरी काउंटिंग की तो मालूम हुआ कि कई संविधान के संशोधन पैंडिंग हैं, चूंकि यह पास हो रहा है, इसलिए इसका सही नम्बर 99 होगा, उसी अनुरूप में इसका हम संशोधन कर रहे हैं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“पृष्ठ 1, पंक्ति 2, --

"एक सौ इक्कीसवां" *के स्थान पर*

“निन्यान्वेवां” *प्रतिस्थापित किया जाए* (1) ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: कृपा कर जो माननीय सदस्य हाउस में हैं, वे बैठ जाइए। उसके बाद लॉबी क्लियर करेंगे।

श्री रवि शंकर प्रसाद : एक बार घंटी बजवा दें।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: लॉबी को खाली होने दीजिए-

अब, लॉबी खाली हो गई हैं।

अब मैं खंड 1, यथा संशोधित, सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 1, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।”

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या - 3 **हाँ वाले** **अपराह्न 02.45 बजे**

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनन्तकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाइटे, श्री थांगसो

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्दोपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री अभिषेक

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती, सुश्री उमा

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बीजू, श्री पी. के.

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

बोस, प्रो. सुगाता

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती बिजोया

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डे, डॉ. रत्ना (नाग)

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अर्का केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देव, कुमारी सुष्मिता

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धोत्रे, श्री संजय

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री फिरोज़ वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

जॉर्ज, एड. जॉयस

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिर्री, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गोगोई, श्री गौराव

गोहेन, श्री राजेन

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मो. असरारूल

हरिबाबू, डॉ. कंभमपति

हाजरा, डॉ. अनुपम

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हीकाका, श्री झीना

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयदेवन, श्री सी. एन.

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई भीखाभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वकुंतला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कर्रा, श्री तारिक हमीद

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कीर्तिकर, श्री गजानन

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कृस्तप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शैलेश

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्दर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

महतो, श्री विद्युत बरन

महताब, श्री भर्तृहरि

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीणा, श्री अर्जुन लाल

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोदी, श्री नरेन्द्र

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुफ्ती, सुश्री महबूबा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुंडा, श्री करिया

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नागर, श्री रोड़मल

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाइक, श्री बी.वी.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाल, श्री जगदम्बिका

पाला, श्री विनसेंट एच.

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पाण्डेय, श्री रविन्द्र कुमार

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेश, श्री एम.बी.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामादॉस, डॉ. अंबुमणि

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्रीमती रंजीत

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास [अवंती]

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठोर, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेणुका, श्रीमती बुत्ता

रिजीजू, श्री किरेन

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

रॉय, प्रो. सौगत

रूआला, श्री सी.एल.

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साहु, श्री ताम्रध्वज

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

संघमिता, डॉ. ममताज

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरनिया, श्री नबा कुमार

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शनावास, श्री एम. आई.

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल रमेश

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

शिवजीराव, श्री अधलराव पाटिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी. एम.

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हेमेंद्र चंद्र

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर. के.

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री राव इंद्रजीत

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

स्वेन, श्री लाडू किशोर

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तराई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्र

ठकुर, श्री अनुराग सिंह

तिवारी, श्री मनोज

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागपल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वर्मा, डॉ. अंशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यदव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

‘ना’ वाले

शून्य

<u>मतदान न करने वाले</u>

भारती मोहन, श्री आर.के.

चिन्नयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

एलुमलाई, श्री वी.

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

जयवर्धन, डॉ. जे.

कामराज, डॉ. के.

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

महेन्द्रन, श्री सी.

मरगथम, श्रीमती के.

मरुथराजा, श्री आर. पी.

नागराजन, श्री पी.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

राधाकृष्णन, श्री टी.

राजा, श्री ए. अनवर

राजेन्द्रन, श्री एस.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

थम्बीदुरई, डॉ. एम.

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वसंती, श्रीमती एम.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

विजय कुमार, श्री एस.आर.

माननीय अध्यक्ष: विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ: 367

नहीं: शून्य

मतदान न करने वाले : 035

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित किया किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"विधेयक को, यथासंशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: लॉबी को पहले ही खाली कर दिया गया है।

प्रश्न यह है:

"विधेयक को, यथासंशोधित, पारित किया जाए।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या - 4 **हाँ वाले** **अपराह्न 02.55 बजे**

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अनवर, श्री तारिक

आजाद, श्री कीर्ति

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाइटे, श्री थांगसो

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्दोपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री अभिषेक

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती, सुश्री उमा

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बीजू, श्री पी. के.

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

बोस, प्रो. सुगाता

ब्रह्मपुरा, श्री रंजीत सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती बिजोया

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चंद्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौहान, श्री देवुसिंह

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डे, डॉ. रत्ना (नाग)

डेका, श्री रामेन

देव, श्री अर्का केशरी

देव, श्री कलिकेश एन. सिंह

देव, कुमारी सुष्मिता

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धोत्रे, श्री संजय

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

प्रो. रवीन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़

गल्ला, श्री जयदेव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री फिरोज़ वरुण

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गावीत, डॉ. हिना विजयकुमार

गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

जॉर्ज, एड. जॉयस

गुबाया, श्री शेर सिंह

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गिर्री, श्री महेश

गोडसे, श्री हेमन्त तुकाराम

गोगोई, श्री गौराव

गोहेन, श्री राजेन

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

हक़, श्री मोहम्मद. असरारूल

हरिबाबू, डॉ. कंभमपति

हाजरा, डॉ. अनुपम

हेगड़े, श्री अनंतकुमार

हीकाका, श्री झीना

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

जायसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयदेवन, श्री सी.एन.

जेना, श्री रवीन्द्र कुमार

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

काछड़िया, श्री नारणभाई

कैसर, चौधरी महबूब अली

कल्वकुंतला, श्रीमती कविता

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कर्रा, श्री तारिक हमीद

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कठेरिया, डॉ. रामशंकर

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खाडसे, श्रीमती रक्षाताई

खान, श्री सौमित्र

खंडूरी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कीर्तिकर, श्री गजानन

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कृस्तप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री अश्विनी

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री शैलेश

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्दर

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लखनपाल, श्री राघव

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

डॉ. मृगांका

महतो, श्री विद्युत बरन

महताब, श्री भर्तृहरि

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मंडल, डॉ. तापस

मणि, श्री जोस के.

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीणा, श्री अर्जुन लाल

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेन्या, डॉ. थोक्चोम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मिश्रा, श्री पिनाकी

मोदी, श्री नरेन्द्र

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मण्डल, श्रीमती प्रतिमा

मुफ्ती, सुश्री महबूबा

मुखर्जी, श्री अभिजीत

मुंडा, श्री करिया

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नागर, श्री रोड़मल

नागेश, श्री गोदाम

नाइक, प्रो. ए.एस.आर.

नाइक, श्री बी.वी.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निनामा, श्री मानशंकर

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाल, श्री जगदम्बिका

पाला, श्री विनसेंट एच.

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पाण्डेय, श्री रविन्द्र कुमार

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

राय, श्री नित्यानंद

राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेश, श्री एम.बी.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामादॉस, डॉ. अंबुमणि

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्रीमती रंजीत

राव, श्री मुथमसेटी श्रीनिवास [अवंती]

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठोर, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेणुका, श्रीमती बुत्ता

रिजीजू, श्री किरेन

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

रॉय, प्रो. सौगत

रूआला, श्री सी.एल.

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साहु, श्री ताम्रध्वज

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

संघमिता, डॉ. ममताज

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरनीया, श्री नबा कुमार

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

सेठी, श्री अर्जुन चरण

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शनावास, श्री एम. आई.

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री राम कुमार

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल रमेश

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हेमेंद्र चंद्र

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर. के.

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री राव इंद्रजीत

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री वीरेन्द्र

सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

स्वेन, श्री लाडू किशोर

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तरई, श्रीमती रीता

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

तिवारी, श्री मनोज

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागपल्ली, श्री वाराप्रसाद राव

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

यादव, श्री अक्षय

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

'ना' वाले

शून्य

<u>मतदान न करने वाले</u>

भारती मोहन, श्री आर.के.

चिन्नयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

एलुमलाई, श्री वी.

गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

हरि, श्री जी.

जयवर्धन, डॉ. जे.

कामराज, डॉ. के.

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री पी.

महेन्द्रन, श्री सी.

मरगथम, श्रीमती के.

मरुथराजा, श्री आर. पी.

नागराजन, श्री पी.

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

पन्नीरसेल्वम, श्री वी.

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

राधाकृष्णन, श्री टी.

राजा, श्री ए. अनवर

राजेन्द्रन, श्री एस.

रामचंद्रन, श्री के.एन.

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

सुन्दरम, श्री पी.आर.

तंबिदुरै, डॉ. एम.

उदयकुमार, श्री एम.

वनारोजा, श्रीमती आर.

वसंती, श्रीमती एम.

वेंकटेश बाबू, श्री टी. जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

विजय कुमार, श्री एस.आर.

माननीय अध्यक्ष: विभाजन का परिणाम यह हैः

हाँ:	367
नहीं:	शून्य
मतदान न करने वाले:	035

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

विधेयक, यथासंशोधित, संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा के समक्ष रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने, उनके स्थानांतरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्र संशोधन संख्या 6, 7 और 8 प्रस्तावित करेंगे। क्या आप प्रस्तावित कर रहे हैं?

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: माननीय मंत्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन के आलोक में कि सरकार का न्यायपालिका के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है, तथा इस मामले को सदन में लाए जाने के आलोक में कि न्याय विभाग न्यायाधीशों के रिक्त पदों के संबंध में पूरी तरह से तैयार है, मैं अपने नाम से उन तीनों संशोधनों को वापस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 से 6 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 7 पुनर्विचार की आवश्यकता के लिए राष्ट्रपति की शक्ति

.

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 3, पंक्ति 26 और 27, *के स्थान पर*

बशर्ते यह भी प्रावधान है कि यदि आयोग पुनर्विचार के बाद धारा 5 या 6, में निहित प्रावधानों के अनुसार सिफारिश करता है, तो राष्ट्रपति तदनुसार नियुक्ति करेगा।	प्रतिस्थापित किया जाए (9)

(रवि शंकर प्रसाद)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः

"कि खंड 7, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

<u>अपराह्न 03.00 बजे</u>

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि यथासंशोधित विधेयक पारित किया जाए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक को, यथासंशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को, यथासंशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदया, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में चर्चा होती है। हम इसका समापन करेंगे। ... (*व्यवधान*) मंत्री जी को उस चर्चा का उत्तर देने दें; फिर, हम दूसरे मद पर जाएंगे। अन्यथा इसमें अधिक समय लगेगा। यदि अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं तो मैं उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा जिन्होंने अपना नाम दिया है कि कृपया ध्यान रखें कि इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो, मंत्री जी को उस चर्चा का जवाब देने दें। उसके बाद, हम अन्य मुद्दों को उठाएंगे।

माननीय अध्यक्ष: क्या आप इसे ध्यानाकर्षण के बाद या उससे पहले चाहते हैं?

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, कृप्या सबसे पहले, हमें जवाब चाहिए और फिर ध्यानाकर्षण। उसके बाद हम वह कर सकते हैं जो श्री खड़गे चाहते थे। यह सब आज ही किया जाएगा। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: केवल रिप्लाई देना है, उसके बाद दूसरा विषय लेंगे। अभी तो तीन ही बजे हैं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, अभी ध्यानाकर्षण लिया जा सकता है; उसके तुरंत बाद दूसरा विषय लिया जा सकता है। जवाब बाद में दिया जा सकता है। आपने यही वादा किया है। ... (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: मुझे कोई समस्या नहीं है। यदि आप पहले ध्यानाकर्षण और फिर अगली चर्चा चाहते हैं, तो सरकार को कोई समस्या नहीं है। क्या आप यही चाहते हैं? ... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इस तरह के सवाल उठाकर, मुझे शर्मनाक स्थिति में मत डालिए। मैंने पहले ही कहा है कि मैं दिए गए वचन के बारे में क्या कहना चाहता हूँ। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, रिप्लाई कल हो जाएगा। अभी कॉलिंग अटेंशन ले लेते हैं। श्री किरिट सोमैया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया सदन में कुछ व्यवस्था बनी रहने दें। कृपया सदन में शांति बनाए रखें। जिन माननीय सदस्यों को जाना है, वे शांति से जाएं, बातें न करें।

<u>अपराह्न 03.05 बजे</u>

<u>ध्यानाकर्षण</u>

आवासीय कॉलोनियों और रिक्त रक्षा भूमि को विकास कार्य कराने हेतु रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदया, मैं रक्षा मंत्री जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर एक वक्तव्य दे सकें:

> "आवासीय कॉलोनियों और रिक्त रक्षा भूमि को विकास कार्य कराने हेतु रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट दी जाएगी।"

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री और रक्षा मंत्री (श्री अरूण जेटली): महोदया, रक्षा स्थापनाओं के समीप स्थित भूमियों पर निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करने में विशेषकर सुखना और आदर्श हाउसिंग को-ऑप्रेटिव सोसायटी, मुंबई के दो मामलों में विवाद उत्पन्न हुआ था। इन दो मामलों में शामिल विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई थी और सेवाओं और अन्य रक्षा संगठनों के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा विस्तृत रूप से मामले पर विचार किया गया था। यह महसूस किया गया कि रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 जो रक्षा संस्थानों के समीप भूमि के प्रयोग और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाता है, में व्यापक संशोधन की आवश्यकता है ताकि रक्षा सेनाओं की सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जा सके। रक्षा संकर्म अधिनियम में संशोधन के लंबित रहते, रक्षा स्थापनाओं के समीप किए जा रहे निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने को नियमित करने के लिए इस बीच निर्देश जारी किया जाना आवश्यक समझा गया। इन निर्देशों का उद्देश्य सेनाओं की सुरक्षा

चिंताओं और अपनी भूमि पर निर्माण गतिविधियां करने के लिए जनता के अधिकारों के मध्य संतुलन स्थापित करना है।

2. रक्षा मंत्रालय के दिनांक 18 मई, 2011 के पत्र सं. 11026/2/2011 रक्षा (लैंड) के तहत रक्षा स्थापना के समीप बिल्डिंग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए जारी किए गए अनुदेशों में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट है:

(क) जहां स्थानीय नगरपालिका कानूनों में भवन योजना के अनुमोदन से पहले स्टेशन कमांडर के परामर्श की आवश्यकता होती है, तो स्टेशन कमांडर को अगले उच्चतर प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के पश्चात ऐसे अनुरोधों की प्राप्ति के चार महीनों अथवा कानून द्वारा अपेक्षित निर्धारित अवधि या कोई हो, के अंदर अपने विचार संप्रेषित करने चाहिए, जो ब्रिगेडियर अथवा समकक्ष रैंक से नीचे का ना हो। आपत्तियां/विचार/अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल राज्य सरकार की एजेंसियों अथवा नगरपालिका प्राधिकारियों को संप्रेषित किए जाएंगे और किसी भी परिस्थिति में बिल्डरों/निजी पार्टियों को संप्रेषित नहीं किए जाएंगे।

(ख) जहां स्थानीय नगरपालिका कानूनों में ऐसी आवश्यकता नहीं है, और स्टेशन कमांडर महसूस करता है कि 100 मीटर (चार मंजिलों से अधिक की बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए दूरी 500 मीटर होगी) रक्षा स्थापना की परिधि सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकती है, स्टेशन कमांडर, कमांड की श्रृंखला में अगले उच्चतर प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात स्थानीय नगरपालिका को अपनी आपत्ति संप्रेषित कर सकता है। यदि अगला उच्चतर प्राधिकारी भी आश्वस्त है, तो स्टेशन कमांडर अपनी आपत्तियां/विचार स्थानीय नगरपालिका या राज्य सरकार की एजेंसियों को सूचित कर सकता है। यदि स्थानीय नगरपालिका/राज्य सरकार अपनी आपत्ति का संज्ञान नहीं लेते है, तो मामला यदि आवश्यक हो, तो सेना मुख्यालय/रक्षा मंत्रालय के माध्यम से उच्चतर प्राधिकारियों के साथ उठाया जाए।

(ग) स्थानीय नगरपालिका या राज्य सरकार की एजेंसियों को आपत्ति/विचार/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्टेशन कमांडर के अतिरिक्त अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं दिए जाएंगे और किसी भी परिस्थिति में निजी पक्षकारों/बिल्डरों को नहीं दिए जाएंगे।

(घ) एक बार जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र सेना मुख्यालय के अनुमोदन के बिना वापस नहीं किया जाएगा।

(ङ) ये अनुदेश वहां लागू नहीं होंगे जहां निर्माण विद्यमान अधिनियमों/अधिसूचना के उपबंधों द्वारा विनियमित होते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित अधिनियम/अधिसूचना लागू होना जारी रहेगा।

3. इन अनुदेशों के जारी होने के पश्चात, रक्षा मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों के बारे में कई मुद्दों को उठाते हुए संदर्भ और अभ्यावेदन प्राप्त किए गए थे। अतः यह निर्णय लिया गया है कि 18.5.2011 के दिशानिर्देशों/अनुदेशों की व्यापक समीक्षा की जाए। समीक्षा के लिए विचारार्थ विषयों को सभी सेवा मुख्यालयों और रक्षा संगठनों, को परिवर्तनों, यदि कोई है, उनकी टिप्पणियां, सुझाव और सिफारिश प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट सोमैया : अध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। कल आपको श्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला, इसलिए बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूं कि आज के रिप्लाई के पैरा 3 में माननीय मंत्री जी ने रिव्यू की बात कही है। तीन साल से हिंदुस्तान के 500 शहर के लोग परेशान हैं। घोटाला हुआ आदर्श का, उसमें सब छूट रहे हैं, लेकिन फंस गये 50 लाख आम नागरिक। मुम्बई हो, पूणे हो, जबलपुर हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है कि इंदौर हो या महू हो, आपको भी इस विषय की जानकारी है कि जिस प्रकार से आर्बिट्रेरी सर्कूलर 2011 में निकाला गया। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मुम्बई जैसे शहर में 500 मीटर इस पार और 500 मीटर इस पार डिफेंस की 187 से ज्यादा लैंड हैं, छोटे-छोटे टुकड़े हैं, इन सब पर यह कानून लागू कर दिया। अब जू-एरिया में स्कूल कॉलेज हैं, जिनमें हम सब जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं, वहां विले-पार्ले केलवानी मंडल स्कूल के एक्सपेंशन पर

रोक लगा दी, क्योंकि वहां पर एक आर्मी क्लब है।आर्मी क्लब की डिफेंस लैण्ड है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि उसका रिव्यू जल्दी से जल्दी हो। मेरी दूसरी प्रार्थना है कि करैक्शन लेकर आएं कि वे रक्षा प्रतिष्ठान जो सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हैं, उन पर यह कानून लागू करें। मैं मुम्बई का उदाहरण दूं तो चाहे कांदीवली हो, मलाड हो या वर्ली में स्कीम है एसआरएस झौपड़ पट्टी पुनर्वसन, वहां 27 माले की बिल्डिंग बन गयी, उसको एनओसी मिल गयी, लेकिन जिस झुग्गी-झौपड़ी वाले ने पांच माले का मकान बनाया, उनको एनओसी नहीं मिल रही है। पिछले तीन साल में एक एनओसी नहीं दी गयी। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह परिपत्र ही अवैध है जिस वर्ष 1903 के कानून का रैफर किया गया है, उस कानून का मैं तो विद्यार्थी हूं और आपसे काफी सीखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसके रिव्यू करने के लिए, क्योंकि पिछले तीन साल से हम लोग धक्के खा रहे हैं, मेरे साथ मेरे सांसद मित्र भी हैं, लेकिन डिफेंस मंत्रालय हमारा साथ नहीं दे रहा था। दो महीने में मंत्री जी ने रिव्यू करने का निर्णय लिया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसका रिव्यू एक टाइम पीरियड में हो जाए, तब तक के लिए सिक्योरिटी सेन्सटीव जोन छोड़ कर बाकी इलाके, स्कूल और उनके डेवलपमेंट को अनुमति प्रदान की जाए, यही प्रार्थना है।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, किरिट सोमैया जी ने इस विषय को बहुत ही विस्तार से रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का ध्यान कांदीवली और मलाड की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदया, कांदीवली और मलाड का जो सीओडी ऑर्डिनेन्स डिपो है, यह पहले कोलाबा से लेकर बांद्रा तक मुम्बई शहर हुआ करता था। अब मुम्बई शहर दहीसर क्रॉस करके बांद्रा तक पहुंच गया है और यह सीओडी ऑर्डिनेंस डिपो मुम्बई शहर के बीचों-बीच आ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यहां कोई एक्सप्लोसिव मेटीरियल स्टोर नहीं किया जाता है। यहां केवल भंगार गाड़ियां, टायर्स-ट्यूब्स इत्यादि वस्तुएं रखी गयी हैं। मैं एक बात और ध्यान में लाना चाहता हूं कि मुम्बई महानगर पालिका के

कायदे के मुताबिक वर्ष 2011 से पहले सर्कुलर निकलने से पहले बहुत सी बिल्डिंग्स को एप्रूवल दिया गया था, वह बन चुकी हैं, बहुत सारी तो रेडी हैं और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए रुकी हुई हैं। इस तरह के काम भी इस सर्कूलर की वजह से बंद हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम कांदीवली और मलाडा, और जहां एक्सप्लोसिव मेटीरियल डम्प नहीं होता है, वहां के लिए इस सर्कुलर को तुरन्त विड्रा करके वहां की महानगर पालिका ने जो प्लान मंजूर किए हैं, उनको जैसे थे, वैसी स्थिति में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, देश में जितनी भी रक्षा भूमि है, इनका वर्गीकरण है। समय की कमी है, इसलिए मैं उनके वर्गीकरण के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्गीकरण में ए-1 और ए-2 है। इनके अंतर्गत जो भूमि है, उनमें समस्या नहीं है। इस वर्गीकरण में बी-3 और बी-4 है, इसके अंतर्गत कैंट क्षेत्र में बंगले और खेती की जमीन है, वह है आजादी के पूर्व में जो नोटीफाई सिविल एरिया था, जिनका प्रबंधन कैंट क्षेत्र के हाथ में है, वे भी हैं। सारी समस्याएं इसी बी-3 और बी-4 क्षेत्र में हैं। इसी में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं और इसी में जनता की भी शिकायतें आती हैं। सिविल एरिया के बारे में निर्णय हुआ था कि जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, उसके साथ-साथ सिविल एरिया का विस्तार भी किया जाएगा।

महोदया, माननीय मंत्री जी बहुत गहराई के साथ सारे विषयों को देखते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस विषय में भी हमें राहत मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1957 के बाद से सिविल एरिया में कहीं कोई विस्तार नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र जबलपुर में वर्ष 1941 के सैंसस के अनुसार 4700 की आबादी थी, लेकिन आज डेढ़ लाख से ज्यादा की आबादी है, लेकिन सिविल एरिया में किसी तरह का कोई विस्तार नहीं हुआ है। हम यह नहीं कहते कि सेना की जमीन ली जाए या उसमें किसी प्रकार का दखल दिया जाए, लेकिन हर स्थान पर राज्य सरकार की जमीनें और अन्य खाली पड़ी जमीनें सेना के अधिकार में हैं। मेरा माननीय रक्षा मंत्री जी से इतना ही कहना है कि इस तरह की जो जमीनें हैं, इनका समायोजन करके सिविल एरिया में विस्तार किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

इसके साथ-साथ एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है, जो सिविल एरिया में रहने वाले लोगों से संबंधित है। जब उन्हें अपनी जमीन फ्री होल्ड करानी होती है तो उसकी दर चार हजार रुपए प्रति स्केयर फीट होती है। अगर उनके पास 3000 फुट का प्लॉट है और उसमें से मात्र 500 स्क्वायर फिट में भी वे निर्माण करना चाहते हैं तो उनको पूरा 3000 स्क्वयार फिट का फ्रीहोल्ड करके, 4000 रुपये के हिसाब से उसकी दर देनी पड़ती है। इसके कारण ही परेशानी खड़ी होती है कि वे अतिक्रमण करते हैं, बिना अनुमति के निर्माण करते हैं, बाद में सेना उसको तोड़ने की बात करती है, उससे आम जनता और सेना के लोग आमने-सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं।

इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि केन्द्र से भी इन क्षेत्रों के लिए पैसा जाता है लेकिन होता यह है कि यह जो पैसा जाता है, यह पैसा बजाए सिविल एरिया में खर्च होने के, जो बाकी के सैन्य क्षेत्र हैं, उनमें खर्च होता है और इसलिए सिविल एरिया के लोग विकास से मरहूम रहते हैं। उनमें जितना विकास होना चाहिए, वह विकास वहां नहीं हो पाता। एक और विषय था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं कि इन सिविल एरिया में रहने वाले लोगों से जिस तरह से नगर निगम के क्षेत्रों में टैक्स लिया जाता है, वैसे ही इन लोगों से भी टैक्स लिया जाता है। लेकिन वर्ष 2006 के पूर्व तक इस टैक्स पर किसी भी तरह की अगर वृद्धि कोई करनी हो तो उसके लिए एक कमेटी होती थी, उस कमेटी की राय ली जाती थी। उसमें सिविल एरिया से तीन जानकार लोग लिये जाते थे और ये लोग मिलकर जो रिपोर्ट देते थे, उसके आधार पर टैक्स का निर्धारण किया जाता था। लेकिन वर्ष 2006 का जो अधिनियम आया, उसके बाद से इस टैक्स समिति का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया और ये सारे अधिकार कैंट बोर्ड के सी.ओ. को दे दिये गये हैं जिसके कारण टैक्स में अव्यावहारिक वृद्धि होने लगी है। ये परेशानियां ऐसी परेशानियां हैं जिनके कारण हम लोगों को भी आएदिन परेशानी होती है। इन सिविल एरिया में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। लेकिन अचानक उन लोगों को जो तीन-चार पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उनको नोटिस दे दिया जाता है कि अब यह जमीन आपकी नहीं रहेगी, इससे आप बेदखल कर दिये जाएंगे। वे छोटे-छोटे बच्चों को लेकर हम लोगों के घरों में आते हैं। उसमें हर वर्ग के लोग हैं, उनमें एससी, एसटी हैं। ये

सभी लोग आते हैं और आकर कहते हैं कि अब हम कहां जाएं? कई पीढ़ियों से खेती करते करते हमारा जीवन निकल गया। अब हम कहां पर जाकर रहें? इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर किरिट सोमैया जी ने रखा है, उसमें एक बार जो रिव्यू की बात माननीय मंत्री जी ने की है, समय सीमा के भीतर इन सारे विषयों पर अगर रिव्यू कर लिया जाएगा और उचित निर्णय ले लिये जाएंगे तो बार बार होने वाले टकराव को टाला जा सकता है।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): माननीय अध्यक्ष जी, गोपाल शेट्टी जी ने मलाड और कांधीवली का जो सवाल उठाया है, उसमें मैं खुद एक विटनैस हूं। जो कांधीवली ईस्ट रेलवे लाइन के बराबर है, जो डिपो है, यहां रेसीडेंशियल कॉलोनी नैवल की है और उस डिपो का इस्तेमाल भंगार रखने के लिए होता है। कंपाउंड वॉल के साथ पिछले दो साल से एक नयी बिल्डिंग 28 मंजिल की बनी है। वहां मैं खुद रहता हूं जो कंपाउंड वॉल के बाजू में है और आज सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण वहां से 400 मीटर दूर जो मेरा दूसरा पुराना घर है, वहां सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण हम रीडवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड वॉल के बाजू में मैं रहता हूं जो 28 मंजिल की नयी बिल्डिंग बनी है और उसके बाद पीछे 400 मीटर की दूरी पर जो घर है या बाकी बिल्डिंग्स हैं, जिसका रीडवलपमेंट या प्लॉट्स का रीडवलपमेंट हम नहीं कर सकते हैं। इतना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति जी, सबसे पहले मैं डिफेंस मंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सरकुलर का रिव्यू लेने का निर्णय किया है। आपके माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र साउथ सेन्ट्रल मुम्बई में मानखुर्द में इंडियन नेवी का एक नेवी आर्मामेंट डिपो है और वहां पर एक्सप्लोसिव्स का स्टोरेज किया जाता है और उसी वजह से उस एक्सप्लोसिव रेंज में आने वाले निवासी क्षेत्र को मुम्बई महानगर पालिका डवलप करने की परमिशन नहीं देती है। नेवी के एनओसी के सिवा वहां के सराउंडिंग एरिया में कंसट्रक्शन करने की परमिशन नहीं मिलती है।

पांच, दस साल पहले महाराष्ट्र यू.डी. डिपार्टमेंट से मानखुद एरिया को 0.5 एफ.एस.आई. मिलता था लेकिन अभी वहां 1.33 एफ.एस.आई. मिल रहा है और बैलेंस के अगेंस्ट वहां के निवासी क्षेत्र को जो मिलता है, उसे यूटीलाइज करने के लिए नेवी की एन.ओ.सी. की जरूरत होती है। बैलेंस 1.33 एफ.एस.आई. निवासी क्षेत्र का है, एन.ओ.सी. न मिलने की वजह से इसे यूज करने में दिक्कत होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि नेवी से आसान शर्तों पर एन.ओ.सी. मिल जाए, रूल्स में ढील दी जाए तो इस निवासी क्षेत्र में डेवलपमेंट या री-डैवलपमेंट वर्क्स के प्रोजैक्ट्स इम्पलीमेंट हो सकते हैं।

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष जी, श्री किरट सोमैया, श्री गोपाल शेट्टी और अन्य माननीय सदस्यों ने सेना की जमीन, सिक्योरिटी फोर्सिस की लैंड के नजदीक जिन लोगों की भूमि है, उनकी समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है। इस विषय के दो पहलू हैं। मैंने आरंभ में वक्तव्य दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पहला पहलू यह है कि जितनी भी सुरक्षा फोर्सिज़ या सिक्योरिटी फोर्सिज़ हैं, वहां आर्मी, एयरफोर्स के अलावा नेवी के भी बहुत बड़े एस्टाबलिशमेंट्स हैं। इस पर मुम्बई, महाराष्ट्र के सदस्य ज्यादा बोले हैं। यहां नेवी के अतिरिक्त कोस्ट गार्ड के भी हैं और एक प्रकार से चौथी फोर्स जुड़ती जा रही है। इनको वहां स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। तमाम फौज के अंगों को स्वाभाविक है कि भूमि चाहिए। 26.11 की घटना के बाद नेवल सिक्योरिटी और कोस्टल सिक्योरिटी का पूरा अभियान शुरु हुआ है, उसके लिए भी भूमि चाहिए। अगर वहां एक्सेसिव पेट्रोलिंग करनी है या पुलिस स्टेशन कोस्ट के साथ बनने हैं तो वहां भी भूमि चाहिए। जहां स्टाफ होगा, वहां उनके रहने, अस्पताल, स्कूल आदि सुविधाओं के लिए भी लैंड चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सिस को भी लैंड चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कई एस्टाबलिशमेंट ऐसी हैं, जमीन के आसपास एक सिक्योरिटी कोरिडोर की जरूरत हो सकती है। हम उदाहरण लेते हैं, अगर कहीं एम्युनिशन डिपो है तो स्वाभाविक है कि इसके नजदीक लोग रहें, यह हम नहीं चाहेंगे। इसके बाद सेंसिटिव सिक्योरिटी इंस्टालेशन आता है, इसके साथ भी सिक्योरिटी कोरिडोर चाहिए होगा। कहीं रेडार हैं, कहीं मिसाइल्स लगे हुए हैं, स्वाभाविक है कि वहां लोग रहें या नजदीक

की रेंज में लोग पहुंच पाएं, यह भी अपने आप में डिजाएरेबल नहीं है इसलिए इन जमीनों के आसपास एक कोरिडोर छोड़ना पड़ेगा।

इसका दूसरा पक्ष यह है कि वहां जिन लोगों की जमीनें हैं, उनका क्या होगा। यह हम जानते हैं, कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि शासन कई नियम बनाता है, पर्यावरण,सिक्योरिटी की वजह से बनाता है। जैसे राष्ट्रपति भवन या प्रधानमंत्री निवास के पास कोई दूसरी बड़ी हाई राइज एस्टाबलिशमेंट नहीं बना सकता, दिल्ली के अंदर लुटियन्स बंगलो जोन में नहीं बना सकता, मुम्बई के कोस्ट के साथ सी.आर.जेड. का इश्यू है कि पर्यावरण की वजह से नहीं बना सकता। इस तरह ये तमाम विषय हैं।

अब दूसरा पक्ष माननीय सदस्यों ने रखा है कि वे लोग जिनकी ईमानदारी की पूंजी लगी हुई है, उनकी जमीन इन एस्टाबलिशमेंट्स के नजदीक है। आपका कहना है कि जिनकी जमीन किसी सेंसिटिव सिक्योरिटी इंस्टालेशन्स के पास है तो पब्लिक इंटरैस्ट उसके ऊपर हावी रहेगा और उनकी निजी संपत्ति का अधिकार पीछे रह जाएगा। इन दोनों के बीच में समन्वय बनाना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्यों की इस भावना का आदर करता हूं इसीलिए मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा कि मई, 2011 में सुखना लैंड को लेकर सेना कांड हुआ था और आदर्श स्कैंडल हुआ था। सुखना का विवाद इसी संदर्भ में था कि आपने नो आब्जेक्शन आर्मी लैंड के नजदीक का दे दिया। उसे लेकर सारा विवाद हुआ था। इसलिए यह एक सर्कुलर वहां लाया गया था और सर्कुलर आने के बाद भी कई केसिज के अंदर नो ऑब्जैक्शन दिया गया है। मुम्बई में वर्ली क्षेत्र में आठ नो ऑब्जैक्शंस दिये गये हैं। इसलिए यह स्थिति नहीं है कि यह नहीं दिये जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से वहां जो नजदीक में जमीनों के मालिक हैं या जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हुई पूंजी लगाई है, उन्हें बहुत तकलीफ आए तो इसलिए इसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और उस रिव्यू की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स क्या होंगी। जितने डिफैंस हैडक्वार्टर्स हैं, उन्हें भेजा है, उनके सुझाव मंगवाये हैं और शीघ्र ही यह रिव्यू की प्रक्रिया सरकार आरम्भ करेगी, ताकि ये दोनों जो हित हैं कि एक तरफ बडा जनहित है और दूसरी तरफ जिन लोगों की भूमि है, उनकी भूमि का भी

अधिकार है, इसके बीच में समन्वय कैसे हो जाए, इसके संबंध में रिव्यू करके हम लोग निश्चित रूप से निर्णय लेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 755/16/14]

<u>अपराह्न 3.27 बजे</u>

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

माननीय अध्यक्ष: अब देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता पर नियम 193 के अधीन चर्चा करते हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत दिनों से कोशिश हो रही थी, लेकिन इसे बहुत दिनों के बाद आपकी सहमति मिली है. इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि सैशन के आखिरी दिनों में तो कम से कम यह विषय यहां पर आया है। इसकी गम्भीरता को देखने के बाद यह विषय पहले भी ले सकते थे, क्योंकि भारत देश में हर कोने-कोने में आज ...(व्यवधान) महोदया, गृह मंत्री यहाँ नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : राज्य मंत्री अभी बैठे थे, यहीं हैं, आ रहे होंगे।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : अभी राज्य मंत्री यहां बैठे थे। बाकी दूसरे मंत्री इसका नोट ले लें।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, अगर कैबिनेट मंत्री दूसरी सभा या कहीं और व्यस्त हैं, तो कम-से-कम राज्य मंत्री जी को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए और बहस का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री जी जवाब दे सकते हैं। सरकार इसे हल्के में ले रही है।

माननीय अध्यक्ष: कोई भी इसे हल्के में नहीं ले रहा है। गृह राज्य मंत्री अभी यहीं थे।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। आप इसे बाद में ले सकते हैं, जब मंत्री जी उपस्थित हों। तब तक आप सभा को आधे घंटे के लिए स्थगित कर सकते हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 4 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.29 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4 बजे पुनः समवेत हुई।

(**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

नियम 193 के तहत चर्चा ....जारी

देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किए

जाने की आवश्यकता

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): महोदय, माननीय गृह मंत्री जी को स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी थी, इसलिए हमसे थोड़ी चूक हो गई, जिसके कारण सदन में थोड़ी असुविधा हुई। मुझे इसके लिए खेद है।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है। अब, खड़गे जी।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष जी, मैंने कम्यूनल वायलेंस और इंक्रिज़िंग इंसिडेंट्स विषय पर प्रस्ताव किया था, लेकिन एजेंडा में जो आया है, जो सब्जेक्ट या विषय हमने दिया था, उसको जरा बदल कर पुरःस्थापित किया गया है। हमने विषय दिया था - 'सांप्रदायिक दंगों, हिंसा और ध्रुवीकरण की बढ़ती घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के जीवन और सुरक्षा को प्रभावित कर रही हैं।' लेकिन उसको अलग ढंग से आज के एजेंडा में रखा गया है। विषय कुछ भी हो, जब वह विषय एक बार एजेंडा में आया है तो मैं अपने विचारों को सदन के सामने रखता हूँ। ये इंसिडेंट्स, खास कर कम्यूनल रॉयट्स इस देश में क्यों हो रहे हैं? इनकी वजह क्या है? कौन इनके पीछे है? इनका कारण क्या है? केवल 2-3 महीने में ही इतनी संख्या में क्राइम बढ़ना, खास कर कम्यूनल इंसिडेंस ज्यादा होना, यह अच्छा लक्षण नहीं है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के साथ देखें तो शायद

सरकार उसको मान जाएगी। सरकार का यह भी कहना है कि हमारी सरकार आने के बाद ऐसा हुआ। ...(व्यवधान) नहीं, नहीं पेपर में आया है, वैंकैय्या साहब का भी रिपोर्ट, आप पढ़ते जाओ। कम से कम आपके नेता लोग क्या बोलते हैं, वह तो पढ़िए, फिर उसके बाद में देखेंगे। यह एक सफाई भी डिफेंस में दी जा रही है। लेकिन यह सत्य है कि आज जो इंसिडेंट्स यू.पी. में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, गोवा में हो गए, और दूसरी जगह हो रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण हैं? इनके पीछे कौन हैं? कौंन सी शक्तियां ये काम कर रही हैं? इसके बारे में उत्तर स्पष्ट मिलना चाहिए।

इस देश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर जो इंसीडेंट्स कराये जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई साम्प्रदायिक शक्तियाँ हैं या सत्ता को अपने काबू में रखने के लिए ऐसे इंसीडेंट्स किये जा रहे हैं। क्या कोई इनको करवा रहा है, इसकी भी स्पष्ट जानकारी हमें मिलनी चाहिए। हम यह देखते हैं कि हमारे देश का ढाँचा सेक्युलर है और संविधान भी यही कहता है। संविधान का जो प्रियाम्बल है, उसमें भी यही लिखा गया है कि,

[अनुवाद]

"हम, भारत के लोग, भारत को एक [संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य] में स्थापित करने और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए ईमानदारी से संकल्पित हैं:

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता;

स्थिति और अवसर की समानता; और उन सभी के बीच प्रचार करना

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बन्धुत्व;

इसलिए, 26 नवंबर, 1949, के दिन हमारी संविधान सभा में, इस संविधान को अपनाएं, अधिनियमित करें और स्वयं को सौंप दें।"

[हिन्दी]

तो संविधान में सेक्युलर, डेमाक्रैटिक, रिपब्लिक के लिए स्थान है। हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकार हो, उनका यह धर्म होता है कि इन तत्वों की हिफाजत करे, सुरक्षा करे। इसके बारे में इतनी केयर ले कि इसमें से किसी तत्व का उल्लंघन न हो और लोगों को दिक्कत न हो और शांति से सभी धर्मों के लोग, सभी समाज के लोग, सभी भाषा के लोग, सभी प्रान्त के लोग मिलकर रहें। इसके लिए कोशिश करना सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हक है या वह काम कर सकते हैं और यह उनका कर्तव्य है। लेकिन इन दो-तीन महीनों में जो 600 से अधिक इंसीडेंट्स हुए हैं।...(व्यवधान) कहां हुए है, अभी बताता हूं।...(व्यवधान) इनको कराने में किनका हाथ है?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: उन्हें बोलने दीजिए।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: जब आपके नेता बोल रहे हों, तो आपको सहयोग करना होगा। कृपया सहयोग करने का प्रयास करें। अन्यथा, प्रतिक्रिया होगी। यही समस्या है।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं इसे नियंत्रित करूंगा। यह आपका कर्तव्य नहीं है। यह मेरा कर्तव्य है। मैं इसे नियंत्रित करूंगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, यह बात मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ बल्कि वे भी जानते हैं। रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं; रोज मीडिया में सुनने को मिल रहा है; प्रतिदिन उन्हें प्रतिवेदन मिल रहे है; और उनकी इंटेलिजेंस

उन्हें फीडबैक भी दे रही है। लेकिन इसके बावजूद, यदि उन्होनें मना किया कहाँ हो गये तो मेरे पास लिस्ट है, अगर आप पूरा पढ़कर बताने के लिए बोलेंगे तो मैं एक-एक पढ़कर बता देता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: यह आवश्यक नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य स्थानों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 600 से अधिक घटनाएं हुई हैं। पश्चिमी यू.पी. में, ...(व्यवधान) इसीलिए तो देखेंगे कि इनके पीछे किनका हाथ है?...(व्यवधान) उसके पीछे कौन है?...(व्यवधान) इन्हें कौन करवा रहे हैं?...(व्यवधान) कौन इन्स्टिगेट कर रहे हैं?...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आज ये घटनाएँ हो रही हैं। बहुत से लीडर्स अपने भाषण से, अपने चलन से और जहाँ कहीं भी वे जाते हैं, और बहुत से जो धार्मिक लीडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि वे इस सदन के मैम्बर नहीं हैं, लेकिन जो .. [9*]संगठन हैं, ...(व्यवधान) इन संगठनों के नेता लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया बैठ जाइये।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: खड़गे जी, कृपया किसी विशेष नाम का उल्लेख न करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : उन्होंने केवल संगठन का नाम लिया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

[9*] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: हस्तक्षेप न करें।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर बैठें।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप केवल तभी बोलिए जब आपकी बारी आए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : इन्होंने संगठन का नाम लिया है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: यदि कोई आपत्तिजनक बात है, तो उसे हटा दिया जाएगा।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, ये घटनाएँ कब घटती हैं - जब इसके पीछे कोई प्रेरणा होती है, वो भी राजनीतिक सत्ता अगर किसी को हिम्मत आती है कोई इंसीडैंट कराने में, एक्साइट कराने में, या जो हादसे होते हैं, इसके पीछे अगर किसी को यह महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई पोलिटिकल पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वही व्यक्ति इसको कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन क्या कारण है कि सिर्फ दो-तीन महीने में ही इतनी घटनाएँ हो रही हैं? अब तक क्यों नहीं हुईं? आप तमिलनाडु की बात लीजिए, कर्नाटक लीजिए, केरल लीजिए या आंध्र प्रदेश लीजिए, जहाँ कहीं भी उनकी शक्ति कम है, उन जगहों पर यह नहीं हुआ। जिस जगह उनकी शक्ति ज्यादा है, उन जगहों पर ही ये घटनाएँ हो रही

हैं। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि अगर सरकार आई, आपको सत्ता मिली है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को सप्रैस करो, किसी को उचकाओ। ...(व्यवधान) किसी को इनसाइट करने के लिए, एक्साइट करने के लिए आपके हिन्दी में क्या बोलते हैं, मैं उसे उचकाना कह रहा हूँ। उर्दू में उचकाना भी बोलते हैं। ...(व्यवधान) आप क्यों इतना गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हमेशा सत्य बोलते हैं तो लोगों को सहन नहीं होता। जब सत्य बोल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। ...(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और दंगों के पीछे चंद पार्टियों का हाथ है। दंगों ने इन्हें सत्ता की चाबी दी है। बिहार में सरकार से बाहर होते ही बहुत सी जगह दंगे हुए। ऐसा ही दूसरी जगह भी पोलराइजेशन करने, दूसरों को अपने साथ में लेने और दूसरों को एक करने का एक ही तरीका है कि दूसरों को आइसोलेट करो, ऐसी भावना समाज में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यह गलत है, इसकी वजह से देश और समाज में फूट होगी। हम देश और समाज को जोड़ने की बात करते हैं। आप तो हमेशा समाज तोड़ने की बात करते हैं...(व्यवधान) हम जब यह कहते हैं कि सभी लोग एक हैं, सभी लोगों को मिल कर रहना चाहिए तो आप वहां जा कर तक़रीरें करके, समाज में धर्म के नाम पर या उसूल के नाम पर फूट डालने की कोशिश करते हैं। आप के लोग उस क्षेत्र में अपने उसूलों को लागू करने के लिए हर ढंग से कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से माइनोरटीज़, वीकर सेक्शन्स या लिंग्विस्टीक माइनोरटीज़ को दबाने की कोशिश चल रही है ताकि वे लोग पोलीटिकल पावर से दूर रहें। जो लोग सत्ता में आए हैं, इस तरीके से अपने आपको सत्ता में कायम रखने की कोशश कर रहे हैं। यह देश सभी का है, किसी एक का नहीं है। कोई एक ठेकेदार नहीं है, रिलीजन के नाम पर कोई ठेका नहीं ले सकता है।

महोदय, आपको तो मालूम है, आप तमिलनाडु से आए हैं, धर्म इंसान की भलाई के लिए होता है। धर्म ने मनुष्य के उत्थान के लिए जन्म लिया है। मनुष्य ने धर्म के लिए जन्म नहीं लिया है; धर्म बाद में, हज़ारों वर्षों के बाद आए हैं। मानवविज्ञान यह बताता है और आप मानवविज्ञान के छात्र रहे हैं। जब धर्म मनुष्य के हित और कल्याण के लिए है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। धर्म अलग चीज है, अधिकार अलग चीज है। इस देश

को बनाने के लिए सभी की जरूरत है ताकि कोई एक ठेकेदार यह नहीं कह सकता कि हम से ही देश बनता है और हम ही सब कुछ कर सकते हैं, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है।...(व्यवधान) आपकी ठेकेदारी इसमें नहीं चलेगी। इस देश को एकता से रखने के लिए यह जरूरी है कि हम सभी को मिल कर काम करना है। जहां भी अन्याय हो रहा है, उदाहरण के लिए मैं दो-चार जगह बताना चाहता हूं, जिस-जिस जगह चुनाव हो रहे हैं या उप-चुनाव हो रहे हैं, जिन जगहों पर चुनाव आ रहे हैं, उन्हीं जगहों पर, उन्हीं राज्यों में ये दंगे ज्यादा हो रहे हैं। उप-चुनाव यूपी में हैं, इसीलिए वोट पोलराइज्ड करने के लिए वहां दो महीने में 600 से अधिक दंगे करवाए गए हैं।...(व्यवधान) अगर कुछ बोलते हैं तो कहा जाता है कि राज्य सरकार का दायित्व है और राज्य सरकार ऐसा करवा रही है। राज्य सरकार की अगर कमियां हैं तो जो करना है वे करेंगे। इसके पीछे आपके लोग जो काम कर रहे हैं, जिनमें हिम्मत आयी है, उनमें यह हिम्मत आपके पावर में आने के बाद आयी है, वे इस देश को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोगों को डरा कर रखते हैं। हर एक को दबा कर रखने की यह जो आपकी नीति है, यह नीति बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, लोग इसके लिए एक-न-एक दिन रिवोल्ट करेंगे और आपको सबक़ सिखाएंगे।

दूसरी चीज़, सिर्फ दो महीने में, केवल मई, जून में जो इंसीडेंट्स हुए हैं, ये आपके ही डाटा हैं।...(व्यवधान) आप पेपर कटिंग दिखा रहे हैं, मैं तो आपका ही डाटा निकाल कर लाया हूं। वह ही बता रहा हूं।...(व्यवधान) सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि मई-जून में देश में सांप्रदायिक हिंसा की 113 घटनाएं हुई हैं जिनमें 15 लोगों की मृत्यु हुई है और 318 घायल हुए हैं।

यह राज्य सभा में अनस्टार्ड क्वैश्चन में आपका रिप्लाई है। इसे कोई प्रूफ़ की जरूरत नहीं है। यह तो गवर्नमेंट की रिप्लाई है।...(व्यवधान) यह दो महीने पहले का है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में हुई हैं, जहां 15 में से 13 मौतें हुई है। इस जानकारी का स्रोत राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 788 का उत्तर है।

[हिन्दी]

इस पर तो आप विलीभ करते हैं या नहीं करते हैं, यह मालूम नहीं है, लेकिन आप पेपर कटिंग के बारे में बता रहे थे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

यह मतदान के लिए निर्धारित 12 निर्वाचन क्षेत्रों में या उसके आसपास हुआ। दो महीनों में लगभग 200!

इसके बाद ईद से पहले 28 जुलाई को भुज में सांप्रदायिक झड़पें हुई, जब तत्काल संदेश सेवा पर पैगंबर के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों ने स्थानीय लोगों के बीच झड़पों को जन्म दिया। यह न केवल समाचार पत्रों में बल्कि अन्य सभी मीडिया में भी रिपोर्ट किया गया था।

चूंकि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य का विषय है, अगर हम राज्यवार सांप्रदायिक हिंसा के सरकारी आंकड़ों को देखें।

[हिन्दी]

जिस जगह यह हो रहा है, वहां की सरकार को बुलाकर या उन से बातचीत करके कि इसमें क्या कमी है, इसके पीछे कौन है, ऐसा क्यों हो रहा है, आज तक इसे एनालाइज़ नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बड़े हल्के से ले रही है। वे नहीं चाहते कि इस देश में अमन रहे और सब मिल कर रहें। आप हम पर वोट बैंक के लिए कार्य करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी वोट बैंक के लिए यह पोलेराइज़ेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है। जिस ज़गह पर शांति है, हर ज़गह उस शांति को भंग करने का काम उन्होंने शुरू

किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके बारे में स्पष्ट उत्तर उन से आना चाहिए। इसके बारे में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए।

मैं, खासकर, होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। ये जो आंकड़े हैं, ये तो आपने ही राज्य सभा में दिया और दूसरे आंकड़े जिसमें 600 से अधिक इंसीडेंट्स हो गए, वे भी आपके पास हैं। ये सब आपके पास हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कई सदस्यगण बोलना चाहते हैं। पार्टी के अन्य नेता भी हैं और वे भी बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सर, उन्होंने पूछा कि कब-कब हुआ तो इसके बारे में बता दिया। अगर अभी के इंसीडेंट्स को देखना है तो 4 अगस्त का मेरठ का वॉयलेंस, 28 जुलाई का भुज का इंसीडेंट, 26 जुलाई का सहारनपुर का, 9 जून का गुड़गांव के इंसीडेंट्स को देखिए। दूसरे ज़गहों पर भी ऐसे इंसीडेंट्स हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सी लिस्ट्स हैं, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। यह सरकार आने के बाद जो कम्युनल एलिमेंट्स हैं, उनको ऐसी ताकत मिली है कि हम कुछ भी करेंगे तो भी यह सरकार हमारे साथ रहेगी, यह उनका कहना है। इसीलिए ये वॉयलेंस एवं इंसीडेंट्स बढ़ रहे हैं और वे उसका समर्थन भी एक न एक दृष्टि से कर रहे हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आपने 25 मिनट लिए हैं। दूसरे माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। हमें इस चर्चा का जल्दी समापन करना होगा क्योंकि इस चर्चा के लिए दो घंटे आबंटित किए गए हैं। इसलिए, मैं यह कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उपाध्यक्ष महोदय, ड्राउट पर चार दिन, एट्रोसिटी पर तीन दिन चर्चा हुई, इस पर मुझे थोड़ा बोलने का समय दीजिए। ऐसे इंस्टेंसेस बहुत हैं, मैं बताना चाहता हूं। यह सरकार हमेशा इसको टालती रही। जहां-कहीं भी इंसीडेंट्स होते हैं, उसके बारे में अगर हम यहां पर आवाज उठाते हैं तो उसको टालने की और आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। हम कई बार स्पीकर से जाकर मिले, मिनिस्टर से भी हमने अपील की, उसके बाद आज यह मामला आया है। ...(व्यवधान) इसीलिए मैं होम मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूं, हम यह नहीं कह रहे कि सरकार ने खुद सामने खड़े होकर यह करवाया है, ऐसा तो हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आपके आने के बाद ही उनमें क्यों हिम्मत आती है और ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं, यह हम बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए आपको इसके बारे में सोचना होगा। ...(व्यवधान) हर एक नेता आप देखिए, मैंने जब वी.एच.पी. और बजरंग दल का नाम लिया तो ये लोग बहुत गुस्से में आए। भागवत साहब ने जो बोला, वह भी आपको मालूम है। यानी हर लीडर, इनके सिम्पेथाइज़र, सपोर्टर्स और जितने भी कार्यकर्ता हैं, इस देश में अशांति फैलाने के लिए जो स्टेटमेंट देना है, वही देते हैं।

मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए एक आखिरी बात कहता हूं। वे समझ सकते हैं, इधर के लोग भी समझ सकते हैं, आप ट्रांसलेशन में क्या समझ सकते हैं, जरा देखिए। नायडू साहब को भी मैं यही बोल रहा हूं कि "मत्तल में आते हैं वे खंजर बदल-बदल के, मत्तल मतलब कतल करने की जगह, मत्तल में आते हैं वे खंजर बदल-बदल के, या रब मैं कहां से लाऊं सर बदल-बदल के।" मत्तल में इनके खंजर बदल-बदल के आते हैं, लेकिन जिनके सिर कट जाते हैं, वह सिर तो एक ही रहता है, खंजर तो अनेक रहते हैं। इसीलिए आपके पास बहुत से खंजर हैं, आप खंजर बदल-बदल के मत्तल में आते हैं, लेकिन भगवान ने हमें एक ही सिर दिया, यह सिर मत काटो, इस देश के टुकड़े मत करो, समाज के टुकड़े मत करो, समाज को, देश को एक रखो। देश और समाज अगर एक रहेगा, उसी वक्त हम सब आगे बढ़ेंगे। इस देश में अगर फूट डालने की कोशिश करेंगे, अपनी हुकूमत रखने के लिए अगर ऐसी चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन ऐसा आएगा, हम-तुम मिल कर पछताएंगे।...(व्यवधान)

इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कांग्रेस के नेता माननीय खड़गे जी की बातों को यहां पर सुन रहा था। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपना लिखित स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि 113 घटनायें घटित हुयीं, लेकिन जब वे मौखिक बोल रहे थे तो कह रहे थे कि 600 से आधिक घटनायें घटित हुयीं। इसमें सत्य क्या है? मुझे लगता है कि यह पूरा देश जानता है।

26 मई को श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने शपथ ग्रहण किया था। इस देश के अंदर इस सरकार के आने के बाद आम जनता में विश्वास बहाली हुयी है। यह शासन और प्रशासन में देखा जा सकता है। खड़गे जी जो आंकड़े यहां पर कह रहे थे, मैं उसके पीछे के आंकड़े आपको बताता हूं। मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़े वास्तव में स्वीकार करेंगे और सचमुच इस देश की साम्प्रदायिक हिंसा से चिंतित हैं तो साम्प्रदायिक आधार पर इन्होंने जो घोषणायें की हैं तो इनको पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी।

महोदय, जिन प्रदेशों की घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं, वर्ष 2011 में न वहां पर और न ही केंद्र में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस देश में 580 घटनायें घटित हुयीं। इनमें 91 लोग मारे गए और 1899 घायल हुए। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर 84 घटनायें घटित हुयीं, 12 लोग मारे गए और 347 लोग वर्ष 2011 में घायल हुए थे। ...(व्यवधान) खड़गे जी, आपने कहा है, आप सुन तो लें।...(व्यवधान) आप सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं हमेशा सदन में बैठता हूं। ...(व्यवधान) मैं आपके जैसा नहीं करूंगा। ...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : महोदय, दूसरे नम्बर पर महाराष्ट्र है। ...(व्यवधान) वहां 88 घटनाएं घटित हुईं। ...(व्यवधान) वहां कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है। ...(व्यवधान) वहां 88 घटनाएं घटित हुईं, जिनमें 15 लोग मारे गये। तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है, वहां 70 घटनाएं घटित हुईं। केरल में 30 घटनाएं घटित हुईं। ...(व्यवधान) मैं वर्ष 2011 की बात कर रहा हूँ। वर्ष 2012 में 668 घटनाएं घटित हुईं, जिनमें

94 लोगों की मौतें हुईं और 2,117 घायल हुए। वर्ष 2013 में केन्द्र में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, तब 823 से अधिक साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं पूरे देश के अन्दर घटित हुईं।

यद्यपि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य सरकार की जैसी मंशा होती है, वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व जैसा होता है, वहाँ का प्रशासन उसी प्रकार की कार्रवाई करता है। मुझे लगता है कि ईमानदारी से इन लोगों ने विश्लेषण किया होता और अपनी केन्द्र सरकार या अपने से जुड़े हुए अपने सहयोगी दलों के द्वारा जो संचालित सरकारें हैं, उन सरकारों के साम्प्रदायिक एजेंडे पर ध्यान दिया होता कि आखिर यह पोलराइजेशन क्यों हो रहा है, पोलराइजेशन के कारण क्या हैं? पोलराइजेशन के पीछे के कारणों को ईमानदारी से विश्लेषण करिए, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं और दूसरी तरफ जो एजेंडा लागू करते हैं, उसको साम्प्रदायिक रूप से कम्युनल आधार पर लागू करते हैं। इस देश में 12 लाख से अधिक साधु-सन्त और पुजारी रहते हैं। ये लोग इमामों के लिए वेतन की घोषणा करते हैं, एकपक्षीय कार्रवाई करते हैं, क्या यही सेक्युलर एजेंडा है? इसे दिल्ली की सरकार ने किया, पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने किया, क्या यही सेक्युलर एजेंडा है? ये लोग समाज को साम्प्रदायिक आधार पर बांटते हैं।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। वहाँ पर जो योजनाएं हैं, उनमें 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी के लिए आरक्षित कर दिया गया। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर गांव-गांव में विवाद खड़ा कर के 300 करोड़ रुपए उसके लिए आबंटित किए जाते हैं और गांव-गांव में उसके माध्यम से विवाद खड़ा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, किसी भी अन्य उपासना विधि के नाम पर, मदरसों के नाम पर और मजारों के नाम पर कब्जा मत करने दो। लेकिन, उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर धड़ल्ले से काम चल रहा है। उस पर कोई रोक-टोक नहीं है, क्योंकि शासन की यह मंशा है इसलिए प्रशासन उसमें बोलता नहीं है, क्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा? उसी प्रकार से उससे भी खतरनाक स्थिति आतंकवादियों पर दायर मुकदमें वापस लिए जाते हैं। ...(व्यवधान) इस देश में जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, ...(व्यवधान) जिन लोगों ने राष्ट्र की संप्रभुता को

चुनौती दी है,...(व्यवधान) जो लोग भारत की संप्रभुता को लगातार चुनौती दे रहे हैं,...(व्यवधान) और देश में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, ...(व्यवधान) उन लोगों पर दायर मुकदमें,...(व्यवधान) चाहे वह राम जन्म भूमि पर आतंकी हमले का मामला हो...(व्यवधान) या संकटमोचन मंदिर काशी में सी.आर.पी.एफ. रामपुर का मामला हो,...(व्यवधान) या गोरखरपुर का सिरियल ब्लास्ट का मामला हो,...(व्यवधान) ये जितने भी मामले हैं...(व्यवधान) इन सभी मामलों में जिन आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हुए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने वोट बैंक के लिए उन मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया है। अगर न्यायालय बीच में नहीं होता तो संभवतः आतंकवादी बाहर छूटकर नरसंहार कर रहे होते, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है...(व्यवधान) और पूरे देश के अंदर हुआ है। ...(व्यवधान) उसके बाद भी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे?...(व्यवधान)

महोदय, चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक कौन है? ...(व्यवधान) कौन है सांप्रदायिक? ...(व्यवधान) मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। महोदय, हम लोगों ने जो जाना है, हम लोगों ने जो समझा है कि सांप्रदायिक वह होता है, जो कहता है कि मेरा ईष्ट, मेरा देव या मेरा पैगम्बर ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके मानने वालों को तो जीवित रहने का अधिकार है, शेष को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि वह सांप्रदायिक है। हिन्दू जीवन दर्शन कभी इस बात की इजाजत नहीं देता है। हमने 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम' का संदेश दिया था। हमने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का संदेश दिया था।...(व्यवधान) हमने तो इस देश के अंदर एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' की बात कही है। हमारा दर्शन जीओ और जीनो दो में विश्वास करता है। दुनिया की कौन-सा ऐसा मजहब और कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में इस हिन्दू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो, उसको फलने-फूलने का अवसर न दिया हो। दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा कौम है? लेकिन जिस हिन्दू दर्शन ने सबको शरण दी, सबको फलने-फूलने का भरपूर अवसर दिया, आज जब उसी के खिलाफ षडयंत्र होना प्रारंभ होता है तो उसे एकजुट होना तो पड़ेगा ही और मुझे लगता है कि इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिन्दू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि आज उसके खिलाफ शासन तंत्र से जो षडयंत्र हो रहे हैं, उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। आज वही स्थिति सामने आई है।

महोदय, मैं पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं। ...(व्यवधान) जब भारत के मुसलमान हज यात्रा पर जाते हैं...(व्यवधान) तब उनकी पहचान भारतीय के नाम पर नहीं...(व्यवधान) पाकिस्तानी के नाम पर नहीं ...(व्यवधान) बंगलादेशी के नाम पर नहीं ...(व्यवधान) भारतीय उपमहाद्वीप के जो भी मुसलमान हज यात्रा के लिए जाते हैं...(व्यवधान) उनकी पहचान हिन्दूस्तानी के नाम पर होती है। ...(व्यवधान) उनकी पहचान भारतीय, पाकिस्तानी या बांगलादेश के नाम पर नहीं ...(व्यवधान) लेकिन अगर हम यहां हिन्दू पहचान उनके ऊपर लागू करने का प्रयास करते हैं...(व्यवधान) तो इनको बुरा लगता है।...(व्यवधान) हिन्दू सांप्रदायिकता नहीं...(व्यवधान) हिन्दू राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ...(व्यवधान) भारत की राष्ट्रीयता के प्रतीक इस हिन्दुत्व को वे बदनाम करेंगे...(व्यवधान) तो उसकी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार कहना चाहता हूं...(व्यवधान) गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने कहा था कि अगर भारत को समझना है...(व्यवधान) उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है तो भारतीय अस्मिता को पहचानना पड़ेगा। भारतीय अस्मिता को पहचानना है तो स्वामी विवेकानन्द के बारे में आप जान लीजिए। स्वामी विवेकानन्द ने एक बात कही थी - गर्व से कहो हम हिन्दू हैं। स्वामी विवेकानन्द साम्प्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानन्द किसी पार्टी के नहीं थे, स्वामी विवेकानन्द ने पूरी दुनिया के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया था।...(व्यवधान) पूरी दुनिया के अंदर हिन्दू अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था। आज उस हिन्दू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। वह कश्मीर से विस्थापित होता है। उसे कश्मीर से निकाला जाता है।...(व्यवधान) उस बारे में इस सदन में एक बार भी चर्चा नहीं होती। तब इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से साढ़े तीन लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं।...(व्यवधान) तब ये लोग नहीं बोलते।...(व्यवधान) वर्ष 2012 में असम के अंदर तीन महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा। कोई नहीं बोला।...(व्यवधान) जम्मू कश्मीर के हिन्दुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। ये लोग एक बार भी नहीं बोले, इन्हें पीड़ा नहीं हुई।...(व्यवधान) यह दुनिया के अंदर अपने आप में विरला उदाहरण था जहां अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विस्थापित होकर खानाबदोश की जिंदगी

जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निन्दा एक बार भी इन लोगों ने नहीं की। ...(व्यवधान) मुम्बई के दंगों पर ये लोग मौन रहे। जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय में हुए थे। इन लोगों ने उस पर एक बार भी चिन्ता व्यक्त नहीं की। और तो और, जिन सिख गुरुओं का योगदान इस देश को बचाने, इस देश की धर्म और संस्कृति और समाज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण था, वर्ष 1984 में उन सिखों के कत्लेआम पर भी इन्हें शर्म महसूस नहीं होती।...(व्यवधान) यहां ये लोग इस देश के अंदर साम्प्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं। इनका पूरा चेहरा साम्प्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, साम्प्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है।...(व्यवधान) असम में क्या हो रहा है? बंगलादेशी घुसपैठिए इन लोगों के अपने हो गए।...(व्यवधान) इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया।...(व्यवधान) असम में बंगलादेशी घुसपैठियों के कारण कोकराझार...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 के तहत है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और हमारे सदन के अध्यक्ष श्री एम. सदस्य ने सांप्रदायिक दंगों का उल्लेख किया है। वर्ष 2011 के संबंध में उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं जो गलत हैं। वह पूरी तरह से 10-02-2013 को भूल गये हैं। वह गलत आंकड़े नहीं दे सकते हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के बाद गुजरात का स्थान रहा। मैं सीधे कार्यवाही वृत्तान्त रखना चाहता हूँ। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। आप माननीय सदस्यों द्वारा उनके भाषण में उल्लिखित आंकड़ों पर विवाद कर रहे हैं। आप अपने भाषण में इसका उल्लेख कर सकते हैं। इस पर कोई नियम नहीं है। आप अपने भाषण के दौरान तर्क का मुकाबला कर सकते हैं। जब आपका बोलने का समय आएगा, तो आप आंकड़ों पर विवाद कर सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ...[10*]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री योगी आदित्यानाथ, आप जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है। इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन और कश्मीर पर हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे।...(व्यवधान) मैं वर्ष 2011-12 में असम में देख रहा था। तीन महीनों तक लगातार दंगे होते रहे। इन्होंने सदन में एक बार भी चर्चा नहीं करवाई। असम जलता रहा। इसके साथ-साथ एक बार कांग्रेस के लोगों ने असम के ही मुख्य मंत्री जी को कठघरे में खड़ा कर दिया कि उन्होंने बोडो लोगों के बारे में कैसे बोल दिया। अरे, बोडो वहां का नागरिक है। उसके बारे में नहीं बोलेंगे, तो किसके बारे में बोलेंगे? लेकिन ये लोग बंगलादेशियों, घुसपैठियों की वकालत करते हैं...(व्यवधान) बंगलादेशी घुसपैठियों की वकालत करते हुए इन लोगों ने पूरे पूर्वोत्तर भारत का समीकरण बदला है। ...(व्यवधान) असम में आज कोकराझार, धुबरी, चिराग और बरपेटा जिले, जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि बंगलादेशी घुसपैठियों ने वहां आकर जमीनों पर कब्जा कर लिया है। इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ-साथ उनके राशन कार्ड बनाये हैं और इन्होंने ... (व्यवधान) [11*]इन्होंने देश के साथ खिलवाड़ उनके माध्यम से करवाया है। ...(व्यवधान)

महोदय, हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते। मैं कांग्रेस और कम्युनिस्टों से कहना चाहता हूं कि कोयम्बटूर और बेंगलुरू धमाके का जो अभियुक्त है, उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधान सभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाता है। दोनों दल एक साथ अपील करते हैं कि उसे छुड़वाओ। ...(व्यवधान) क्या यही सेक्युलर है? क्या इनका यही सेक्युलर एजेंडा है? क्या इस देश में यही सेक्युलरिज्म है? ...(व्यवधान) इस देश में क्या

[10*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[11*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुआ था? ...(व्यवधान) इस देश में जो हुआ था, उसे हम भूले नहीं हैं। ...(व्यवधान) 11 अगस्त, 2012 को मुम्बई के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ ...(व्यवधान) आजाद मैदान की घटना क्या थी? आजाद मैदान में रोहिंगया मुस्लिम जो बर्मा में रहते हैं, उनके और वहां के बौद्धों के बीच में हिंसा हुई, दंगे हुए। यह मामला भारत का न होकर म्यंमार का है, लेकिन म्यंमार की घटना में दंगा कहां होता है--आजाद मैदान मुम्बई में। ये लोग मौन रहते हैं। वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है ...(व्यवधान) मीडिया कर्मियों को मारा जाता है। उनके साथ-साथ पुणे में दंगे हुए। ...(व्यवधान) उनके साथ उत्तर प्रदेश में बरेली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में दंगे हुए। ये लोग मौन रहे। इन लोगों मे कभी उस पर आवाज नहीं लगायी। ये लोग उस घटना पर मौन रहे। ये वही लोग हैं, जो आजाद मैदान की घटना पर मौन थे और बाबा रामदेव और उन सत्याग्रहियों पर ये लोग रामलीला मैदान में लाठीचार्ज करते हैं। ... (व्यवधान)[12*] बेशर्मी के साथ वंदे मातरम् का गान करने वाले देश भक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलायी है? कौन इस देश में फैला रहा है? कौन इस देश में सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? ...[13**] ..(व्यवधान)

महोदय, उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं आयी हैं, उन घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे ...(व्यवधान) जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को अगर मैं आपके सामने रखूं, तो घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली घटनाएं हैं। ये चौंकाने वाली घटनाएं कितनी खतरनाक हैं ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, मैं नियम 380 के तहत एक व्यवस्था के प्रश्न पर हूँ। माननीय सदस्य ने मानहानिकारक बयान दिया है। नियम 380 के अनुसार:

12* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

13** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

“यदि अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग वाद-विवाद में किया गया है जो मानहानिकारक या अशोभनीय या असंसदीय या अमर्यादित हैं, तो वह विवेकाधिकार में यह आदेश दे सकता है कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।“

… (*व्यवधान*)

सदस्य ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। हम पहले ही सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा उठा चुके हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि देश में धर्मनिरपेक्षता बनी रहे। इसलिए, हम इस मुद्दे पर चर्चा चाहते थे। लेकिन माननीय सदस्य ने बोलते हुए पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होनें पाकिस्तान का नाम लेते हुए हमें गाली दी। महोदय, यह असंसदीय है। इसे हटाया जाना चाहिए। … (*व्यवधान*)

श्री पी. करुणाकरण (कासरगोड): वह हिंदू और मुस्लिम जैसे शब्दों का उपयोग करते रहे हैं। यह देश के धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सदस्य ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं। मैं कार्यवाही वृत्तान्त को देखूँगा और अगर इसमें कुछ भी आपत्तिजनक है, तो मैं इसे हटा दूंगा। योगी आदित्यानाथ अब जारी कर सकते हैं।

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक एजेंडा इन लोगों का है, हमारा नहीं। हम लोगों ने पूरे देश को एकजुट करने का वायदा किया था।...(व्यवधान) हम लोगों ने तो नारा भी दिया था- "सबका साथ और सबका विकास। " लेकिन असम में "अली और कुली " का नारा इन लोगों ने दिया था।...(व्यवधान) असम को ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसे देश से अलग करने की साज़िश कर रहे हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या यही सेकुलरिज्म है? ...(व्यवधान)

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 में 118 घटनाएँ घटित हुईं, वर्ष 2013 में 247 और मार्च से मई तक 65 घटनाएँ घटित हो चुकी हैं। सहारनपुर का दंगा इसलिए हो जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर सहारनपुर में एक गुरुद्वारा का निर्माण हो रहा था। न्यायालय के आदेश को शासन नहीं मानेगा, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानेगी। कांठ में इसलिए विवाद होता है क्योंकि उस

गांव में चार धर्मस्थल हैं- तीन मस्ज़िद और एक मंदिर। मंदिर हिन्दू समुदाय का है। तीन मस्ज़िदों पर माईक रहेगा, लेकिन मंदिर से माईक उतार दिया जाता है। क्या यही इन लोगों का सेकुलर एजेंडा है? क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या इसे ही आप सेकुलरिज्म कहेंगे?

महोदय, मेरठ में एक घटना घटित हुई। मेरठ में एक बालिका का अपहरण होता है और इसके बाद उसके साथ जो घटना घटित होती है, वह कितनी शर्मनाक थी?...(व्यवधान) महिला हिंसा पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस महिला पर हुए हिंसा की हम बात कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग मौन हो जाते हैं।...(व्यवधान) उस मामले में इन लोगों की जुबान नहीं खुलती। ...(व्यवधान) न्याय का तराज़ू तभी चलेगा, जब इस देश के अंदर सबके लिए कानून समान रूप से लागू होगा। ...(व्यवधान) इस देश में कानून मात्र सम्प्रदाय और मज़हब के आधार पर लागू नहीं हो सकता। ...(व्यवधान) इसीलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूँगा, ...(व्यवधान) कांग्रेस ने मौका दिया है, अच्छा होगा कि पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में ये जो घटनाएँ घटित हुई हैं, ...(व्यवधान) उनकी एसआईटी द्वारा जांच करवा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के किसी सीटिंग जज़ से इन साम्प्रदायिक दंगों की जाँच करवाने के साथ-साथ, अराष्ट्रीय तत्त्वों से किनके सम्बन्ध हैं, इसकी भी जाँच करवा दी जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। ...(व्यवधान) यही मांग करते हुए, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये लोग साम्प्रदायिक एजेंडे के साथ देश के सामने आए हैं, ...(व्यवधान) देश के खिलाफ इनके खतरनाक मंसूबों के खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री जे.जे.टी. नटर्जी (थूथुकुडी): श्री उपाध्यक्ष, महोदय, *पुरात्ची थलाइवी* अम्मा, के सक्षम नेतृत्व में तमिलनाडु को राज्य में उत्कृष्ट सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का अनूठा गौरव प्राप्त है, हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में कुछ सांप्रदायिक तत्व सांप्रदायिक दरार पैदा करने की आदत में हैं। *पुरात्ची थलाइवी* अम्मा ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए हर कदम उठाया है। राज्य द्वारा उठाए गए कदमों में निवारक और दंडात्मक कदम शामिल हैं। कानून बिना किसी पूर्वाग्रह के लागू होते हैं। परिणामस्वरूप, सभी धार्मिक और जाति समूह माननीय मुख्यमंत्री *पुरात्ची थलाइवी* अम्मा के प्रयासों की सराहना करने में एकमत हैं।

राज्य में पुलिस बल राज्य में सांप्रदायिक बलों की तुलना में पूर्ण तटस्थता का निरीक्षण करता है। कानूनों को बिना किसी भय या पक्षपात के उद्देश्यपूर्ण तरीके से लागू किया जाता है। माननीय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, राज्य में पुलिस बलों ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ दिया है।

मैं प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित मोती शहर तूतीकोरिन का प्रतिनिधित्व करता हूं, जो अपने सभी मौसम के प्रमुख पत्तन और कई उद्योगों के लिए जाना जाता है। तूतीकोरिन में और उसके आसपास के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की तत्काल आवश्यकता है, जैसे कि दोहरी लाइन बिछाना और क्षेत्र में कर्षण का विद्युतीकरण, एक सुपर फास्ट ट्रेन शुरू करना जो तूतीकोरिन को चेन्नई से जोड़ती है, मदुरै और तिरुची में सीमित स्टॉप के साथ, हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत और रेलवे द्वारा कोयम्बटूर, कोच्चि और बेंगलुरु के लिए कनेक्टिविटी, तूतीकोरिन बंदरगाह का एक प्रमुख कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब में विकास और एक जहाज निर्माण खंड को जोड़ना, और तूतीकोरिन से मदुरै और तिरूनेलवेली तक छह लेन राजमार्गों का निर्माण करना।

हमारे प्रिय नेता, अम्मा के मार्गदर्शन में, गृह विभाग अनुकरणीय तरीके से राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। सभी संबंधित पक्षों को सांप्रदायिकता के दुष्प्रभावों और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों के इरादों को विफल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया है।

साथ ही, हमारे तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री सांप्रदायिक हिंसा (न्याय और क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2013 पुर:स्थापित करने के केंद्र सरकार के प्रयासों के सख्त खिलाफ हैं। यह कानून, जो सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा के मामलों से निपटने में राज्यों को पूरी तरह से बाहर रखने के लिए केंद्र को अधिक अधिकार देने का प्रयास करता है, न्यायमूर्ति सरकारिया आयोग द्वारा परिकल्पित केंद्र-राज्य संबंधों के मानदंडों को खराब करता है। यह राज्य सरकारों को पूरी तरह से दरकिनार करने और सभी शक्तियों को केंद्र सरकार में केंद्रित करने का एक ज़बरदस्त प्रयास है, जिससे राज्य पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाएंगे और पूरी तरह से केंद्र की दया पर निर्भर हो जाएंगे। इससे विशेष रूप से यह आभास हुआ कि यह केवल केंद्र था जो संगठित सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा के बारे में बहुत चिंतित था जबकि राज्य सरकारें ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती थीं। ऐसा दृष्टिकोण पूर्णतः पक्षपातपूर्ण है।

हम इस तरह के विधेयक को पुर:स्थापित करने के खिलाफ हैं। केंद्र को इस तरह के प्रयासों को छोड़ देना चाहिए और सांप्रदायिक हिंसा के खतरे से लड़ने में राज्य सरकारों के साथ हाथ मिलाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हम आज देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, यह बहस का मुद्दा नहीं है कि हम एक-दूसरे के साथ लड़ेंगे। इसका उद्देश्य कुछ प्रणाली विकसित करना है। श्री खड़गे जी ने चर्चा शुरू की और योगी आदित्यनाथ ने कुछ हद तक इसका जवाब दिया। हम सभी को यह समझ आना चाहिए कि हम धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव और देश की अखंडता के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। हम यह भी महसूस करते हैं कि भारत का मुख्य लोकाचार विविधता में एकता को दर्शाता है। हम गीत गाते हैं:

"नाना भासा, नाना मोत

नाना पोरीधन

बिबिधेर माझे देखो मिलोनो मोहन"

इसका अर्थ है कि हम अनेक भाषाएँ बोलते हैं, अनेक पोशाकें पहनते हैं, अनेक मत रखते हैं परन्तु फिर भी हम इस मत के दृढ़ विश्वासी हैं कि अनेकता में एकता होनी चाहिए।

राष्ट्रगान में, हम गाते हैं: "पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग" तो, यही भावना है। हम, भारतीय, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, जहां हर धर्म, हर व्यक्ति को अपनी राय, अपनी सोच, अपने विचारों पर बोलने का अधिकार है। लेकिन चर्चा, जैसा कि आज दिखाई देती है, से पता चलता है कि वे वहां बैठे हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं और यहां हम मुसलमानों के लिए हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। इस पूरे सदन में हम जाति, पंथ और धर्म के सभी प्रकार के विश्वासियों के लिए हैं। हम इस महान देश की भलाई के लिए खड़े हैं। ये वो देश है जहां *इक़बाल* ने गाया: "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा।" इसलिए, हमें एकजुट होकर यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे देशवासियों में यह प्रेम और सुरक्षा की भावना बहुत प्रबल हो। यहां कोई अल्पसंख्यक हो सकता है, वे किसी

अन्य स्थान पर बहुमत में हो सकते हैं। यदि हम पूरे विश्व को देखें, तो ईसाई और मुसलमान बड़े पैमाने पर बहुसंख्यक हैं। हमारे देश में कुछ जगहों पर अल्पसंख्यक हैं, जिनका मतलब केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई भी हैं। वे सभी पूरी तरह से अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। यह देश को चलाने वाली सरकार है।

अपराह्न 05.00 बजे

देश में सांप्रदायिक हिंसा न हो, यह सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। मुझे उम्मीद है कि राजनाथ सिंह *जी* एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और उन्हें, देश के गृह मंत्री जी के रूप में, हमेशा आश्वासन देने का प्रयास करना चाहिए कि सांप्रदायिक हिंसा कहीं भी नहीं होने दी जाएगी। उकसावे निश्चित रूप से सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं।

बंगाल वास्तव में एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं वह यह है कि राज्य के कुछ कोनों में कुछ तनाव पैदा हो रहे हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा, कि उन राज्यों का पता लगाएं जो मूल रूप से सांप्रदायिक संघर्ष और सांप्रदायिक हिंसा से पूरी तरह से तनाव मुक्त राज्य के रूप में जाने जाते हैं, और यह भी पता लगाएं कि किसी स्तर पर इस प्रकार के तनाव क्यों हो रहे हैं। इन्हें प्रारंभिक चरण में ही रोका जाना है।

केवल सांप्रदायिक हिंसा बुरी भावनाओं, क्रूरता, संपत्तियों के नुकसान को पैदा करती है। ये ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में सभी की राय है कि उन्हें पंजीकृत किया जाना है। आदित्यनाथ *जी* कह रहे थे कि कुछ इमामों को कुछ लाभ मिल रहे हैं। वह यह दावा कर सकते हैं कि उन पुजारियों को भी कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए। यह किया जा सकता है। उन्हें यह क्यों मिल रहा है? यह चर्चा का लक्ष्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे असुरक्षा की भावना प्रबल होगी। इसलिए, वे दावा कर सकते हैं कि उन्हें भी कुछ सहायता या कुछ वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। ऐसी हमारी मांग है। वे कह सकते हैं कि यह एक अच्छा अर्थ देगा, और मुझे लगता है, यह सही

रास्ता होगा। … (*व्यवधान*) सत्ताधारी पार्टी, जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में एम.पी.एस. हैं, को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए और उनकी बारी आने पर जवाब देना चाहिए। इससे अच्छी चर्चा होगी।

अगर हम एकजुट हैं, तो हमारे देश की शांति कोई नहीं छीन सकता। सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा ने हमें दिखाया है कि किसी राज्य में कितना खतरनाक प्रभाव फैल सकता है या यह उस राज्य से बाहर जाकर पूरे देश में फैल सकता है। हमें शुरू से ही सतर्क रहना चाहिए।

मैं राजनाथ *जी* से यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सतर्क, सतर्क और सतर्क रहना चाहिए; अन्यथा, आम लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगी। इस महान देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को चुनौती दी जाएगी। मुझे उम्मीद है, कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसी स्थिति नहीं मांग रहा है। मैं बता रहा था कि जो कोई भी सत्ता में था, उस पर गौर करने की उनकी प्रमुख ज़िम्मेदारी होनी चाहिए।

कल, मैं तिरूवनन्तपुरम में यू.पी.ए. उपसभाध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का भाषण सुन रहां था। वह आंकड़ें दे रही थी कि इतनी घटनाएं हुई हैं और इतनी सांप्रदायिक हिंसा हुई है। मैं राजनाथ *जी* से अनुरोध करूंगा कि वर्तमान सरकार के खिलाफ इस आरोप को गंभीरता से लें। यदि संख्या 400, 500 या 600 से ऊपर जाती है, तो सरकार क्यों नहीं ज़िम्मेदारी लेती है और सभा को आश्वस्त करती है कि वे सभी आरोपों की जांच करेंगे जो यहां लगाए गए हैं?

आदित्यनाथ *जी* बता रहे थे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को इस पर विचार करने के लिए अधिकृत किया जाए। … (*व्यवधान*) किसी को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए। यदि मुख्य विपक्षी दल पक्ष में है - तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जांच कर सकता है - और यदि सरकार सहमत है।.... … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह कुमारी ममता बनर्जी की भी भावना है। मैं इसे आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

<u>अपराह्न 5.05 बजे</u> (**श्री रमेन डेका** *पीठासीन हुए*)

13 अगस्त, 2014 की एक्सप्रेस समाचार सेवा के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा ... (*व्यवधान*) उन्होनें हार मान ली है। मैंने उनसे अनुरोध किया, वह मान गये। आपकी समस्या क्या है? … (*व्यवधान*) किसी भी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कुछ दल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से सांप्रदायिक जाल में न पड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी है कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सांप्रदायिक हिंसा न करने का आग्रह किया है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह केवल सोनिया गांधी जी का भावना नहीं है, बल्कि ममता जी और मुलायम सिंह जी का भावना है।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: महोदय, हमारे संविधान में सभी जातियों और धर्म में समानता का अधिकार है। हम इस देश के कानून निर्माता हैं। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए कि हमारा देश पूरी तरह से एकजुट रहे और विभिन्न जाति, पंथ और धर्म से संबंधित सभी वर्गों के लोग शांति और सद्भाव में रहें और एक-दूसरे के लिए प्यार से रहें।

जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, हमने अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के बारे में बात की थी। यह हमारी भारतीय संस्कृति का लोकाचार है जिसे हम दुनिया भर में फैलाते हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय बन्धुतव और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता में विश्वास रखते हैं, तो हमें अपने देश के भीतर इस भावना की कमी क्यों होनी चाहिए? जब दशहरा त्योहार आता है, तो हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे को 'हैप्पी दशहरा' कहकर गले लगाते हैं, जब क्रिसमस आता है, तो हम ईसाईयों को गले लगाते हैं और कहते हैं, 'मेरी क्रिसमस' और जब ईद का त्योहार आता है, तो हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं, 'ईद मुबारक'। तो, यह हमारे देश की संस्कृति है। हमें इसकी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। हम '*मेरा भारत महान*' के नारे के आस्तिक हैं।

महोदय, मैं चर्चा को इस तरह से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देना चाहता कि इस चर्चा की भावना को किसी अन्य तरीके से भटका दिया जाए, जिसके द्वारा हम किसी समाधान का पता लगाने की कोशिश करने के बजाय इसे और अधिक जटिल बना देते हैं और वर्तमान स्थिति को खराब कर देते हैं। हमारे पास हमारे दल का एक और वक्ता है। वह भी बाद में बोलेंगे। इसलिए, मैं एक अपील के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हमें, देश के कानून चिह्नों के रूप में, एक ऐसे तंत्र को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जिसके द्वारा हम कह सकें कि भारत आने वाले दिनों में कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं कर रहा है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बहस में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, यह कहा गया है कि धर्म जनता के लिए अफीम के समान है, और जो कोई भी धर्म के बारे में बात करता है, उस पर चर्चा करता है या धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वह नशा करने वाले व्यक्ति की मानसिकता का प्रतीक है। यह भीड़, व्यक्तियों या समूहों की मानसिकता होती है, जो संवेदनशील या सभ्य नहीं होते। मुझे लगता है कि यह हमारे देश के लिए दुखद समय है। मैं देख रहा हूं कि दोनों पक्ष कैसे विवादित हो रहे हैं और लड़ रहे हैं। मैंने दो लोक सभाएं देखी हैं, जहां जो लोग ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हैं और जो लोग अल्पसंख्यकों के रक्षक होने का दावा करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उन्होंने इस देश की किस तरह देखभाल की और उन्होंने जो दुख पैदा किया है। यह पवित्र भूमि, परिणाम, तथ्यात्मक स्थिति पूरे देश के सामने है कि कौन कहां है।

हँसी हो सकती है; आनंद हो सकता है लेकिन हम कुछ ऐसी चर्चा कर रहे हैं जिसमें जीवन, छोटे बच्चों, महिलाओं, माताओं, निर्दोष पुरुषों, उन लोगों का अस्तित्व शामिल है जो हमारे लोकतंत्र में शामिल नहीं हैं, जो उस पागलपन में शामिल नहीं हैं जो हम करते हैं सभी प्रचार करना चाहते हैं। मैं 'सभी' पर जोर दे रहा हूँ। हम में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि मैं इस पागलपन से मुक्त हूँ।

मैं ओडिशा की भूमि से आता हूँ जहां हमारे पूर्वजों ने इसे 'जगन्नाथ की भूमि' कहा था, वह भूमि जहां ब्रह्मांड का निर्माता निवास करता है। एक मुसलमान, एक हिंदू, एक ईसाई, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, हर कोई ब्रह्मांड के भीतर रहता है और निर्माता हर किसी को अपने या उसके निर्माण या बच्चे के रूप में लेता है। उस ही देश में, 600 ईस्वी विज्ञापन में, हमारे पास एक लेखक दीना कृष्ण दास थे जिन्होंने *लक्ष्मी पुराण* लिखा था। लक्ष्मी की अवधारणा *चंचला* है। वह अधीन नहीं है या वह एक स्थिर स्थिति में होने के लिए बाध्य नहीं है, मुंबई में लोगों के घरों में या कुछ शहरों में, जो बड़े उद्योगों के मालिक हैं या बड़े धनवान लोग हैं। *चंचला* स्वाभाविक रूप से सभी के साथ रहने की इच्छा रखती है। इस अवधारणा, दीना कृष्ण दास सैकड़ों वर्ष पहले

इस परियोजना के लिए लाए गए थे कि लक्ष्मी दलितों के घर जाएगी। वे लक्ष्मी की मूर्तियाँ अछूतों के घरों में ले गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि ईश्वर किसी का विशेषाधिकार नहीं है, किसी का निजी क्षेत्र नहीं है; ईश्वर सबके लिए है।

महोदय, जाहिर है कि हमें *धर्म*, को नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि अब हम इसे धर्म की तरह, देवता या देवत्व के साथ लेते हैं। ये विभिन्न विचार प्रक्रियाएं हैं। कोई व्यक्ति जो धार्मिक है, जरूरी नहीं कि वह दिव्य हो। और कोई जो दिव्य है, उसे भी आवश्यक रूप से धार्मिक नहीं होना चाहिए। सौभाग्य से, हमारे यहां ऐसे लोग नहीं हैं जो जेरूसलम या मदीना या मक्का से आए हों। यदि हम एक वैज्ञानिक स्तर पर जाते हैं और यदि हम अपने डी.एन.ए. की जांच करते हैं, तो हम सभी के पास एक ही डी.एन.ए. होगा, हम सभी की जड़ें एक ही होंगी। लेकिन, फिर भी हम लड़ते हैं; फिर भी हम कड़वाहट पैदा करते हैं और हम एक-दूसरे को जितना हो सके छोटा करने की कोशिश करते हैं।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि - हम जिस धर्म में हैं - जब पाटलिपुत्र से चंद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो वह धर्म अशोक बन गया। पहली बार बौद्ध धर्म राज्य धर्म बन गया। यह कलिंग में युद्ध के कारण है, बौद्ध धर्म श्रीलंका में फैल गया और बौद्ध धर्म सुदूर पूर्व में फैल गया। इसी तरह आज आपके पास एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में बौद्ध धर्म है। इसलिए राज्य हमेशा कमजोरों, दलितों, गरीबों पर प्रभाव डालता है कि वें राजा के धर्म अपना लें। जो कोई भी शासन करता है वह उद्धारकर्ता बन जाता है। यह स्पष्ट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिन्दुस्तान का मतलब है कि हर कोई हिंदू है। हिन्दुस्तान में, जैसा कि मैंने एक बार पहले कहा था, 'हिंद' शब्द सिंध नदी से आया था। इसलिए, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग हिंदू बन गए। मैं सिंधु नदी के किनारे नहीं रहता। शायद वहां कुछ पाकिस्तानी रहते हैं। मैं ओडिशा में रहता हूं। मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक ब्राह्मण भी हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा धर्म मुझे इस सभा या इस दुनिया में किसी और से बड़ा या अलग या श्रेष्ठ बनाता है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही है।

महोदय, हमारे पास एक राष्ट्रीय एकीकरण परिषद है, जिसने सावधानीपूर्वक, दृढ़ता से यू.पी.ए.-1 और यू.पी.ए.-2 ने इसे एक मजाक में बदल दिया और उस संगठन के रेशे को नष्ट कर दिया।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक सुपर कैबिनेट बन गई और हर तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णय लेने लगी। यह एक विचित्र विचार प्रक्रिया थी। हमारे पास एक और विचित्र विचार प्रक्रिया है जहां हमारे देश के मुख्य कार्यकारी कहते हैं, 'छद्म युद्ध क्यों है, आइए युद्ध करें?' महोदय, हिन्दी न तो आपकी भाषा है और न ही मेरी, लेकिन जो हिन्दी जानता है, उसने मुझसे कहा कि इसका अर्थ है *ललकार रहे हैं।* महोदय, क्या आप वर्तमान समय में, 21वीं सदी में, कोई आग्रह कर सकता है कि हमें एक खुला युद्ध करने दें? क्या भारत ऐसा करने में सक्षम है?

मुझे कभी-कभी माइक्रोफ़ोन के बारे में आश्चर्य होता है। आज, कुछ प्रतिवेदनों में कहा गया है कि माइक्रोफोन के कारण 120 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारत के अधिकांश हिस्सों में आज बिजली नहीं है। तो, माइक्रोफ़ोन कैसे काम करते हैं? जब मैं पुडुचेरी में पढ़ रहा था, तो मेरे बोर्डिंग के ठीक बाहर एक विशाल हिंदू मंदिर था। वहां सुबह 3:30 बजे तेज आवाज में भक्ति गीत बजाए जाते थे, जो सीधे मेरे कमरे में गूंजते थे। मेरे लिए यह शाम की शुरुआत की तरह है, यही वह समय है जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ। इसलिए मैं सो भी नहीं पाता। मैं सोचने लगा कि माइक्रोफोन भारत में कब आए? ज्ञात इतिहास कहता है और आप सत्यापित कर सकते हैं कि विद्युत चालित प्रवर्धन, ध्वनि प्रवर्धन प्रणाली पहली बार वर्ष 1921 में अंग्रेजों द्वारा भीड़ को दबाने के लिए भारत में शुरू की गई थी। इससे पहले न तो किसी मंदिर, न किसी मस्जिद और न ही किसी गुरुद्वारा या चर्च, किसी के पास प्रवर्धन प्रणाली नहीं थी। तो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना कैसे की? क्या भगवान उस समय मौजूद नहीं थे? उस समय हम क्या कर रहे थे? हम शायद भगवान को सुन रहे थे।

महोदय, मुझे पता है कि आपने मेरा समय कम कर दिया है और आप नहीं चाहते कि मैं जारी रखूं। मैं योगीजी जैसे बहुत ही विद्वान सीनियर्स को सुन रहा हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं हमेशा उनके लिए

पूर्ण हृदय से *प्रणाम* करता हूँ। खड़गे जी इस देश के एक महान नेता हैं। मैंने *दादा* को भी सुना है। लेकिन मैंने कोई ठोस प्रस्ताव नहीं सुने हैं।

इस देश ने प्रयोग किया है और एक या दो संस्थाएं स्थापित की हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल रही हैं। भारत का चुनाव आयोग ऐसी ही एक सफलता है। हमने देखा है और इस सभा में कोई भी यह नहीं कह सकता कि उनका मतदान गलत था और चुनाव आयोग ने *दुर्भावनापूर्ण* कुछ किया। हम सभी यह कहने के लिए हाथ उठाएंगे कि भारत के चुनाव आयोग ने बार-बार साबित किया है कि यह भारत में काम करने वाला एक निष्पक्ष, ईमानदार, सक्षम और कुशल संगठन है। जब जरूरत पड़ती है, तो वह चुनाव कराने में मदद के लिए सी.आई.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ. और यहां तक कि सेना और स्थानीय पुलिस को भी बुलाती है। हमने एन.डी.आर.एफ. और एन.डी.एम.ए. यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी बनाया है। हमने सबूत देखे हैं। उन्होंने काम किया है और वे सफल हुए हैं।

मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। क्या यह विचार करना संभव है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसका नाम गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जैसे बुद्धिमान लोगों द्वारा उचित रूप से रखा जा सकता है, जो बहुत अधिक सक्षम हैं?

महोदय, मुझे बहुत सारे विचार आ रहे हैं लेकिन मैं आगे नहीं बोलूंगा। हम सदन के भीतर से, सदन के बिना, प्रशासकों, न्यायपालिका, व्यापारिक लोगों, सामाजिक नेताओं और यहां तक कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के नेताओं के बिना सलाह मांग सकते हैं। पंजाब में, यदि सिख बहुसंख्यक हैं, तो उन्हें कुछ कहने दें, और हिंदुओं को भी कुछ कहने दें। इसलिए, हम सभी को एक साथ ले सकते हैं, उन्हें एक नाव में रख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या हम एक सांप्रदायिक सद्भाव प्राधिकरण बना सकते हैं जो जरूरत के समय किसी भी तरह के सशस्त्र बलों, किसी भी तरह के सरकारी समर्थन को बुलाने में सक्षम होगा। हमें राज्य सरकारों, विशेष रूप से गुजरात, उत्तर प्रदेश और अन्य जैसे अस्थिर राज्यों के साथ बात करनी होगी और

उन्हें साथ लेकर चलना होगा, उनसे परामर्श करना होगा, सभी दलों की, सभी सरकारों की राय लेना होगा और ऐसा प्राधिकार बनाना होगा। … (*व्यवधान*)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): ओडिशा भी ... (*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी: हो सकता है। हाँ, हम अस्थिर नहीं हैं। माननीय सदस्य श्री निशिकांत जी कई बार ओडिशा गए हैं। वह जानते हैं कि बी.जे.डी. सरकार, श्री नवीन पटनायक की सरकार ने कंधमाल में बुरे दंगों के बाद बहुत अच्छा काम किया है, जहां हमें कुछ लोगों के साथ विभाजित करना है। उसके बाद हमने कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं की।

तो, मेरा ठोस सुझाव यह है। क्या सरकार एक प्राधिकरण बनाने पर विचार कर सकती है, जिसमें सभी को शामिल किया जाए और इसे एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके पास दांत, पंजे और ताकत हो ताकि लोग डरें और कुछ ऐसा हो जो काम करे?

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनकपल्ली): सबसे पहले, हम सभी भारतीय हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा: "यह भूमि *पुण्य भूमि, कर्म भूमि* और *वेद भूमि* है। इसलिए, सांसद होने के नाते इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी है।

हमारी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके अध्यक्ष हमारे नेता श्री चंद्रबाबू नायडू थे, ने नौ साल तक आंध्र प्रदेश के संयुक्त राज्य में शासन किया। उन्होंने हमारे राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा। वास्तव में, हैदराबाद शहर भी एक बहुत ही संवेदनशील शहर है। उनके नौ वर्ष के कार्यकाल में, कर्फ्यू का एक भी दिन नहीं था। हमारी पार्टी की स्थापना के बाद से, हमारी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। इसलिए हम सभी धर्मों और सभी जातियों का सम्मान करते हैं।

मैं विनम्रतापूर्वक अपने सभी प्रिय नेताओं से अपील करूंगा कि वे धर्म के आधार पर सांप्रदायिक हिंसा न देखें। मेरी दृष्टि, ज्ञान और समझ के अनुसार, पहली बात गरीबी है। दूसरी बात यह है कि हमारे दुश्मन देश कुछ समुदायों के जरिए सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो, हमें इसे समझना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूँ कि हमें वोट बैंक की राजनीति के नज़रिये से धर्म या जाति या क्षेत्र को नहीं देखना चाहिए। जब तक हम इसे वोट बैंक की राजनीति के दृष्टिकोण से देखेंगे, इस देश में सांप्रदायिक हिंसा बार-बार होती रहेगी।

सूचना के लिए, हिंदू धर्म में भी, दो समूह हैं। एक हैं *शैवमाता* और दूसरे हैं *विष्णु*। वे भी लड़ते थे। लेकिन कुछ समय बाद हम इससे उबर गए।

अब हम किसी धर्म और क्षेत्र के आधार पर लड़ रहे हैं। यह जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी और गरीबी के कारण है। कुछ राजनीतिक दल लाभ प्राप्त करने के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे राज्य आंध्र प्रदेश में, वर्ष 1989 से वर्ष 1994 तक, कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। मैंने इसे भौतिक रूप से देखा। 45 दिनों के लिए, हैदराबाद में कर्फ्यू लगाया गया था। हिंदुओं और

मुसलमानों के बीच कोई वास्तविक लड़ाई नहीं थी। इसके पीछे एकमात्र एजेंडा यह था कि वे एक मुख्यमंत्री जी को बदलना चाहते थे और इसीलिए, उन्होंने यह सारी स्थिति पैदा की थी। उसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के कई गरीब लोगों को बहुत कष्ट हुआ। इसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अंतत: उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल लिया।

इसलिए, मैं सभी राजनेताओं, विशेष रूप से सभी पार्टी प्रमुखों से अनुरोध करूंगा। हम एक आधुनिक युग में हैं और उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण, पूरा विश्व एक वैश्विक गाँव बन गया है। इसलिए, कृपया विकास के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे जीवित किंवदंती, श्री नरेन्द्र मोदीजी एक उदाहरण हैं कि कैसे उन्हें गुजरात में लगातार चार बार प्रचंड बहुमत मिला; कैसे सभी समुदायों और धर्मों के लोगों ने उन्हें वोट दिया था और 30 वर्षों के बाद बी.जे.पी. को अपने दम पर बहुमत मिला। यह उनके नेता पर विश्वास और आस्था के कारण था। यह किसी भी धर्म के आधार पर नहीं था। सभी धर्मों के लोगों ने उन्हें वोट दिया था।

इसलिए मैं सभी नेताओं से अनुरोध करूंगा। युवा नेता हैं और वरिष्ठ नेता भी यहां हैं। कृपया विकास एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें।

हाल ही में, हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री एन. चंद्रबाबू नायडू 10 वर्षों के बाद फिर से निर्वाचित हुए। यह किसी जाति के आधार पर नहीं था। बी.जे.पी. के साथ हमारा गठबंधन भी था। आन्ध्र प्रदेश के सभी मुसलमानों ने उनसे मतदान किया था; सभी ईसाइयों ने उन्हें वोट दिया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश राज्य को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एम.ए.ओ. के अनुसार, इस दुनिया में केवल दो धर्म या दो दल हैं एक 'गरीब' और दूसरा 'अमीर'। अमीर मुसलमान गरीब मुसलमान की मदद नहीं कर सकता और अमीर हिंदू गरीब हिंदू की मदद नहीं कर सकता।

मैं सभी से ईमानदारी से आग्रह करूंगा। सबसे पहले, हमारे नेताओं को मानसिकता बदलनी चाहिए। हम सभी को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। यदि किसी राज्य या देश में सांप्रदायिक हिंसा सहित कोई हिंसा होती है, तो उससे निपटने के लिए हमें अपनी कानून और व्यवस्था को बहुत सख्त बनाना चाहिए।

सिर्फ यह कहने के लिए कि बी.जे.पी. सरकार के कारण सांप्रदायिक हिंसा हो रही है या किसी को बी.जे.पी. सरकार को दोष देना चाहिए क्योंकि कुछ हिंदू शासन कर रहे हैं, सही नहीं है। यदि कोई मुस्लिम राजा शासन कर रहा है और उसके राज्य में सांप्रदायिक हिंसा होती है, तो हमें मुस्लिम राजा को दोषी ठहराया जाना चाहिए। इसलिए, शासकों को इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

अंत में, एक बार फिर, मैं सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि कृपया सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें और देश के विकास पर ध्यान दें। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : सभापति महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस चर्चा का विषय यह है कि जो साम्प्रदायिक दंगे हैं, उनसे निपटने के लिए कौन सा मैकेनिज्म बनाया जाए।

हम सदन में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सबको यह स्वीकार है कि वर्षों से पूरे देश में साम्प्रदायिक तनाव और फसादात ने हजारों लोगों को परेशान किया है। हम जब सदन में चर्चा करते हैं तो हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भावना बाहर भड़काई जा रही है, उससे हम किस तरह से निपटें, यह हमारा मकसद है। आज जिस भावना को इस्तेमाल किया जाता है, हम सदन में अगर इस बहस को इस तरह से मोड़ें कि उसी भावना के बारे में हम पूरे देश के सामने हमारे चैनलों के माध्यम से और प्रचार माध्यमों के जरिये यह बतायें कि जनप्रतिनिधि भी उसी भावना के शिकार हो रहे हैं तो हम उससे निपटने की बजाय उसे बढ़ावा ही देंगे। अभी हमने सत्पथी जी को सुना, उन्होंने कुछ संदेश देने की कोशिश की है कि - जब हम सांप्रदायिक हिंसा, विशेष रूप से बढ़ते ध्रुवीकरण के बारे में बात करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भड़काने के बजाय, हमें भावनात्मक स्तर को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्य से, आज नहीं, लेकिन अधिकांश समय हम सही संकेत देने में विफल रहते हैं और कभी-कभी उन संकेतों को पकड़ लिया जाता है और गलत तरीके से संभाला जाता है।

अभी यह आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। खास कर जब यह बात आई कि नई सरकार के आने के बाद से पिछले दो महीने में घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी मोदी जी जब अपनी नैशनल कांउसिल को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें कहा गया कि यह जो सांप्रदायिक फासादात हो रहे हैं, जहां तक मैंने मीडिया में पढ़ा कि यह वोट पॉलिटिक्स से लिंक्ड है। यह हम राजनीतिज्ञों के ऊपर लांच्छन होता है। अभी कांग्रेस की अध्यक्ष महोदया ने भी यह कहा और मीडिया में भी यही कहा जा रहा है, चूंकि कुछ उप-चुनाव हैं, कुछ विधान सभाओं के चुनाव सामने आ रहे हैं, लेकिन हम यह देखते हैं कि ये पिछले कई वर्षों से लगातार कभी कम हो रहे हैं तो कभी बढ़

रहे हैं, लेकिन ये नियंत्रण में नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। यू.पी.ए. सरकार, जिसने दस साल तक हमारे देश में हुकूमत चलाई, एक सोच आई थी। प्रिवेंशन ऑफ कम्यूनल वॉयलेंस बिल लाया गया, दस साल तक उस पर चर्चा हुई, बहस हुई, स्टैण्डिंग कमेटी में विचार हुए, लेकिन यू.पी.ए.-1 और यू.पी. ए. -2 वे विधेयक लाने में बुरी तरह विफल रहे हैं। उनके प्रोमिसेज़ थे कि प्रिवेंशन ऑफ कम्यूनल वॉयलेंस को कानून में लाया जाएगा। कई कानून बने, बहुत हाई स्पीड में बने, बहुत से बिल बिना चर्चा के भी पास किए गए, लेकिन इस कानून को हम नहीं ला पाए। इस सरकार से तो मैं यह मांग भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह उनका प्रोमिस भी नहीं है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया कोई बीच में बात न करें।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया नहीं जाएगा।

(व्यवधान) … [14*]

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, मेरे पास व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल किया है। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: नहीं, कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम: मेरे अधिकारों के बारे में क्या? … (*व्यवधान*) सर, यह जो हिंसा का पंथ है, जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है, वह हम पूरे विश्व में भी देख रहे हैं और हमारे देश में भी देखरहे हैं। इसके पीछे कारण हैं, अगर हम उनका नियंत्रण करना चाहें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कानून ले आएंगे या जैसे कोई लॉ एण्ड ऑर्डर एंफोर्सिंग मशीनरी बना देंगे तो फिर पूरा नियंत्रण में आ जाएगा। उसके पीछे हिंसा के पंथ के साथ-साथ आप अगर देखेंगे कि यह इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है। अभी यहां कभी-कभी ये भड़क जाते हैं, हम जानते हैं न कि डैमोक्रेसी में सब का अपना-अपना अलग-अलग मत है। जिस तरह से हमें बोलने का हक है, वैसे ही कुछ सुनने की भी जिम्मेदारी है। यह इस पक्ष और उस पक्ष का मामला नहीं है। यह लोकतंत्र का मंदिर है। अगर हम यहां पर अपनी बात को नहीं बोल पाएंगे, अपने मत को नहीं रख पाएंगे तो एक प्रकार का बहुसंख्यकवाद अगर डेवलप किया जाए, चाहे वह समाज में हो, चाहे गांव में हो, चाहे सदन में कि हम जो कहते हैं, वही है और दूसरी कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी तो फिर हमारा पहनावा, हमारी खुराक, हमारा लिबास, हमारा चेहरा, हमारी

[14*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ज़ुबान, जीने के हमारे तौर-तरीके, सब पर हमले होंगे यह देश जो है, इसमें विविधता है और उसे हमने स्वीकर किया है।

हमारी आज़ादी की लड़ाई से जो धरोहर हमें मिली हैं, साम्राज्यवाद से लड़कर हमने जो धरोहर हासिल की है, इसलिए हमारी सभ्यता में गौरव है, इस सभ्यता और संस्कृति को अगर हम किसी एक रूप का बनाएंगे, अगर एक टनल के अंदर डालेंगे तो वह गलत होगा। यह तनाव तब बढ़ता है, जब हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारे विचार में जम्हूरियत के प्रति, जो लोकतांत्रिक भावना है, उसमें कमी आती है। इससे एक्सट्रिमिज़्म तैयार होता है। यह जो कल्ट ऑफ वॉयलेंस है, उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसका कोई एक धर्म नहीं है, साम्प्रदायिक जो है। धर्म का भी इस्तेमाल हो सकता है, जाति का भी इस्तेमाल हो सकता है, भाषा का भी इस्तेमाल हो सकता है, वे उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम साम्प्रदायिक राजनीति में यह समझते हैं कि ये इस धर्म के बहुत बड़े मानने वाले हैं, इसलिए कट्टर हैं या वे उस धर्म के बहुत बड़े मानने वाले हैं, इसलिए कट्टर हैं। दरअसल वे धर्म मानने वाले ही नहीं हैं, वे धर्म को समझते भी नहीं हैं। वे धर्म के दर्शन को नहीं समझते हैं और वे धर्म का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक खूनी जिस तरह से रिवाल्वर, पिस्तौल, खंजर या तलवार का इस्तेमाल करता है, उसी तरह से कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

शुरूआत में तो ऐसा होता है कि काम्पटीटिव पॉलिटिक्स या काम्पटीटिव कम्युनलिज्म के लिए हम एक दूसरे को दिखाते हैं, अपने साथ लोगों को इकट्ठा करने के लिए दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारे धर्म के चैम्पियन हैं, क्योंकि, हम उस धर्म के साथ लड़ रहे हैं।...(व्यवधान) आप सुनिए, यह समझने की बात है। ...(व्यवधान) फिर माफी माँगोगे।...(व्यवधान) लोग एक बार माफी मांग लेते हैं तो शिक्षा ले लेते हैं। ...(व्यवधान) हम किसी एक धर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम तो यह कह रहे हैं कि यह सब कैसे होता है,...(व्यवधान) आपको यह मामला कैसे बुरा लग गया, यह आपकी बात तो नहीं है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं सोचकर कह रहा हूं, मैं कोई नोट से पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। यह एक वैचारिक मामला है। वे जो करते हैं, जो झगड़े होते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, चाहे किसी भी प्रांत में हो, किसी भी जिले में हो, जैसा हो रहा है या जैसा होता आया है तो उसमें यह होता है कि पहले ये अपने धर्म के लोगों को इकट्ठा करते हैं कि हम दूसरे के साथ बदला ले रहे हैं। लेकिन पूरे विश्व का इतिहास यह कहता है, हमारे देश का इतिहास भी कहता है और आसपास के देशों में भी हम देखते हैं, जो वहां अशान्ति हो रही है, हिंसा भड़क रही है, वे अपने धर्म के ही जो सही विचार, सही सोच, सही समझ और अमन और शान्ति के पुजारी हैं, उनके साथ कट्टरपंथियों की लड़ाई होती है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम : सब जगह एक धर्म से दूसरे धर्म की लड़ाई नहीं होती है। इसे करने के लिए हमारी संस्कृति को, हमारी शिक्षा को, हमारे धर्मग्रन्थों को, हमारे धर्म के लोगों को, हमारी धार्मिक भावना को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हादसे इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि, हमारे सामने यह चुनौती ज्यादा आ रही है। मैं समझता हूं कि बदले हुए माहौल में, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे देश में बदला हुआ माहौल है, इसमें कुछ लोग अगर ऐसा समझते हैं कि चलो चुनाव में विकास के नाम से हो या जैसे भी प्रचार हुआ, लेकिन लोगों ने फैसला किया, उनके हक में फैसला हुआ। अभी राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने हैं। अब राजनाथ सिंह जी के चाहने वाले कोई लोग, राजनाथ सिंह जी नही, अगर यह समझें कि अब हमारी मनमानी चलेगी और बाकी की नहीं चलेगी तो इससे अशान्ति भड़केगी, गड़बड़ होगी। पूना में चाहे वह मोहसिन शेख, आई.टी. प्रोफेशनल की हत्या हो, चाहे वह जम्मू के कठुआ में हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा के मेवात में हो, चाहे वह किसी भी प्रदेश में हो, चाहे वह हमारे पश्चिम बंगाल में हो।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री तारिक अनवर।

[अनुवाद]**श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज)**: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। … (*व्यवधान*) मैं कोई रिलीजन स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ...(व्यवधान) मैं कोई प्रदेश स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान) ...[15*]

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

15* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री तारिक अनवर (कटिहार): महोदय, आज इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं, सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। मैं समझता हूं कि आज इस पर देश के सभी लोगों की नजर है कि यह सदन ऐसे संकट के समय में सिर्फ मूकदर्शक बनकर रहना चाहता है या सही मायने में कोई कदम उठाने की चेष्टा करता है।

महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री की या सभ्य समाज की जो पहचान होती है, वह इस बात से होती है कि वहां जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होता है? और उनकी जो भी समस्याएँ हैं, उनका निदान करने के लिए हम क्या कदम उठाते हैं। आज वोट बैंक की राजनीति की बात होती है। कहा जाता है कि देश के अल्पसंख्यक, खास तौर से मुस्लिम समाज को देश की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हमेशा यह कहा जाता है और तुष्टीकरण की बात कही जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जस्टिस सच्चर और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि बार-बार जो देश के अंदर यह बात उठाई जाती है कि एक वर्ग-विशेष का तुष्टीकरण हो रहा है, उसमें सच्चाई नहीं है। आज यह बात कही गई है या कही जाती है कि हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट बैंक किसलिए होता है - चुनाव जीतने के लिए होता है। अल्पसंख्यक वोट को लेकर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। अगर हम अल्पसंख्यक और समाज के कमज़ोर वर्ग की बात करते हैं तो इसलिए बात करते हैं कि देश की मुख्यधारा से उनको जोड़ा जाए। जब हम कहते हैं कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश का विकास करना है तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ेगा।

अनेकता में एकता की बात हम करते हैं। भारत एक ऐसा देश है, जिसमें दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसके मानने वाले हमारे देश में न रहते हों। यहाँ अलग-अलग जातियाँ हैं, अलग-अलग भाषाएँ हैं, अलग-अलग संस्कृति और संस्कार हैं और उस देश को अगर एक साथ लेकर चलना है तो उसका एक ही रास्ता हो सकता है कि हम सर्वधर्म-समभाव के रास्ते पर चलें, जो महात्मा गांधी का रास्ता था, जो उन्होंने हमें सिखाया

था। आज हम उस रास्ते से कहीं न कहीं भटक रहे हैं। इस बात को हम लोगों को बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है, मज़बूत नहीं हो सकता है, अगर वहाँ एक समुदाय दूसरे समुदाय पर शक करे, एक दूसरे पर विश्वास न करे, डर और भय का वातावरण रहे तो वह देश कभी मज़बूत नहीं हो सकता।

हमारे प्रधान मंत्री जी का कहना है कि हमें इस देश को बहुत आगे ले जाना है और इस देश को एक महान शक्ति बनाना है। यह देश महान शक्ति तभी बनेगा, जब इस देश में रहने वाले सभी लोग मिलकर उसके लिए प्रयास करें। 'सबका साथ और सबका विकास' - क्या यह मात्र नारा है? अगर नारा नहीं है, अगर सचमुच उसमें आपका कुछ उद्देश्य है तो आपको सबको साथ लेकर चलने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ नारा देने से काम नहीं होगा। यह दिखना भी चाहिए कि आप सबको लेकर चल रहे हैं, सबका साथ आप चाहते हैं। जब तक यह दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ ज़बानी नारा लगाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है।

यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं। सही बात है कि उनसे बहुत उम्मीद है, आशा है। वे इस बात को दोहराते हैं कि देश के अंदर एकता रहनी चाहिए, देश के अंदर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर हमें चलना है। इस बात पर हमें यकीन है कि आने वाले समय में, क्योंकि, यह मामला बहुत गंभीर है। हमारे कुछ साथियों ने ठीक कहा कि इसको इस नज़रिये से देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किस धर्म का है और हम सब लोग यहाँ जो आए हैं, हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी धर्म-विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जब कोई बात बोलनी चाहिए तो ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे यह संदेश जाए कि हमें देश की चिन्ता है। देश इंसानों से बनता है और इस देश में रहने वाले लोग इस देश के सही मायने में नागरिक हैं।

मैं अंत में यही कहूंगा कि हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। अगर पड़ोस में आग लगती है तो हमारा भी घर जल सकता है। इसलिए ऐसा कोई क़दम न उठाएं, जिससे हमारे देश के शत्रुओं को, जो कि हमारे देश को आगे

जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उनको उसका लाभ मिले। एक ऊर्दू का शेर है, जिसे मैं आपको, खास तौर से हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, को सुनाना चाहता हूं -

'कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो।

रिश्ते तो मिलते हैं मुक़द्दर से, बस उसे ख़ूबसूरती से निभाना सीखो।'

महोदय, मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि देश की एकता और अखण्डता सर्वोपरि है। हम सभी लोगों को अपने राजनैतिक स्वार्थ से ऊपर उठ कर देश के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे हम देश को आगे बढ़ाएं। देश की मुख्य समस्या, ग़रीबी, बेरोज़ग़ारी और भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो, न कि आपस में हम लोग लड़ते रहें, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। हमारे देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, वह हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देखती है कि शायद उनकी समस्याओं का निदान होगा, शायद उनकी कठिनाइयां कम होंगी, लेकिन अगर हम इसी तरह से आपस में उलझते रहे तो यह न हमारे देश के लिए अच्छा होगा, न हमारे समाज के लिए अच्छा होगा।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, आदित्यनाथ जी के भाषण से ही पता चल जाता है कि भाजपा के कितने अच्छे दिनों की शुरूआत हुई है। इनका पूरा का पूरा भाषण इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने पर केंद्रित है। इनके भीतर जो गहरी साजिश है, वह सब कुछ इनके भाषण में निहित है। इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

हम यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करने नहीं आए हैं। राजनाथ सिंह जी हम लोगों के गार्जियन हैं, वे सदन में मौजूद हैं। यहां हम ऐसे देश की एकता और धर्म की कल्पना को लेकर आए हैं, जिस धर्म के बारे में कहा जाता है- 'आत्मनो मोक्षरार्थम् जगत हिताय च।' मतलब, अपना मोक्ष और दुनिया का कल्याण हो। ऐसी भावना को ले कर हम यहां बैठते हैं, जिसमें न किसी भाषा, न किसी क्षेत्रवाद, न कोई मज़हब, न धर्म का कोई स्थान हो। सिर्फ एक साधारण-सी बात आपको सुना कर मैं अपने भाषण की शुरूआत करूंगा कि किश्तवाड़ हो

या गुजरात मरते सिर्फ बेगुनाह हैं और वे मरते रहेंगे, जब तक इंसानियत का राज इस देश में इस जगह नहीं होगा।...(व्यवधान)

महोदय, सम्प्रदायिकता या किसी भी चीज का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इन्होंने साधु-संत और मौलाना की बात कही है। मैं इन्हें कह देना चाहता हूं कि जो इनके गुरु हैं, जिस धर्मपीठ से ये आते हैं, उसकी संस्कृति और तहज़ीब में अल्पसंख्यक से ज्यादा दलित विरोधी हैं, आदिवासी और गरीब विरोधी हैं और ये कैसे हैं, देश में इनके जो स्कूल हैं, अगर आप उन स्कूलों में जाकर आरएसएस की फिलोसफी पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के दलित और आदिवासियों के बारे में आपको पता चलेगा...(व्यवधान) इसके लिए आपको मध्य प्रदेश जाना होगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं वाद-विवाद में नहीं जाऊंगा।...(व्यवधान) मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं संघ का और किसी का विरोधी नहीं हूं।...(व्यवधान) मैं सब का सम्मान करता हूं।...(व्यवधान) आपने बहुत अच्छा कहा। आपको पता होना चाहिए कि गुज्जर और जाट भी भैंस का दूध ही उठाते हैं, जो यादव और राजपूत करते हैं, इसलिए आप चिंता न करें।...(व्यवधान)

महोदय, जब ये लोग हमारा वक्त ले रहे हैं तो आप मुझे अपना भाषण खत्म करने के लिए घंटी मत बजाइएगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, आप चेयर की तरफ देख कर बात कीजिए।

श्री राजेश रंजन : आपके यहां भी एक सन्त बैठे हैं। लेकिन आप ने जिस सन्त और मौलाना की बात की है तो यदि आप इस देश में जाएंगे और आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को देखेंगे तो इसमें निश्चित रूप से दलित, आदिवासी के साथ-साथ अल्पसंख्यकों की भी वही स्थिति है। यदि कोई भी व्यवस्था या कोई भी संस्था सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े किसी समाज को उठाना चाहती है तो इसमें तुष्टीकरण की बात नहीं की जानी चाहिए, उसको किसी कम्युनिटी से नहीं जोड़ना चाहिए।...(व्यवधान)

जहां तक साधु-सन्तों का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा कि हमारे यहां साधु हैं, सन्त भी हैं, लेकिन इस दुनिया को ... * जैसा सन्त नहीं चाहिए।...(व्यवधान) इस देश को ... [16*] जैसा सन्त नहीं चाहिए। इस देश को ... * जैसा सन्त नहीं चाहिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: नाम हटाए जाएं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन : महोदय, मैंने क्या कहा है?...(व्यवधान) इनके बारे में तो दुनिया कह रही है।...(व्यवधान)

मैंने कहा कि उधर मेरी बहन बैठी हुई हैं, मेरे भाई हैं।...(व्यवधान) योगी जी हमारे लिए अत्यंत सम्मानित हैं। वे मेरे भाई हैं। हम लोगों ने साथ-साथ काम किया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये ... * लोग तो उधर बैठे हैं। ये लोग कर्मयोगी नहीं हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : राजेश जी, आप चेयर को देख कर बोलिए।

श्री राजेश रंजन : सभापति जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं कोई आपत्तिजनक बात नहीं बोलता हूं।...(व्यवधान) मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाजपा के दो दांत हैं।...(व्यवधान) आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक दिन स्पष्ट रूप से मंच पर कहा कि इस देश में भाजपा को लाने में सबसे अहम रोल अगर किसी व्यक्ति का है तो वह ... * का है।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में नरेन्द्र मोदी ... * है।...(व्यवधान) ये सब लोग तो उन्हीं के भरोसे आए हैं, लेकिन हाथी का खाने वाला जो दांत है, हिन्दुस्तान में उसका नाम ... * है। ... * हिन्दुस्तान में ऐसा व्यक्ति है।...(व्यवधान)

[16*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सभापति : राजेश जी, आप बाहर के किसी व्यक्ति का नाम मत लीजिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय सभापति: नाम हटा दिए जाने चाहिए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्लीज़, आप लोग बैठिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

प्रो. सौगत राय (**दमदम) :** ये क्या बात है कि रूलिंग पार्टी किसी को बोलने नहीं देगी?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : प्लीज़, आप बैठिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय सभापति: कृपया बैठ जाइए।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री एस.एस. अहलुवालिया (दार्जिलिंग): राजेश रंजन जी अच्छे वक्ता हैं, अच्छी बात रख रहे हैं, किन्तु मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, जो सदन का सदस्य नहीं है, यह परम्परा है। दूसरी बात यह है कि किसी भी सम्मानित शब्द के अपभ्रंश का प्रयोग करके उन्होंने कहा कि ... [17*] है।...(व्यवधान) यह गलत है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : यह शब्द डिलीट करने के लिए बोला है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैंने इन चीजों को हटाने के लिए कहा है।

... (*व्यवधान*)

श्री एस.एस. अहलुवालिया : रंजन जी, आपको आत्म ज्ञान तिहाड़ जेल में हुआ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: वह शब्द डिलीट करने के लिए बोल दिया है।

... (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, मैंने नाम विदड्रा कर लिया है।...(व्यवधान)

मैंने उनका सम्मान के साथ नाम लिया, अगर आप कहते हैं तो मैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बातें कहना चाहता हूं, न मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले आतंकवाद की यहां बहस है, न हिन्दू तुष्टीकरण आतंकवाद की यहां बहस है। यदि हिन्दू तुष्टीकरण आतंकवाद है तो उसके भी राजनाथ सिंह जी और देश के सभी लोग विरोधी हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के आतंकवाद के भी देश के सभी लोग विरोधी हैं, ऐसा नहीं है कि वे उसके पक्षधर हैं।...(व्यवधान) सवाल उठा है कि इतने दिनों के

[17*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अंदर हो सकता है, क्या दंगा पहले नहीं हुआ है, लेकिन दंगा हुआ तो किस ने उसको सही ठहराया। किसी ने उसको जायज नहीं ठहराया। हिन्दुस्तान में वह गलत हुआ, चाहे भागलपुर में दंगा हुआ हो या जहां-कहीं भी कोई दंगा हुआ हो, उसको न आप, न हम, कोई सही नहीं कह सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वह सही था, जो दो महीने के अंदर छ: सौ दंगे हुए, क्या उनको जायज़ ठहराया जा सकता है? ...(व्यवधान) मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका टाइम खत्म हुआ।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: आपका समय समाप्त हो गया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कृपया बैठ जाइए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति: आपका टाइम खत्म हुआ।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: महबूबा मुफ्ती को याद करें।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: मैंने आपको दस मिनट दिए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सुश्री महबूबा मुफ़्ती (अनन्तनाग) : सर, इतना शोर कर रहे हैं, हम कैसे बोलें?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मैंने आपको दस मिनट बोलने का टाइम दिया था।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मैंने उन्हें दस मिनट दिए हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सुश्री महबूबा मुफ़्ती : सर, इतने शोर में हम कैसे बोलें? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: खड़जे जी, आप बोलिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मेरा यह कहना है कि रंजन जी अपना भाषण कंन्क्लूड कर रहे थे, उनको दो मिनट का समय कन्क्लूड करने के लिए दीजिए।...(व्यवधान) उन्हें समापन करने दें। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: रंजन जी, आप एक मिनट में कन्क्लूड करिए।

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुजफ्फरनगर की घटना, गुजरात, किश्तवाड़ या कहीं की घटना हो।...(व्यवधान) जो हिन्दुस्तान की सियासत ही नहीं, यदि 1984 के दंगों की ये बात करते हैं,...(व्यवधान) मैं इस बात को कहना चाहता हूं।...(व्यवधान)

मुजफ्फरनगर में क्या हुआ?...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

... (व्यवधान)[18*]

सांय 6.00 बजे

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान) ...**

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जाइये।

*(व्यवधान) ...**

माननीय सभापति : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*(व्यवधान) ... **

[अनुवाद]

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, अब 6 बजे हैं। मेरे पास नियम 193 के अधीन इस चर्चा पर बोलने के लिए कुछ और सदस्य हैं। सदन की क्या राय है?

... (*व्यवधान*)

[18*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, कल को न केवल समय बढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि जवाब दिया जाना चाहिए।

कई माननीय सदस्यगण: कृपया 'शून्य काल' लें।

माननीय सभापति: क्या हम 'शून्यकाल' ले सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : राजनाथ सिंह जी, आप कल प्रश्न काल के बाद रिप्लाई दे दीजिए। ...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : महोदय, आज चूंकि अधिकांश सम्मानित सदस्य यह चाहते हैं कि जीरो ऑवर में वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने राज्य की समस्याओं को यहां उठा सकें, इसलिए अभी जीरो ऑवर प्रारम्भ करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ...(व्यवधान) लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि चर्चा प्रारम्भ हुई है तो यह चर्चा चलनी चाहिए। जितने भी माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं, उन्हें भाग लेने की इजाजत आपके द्वारा मिलनी चाहिए। यह हमारी अपेक्षा है। चूंकि हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ उपस्थित नहीं हैं, कल का क्या कार्यक्रम है, उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, लेकिन कल जो भी काम होगा, ढाई-तीन बजे के बाद इसको ले लेंगे। ...(व्यवधान) कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी तो उस कमेटी की बैठक में इसका फैसला कर लिया जायेगा कि कल यह चर्चा कब प्रारम्भ करनी है, कब इसे समाप्त करना है और कितनी देर तक चर्चा चलानी है? इस सम्बन्ध में सारे फैसले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हो जायेंगे। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : राजनाथ सिंह जी, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। चूंकि कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन ऑवर के बाद 12 बजे आप यह चर्चा अगर लेते हैं तो इसे 2 बजे तक खत्म भी कर सकते हैं। अगर लंच नहीं करते हैं तो उसे भी हम छोड़ देंगे, लंच में भी इसे चलने दीजिए और इसका उत्तर उसी वक्त दे दीजिए।

श्री राजनाथ सिंह : खड़गे जी, हमारी एक मजबूरी है कि कल मैं 2 बजे तक यहाँ पर नहीं हूँ, इस कारण मैंने यदि समय की बात कही है तो दो बजे के बाद की बात कही है। ...(व्यवधान) आप पूरे हाउस की ओपिनियन ले लीजिए। ...(व्यवधान) यदि सभी सदस्य चाहते हैं तो आज भी इसे कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसी इस सदन की सहमति हो। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: हम अगले आधे घंटे के लिए इस मामले पर चर्चा करेंगे, और फिर 'शून्यकाल' लेंगे। ठीक है?

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति जी, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

माननीय सभापति: किस नियम के अधीन?

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : रूल 352। सभापति जी, पप्पू यादव जी ने दो प्वाइंट कहे। पहली उन्होंने गुजरात दंगे की बात कही। रूल 352 का फर्स्ट कहता है कि'…किसी भी तथ्यात्मक मामले का संदर्भ लें जिस पर न्यायिक निर्णय लंबित है।'...(व्यवधान) दूसरा, उन्होंने मंत्री जी के बारे में कहा। ...(व्यवधान) उनके बारे में कहा। ...(व्यवधान) उन्होंने मुजफ्फर नगर दंगो के लिए कहा। ...(व्यवधान) उन्होंने उनके बारे में कहा कि उनको मंत्री बना दिया गया।

इसमें यह भी कहा गया है कि 'कोई भी सदस्य सदन के किसी अन्य सदस्य की *प्रामाणिकता* पर सवाल उठाते हुए या उस पर आरोप लगाते हुए व्यक्तिगत संदर्भ नहीं देगा।' ... (*व्यवधान*) ये दोनों एक्सपंज करिए।...(व्यवधान) स्पीकर सर, ये दोनों एक्सपंज करिए। ...(व्यवधान) 352 के तहत मुज्जफरपुर दंगे का अपराधी...(व्यवधान) वह लाइन भी एक्सपंज करिए। ...(व्यवधान) (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि अपराधी को मंत्री बना दिया।...(व्यवधान) इसलिए ये दोनों एक्सपंज करिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया बैठ जाइए।

… (*व्यवधान*)

सुश्री महबूबा मुफ़्ती (अनन्तनाग) : सर, आज का इश्यू बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि मेरे कई कुलिग्स ने बताए कि इसमें बेगुनाहों की जानें खामखाह जाती हैं, उनका कोई लेना-देना नहीं होता है। यह आज की बात नहीं है। यह वर्ष 1947 से होता आ रहा है। अनफोरटूनेट्ली, हम इसको इस लिए रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे यहां प्वाइंट्स स्कोरिंग होती है कि हमारे वक्त के मैसेकर में कम लोग मारे गए थे और आपके मैसेकर में ज्यादा लोग मारे गए हैं। मेरे ख्याल में यह हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम असली मुद्दे की तरफ नहीं जाते हैं।

सर, मैं आपके सामने एक इंसिडेंट रखना चाहती हूं। कुछ साल पहले मैं अमेरिका गई थी। वहां के अम्बैसडर इंडिया में थे। हम उनसे मिले। हमने उनसे पूछा कि 9/11 के बाद क्या वजह है कि अमेरीका ने वहां टेररिस्ट हमले रोक दिए? क्या आपके पास बहुत स्ट्रीन्जन्ट लॉज है? उन्होंने कहा कि हमारे पास लॉज तो हैं और हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है, वह हमारी माइनॉरिटिज हैं, हमारे मुसलमान लोग हैं, जो हमारे साथ हैं। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में जो हमारी माइनॉरिटिज दिलखुसुस मूस्लिम्स हैं, सर, होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, इनको आप बोलिए, आप रिकार्ड निकालिए, पिछले कई सालों से जब कश्मीर में मिलिटैंसी हुई, वहां दुनिया के कोने-कोने से लोग लड़ने के लिए आए, मगर उनमें से हमारे मूल्क का, जम्मू-कश्मीर से बाहर का कोई मुसलमान वहां मिलिटैंट बनने के लिए नहीं आया। उसके बावजूद आप देखिए, जब भी कहीं हमला होता है, 24 घंटे के अंदर तस्वीरें आती हैं कि दाढ़ी वाला यह है, यह है, इंवाल्व है। अगर आपकी इंटैलिजैंस इतनी मजबूत है तो 24 घंटे पहले आपको इसके बारे में क्यों नहीं पता चला? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। यह खेल हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, जिनमें कई सारे इंकाउंटर्स, जिनमें रूलिंग पार्टी के अपने लोगों ने भी अंगुली उठाई।

सर, मेरा यह कहना है कि इंडिया की जो माइनॉरिटिज हैं, बिलखुसुस मुस्लिम्स हैं, उन्हें इंडियन नेशन से कोई शिकायत नहीं है। इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जहां-जहां जिनकी सरकारें हैं, हमें उनसे शिकायत है। हम उनका शिकार हो गए हैं। हम एस्टैब्लिशमैंट का शिकार हो गए हैं।

सर, हमारे मूल्क के माइनॉरिटिज के सबसे बड़े एन्टरप्रेन्योर कौन हैं - आजम प्रेम जी और एम.एफ.हुसैन। आप फिल्म इंडस्ट्रीज में देखिए, आप कहीं किसी फील्ड में देखिए, जहां माइनॉरिटिज को स्टेट का मुकाबला नहीं करना पड़ा, वहां वे कैसे ग्रो होते हैं? मगर, जहां स्टेट मशीनरी आती है, यह केवल मुसलमानों के बारे में नहीं है; यह आम आदमी के बारे में है। अगर कोई गरीब आदमी पुलिस स्टेशन चला जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है? हमारी बच्चियों का रेप होता है। वे पुलिस स्टेशन जाती हैं तो क्या होता है? यह आलम माइनॉरिटिज का है। आप जेलों में देखिए। होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। मैं इनके बारे में एक बात जानती हूं। मेरे फादर हमेशा कहते हैं। वी.पी. सिंह जी जब जिंदा थे, वे मुझसे कहते थे कि मुफ्ती साहब, यू. पी. में कोई मसला हुआ, हम धरने पर बैठ गए तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने मुझे फोन कर के बुलाया कि वी.पी. सिंह जी क्या बात है? आप आइए, मिल कर बात करते हैं, तो कहा - मै निशस्त्र था। अगर आप में इतनी एकॉमोडैशन है, इस वक्त आप हमारे होम मिनिस्टर हैं। मेरा मानना है कि हर स्टेट, अगर पुणे में लड़का मारा गया तो महाराष्ट्र स्टेट क्या कर रही थी। मगर सर आपकी कलैक्टिव रिस्पॉन्सिब्लिटी है। जैसे सलीम भाई ने कहा। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की कई मीटिंग्स हुईं हम रिएक्टिव क्यों हैं? आज यह रिएक्शन है। इतने दंगे हो गए, हमें स्थायी समाधान क्यों नहीं मिलता? इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें ताकि कहीं भी दंगा न हो। खुदा न खास्ता अगर दंगा हो तो लोगों को इंसाफ मिले क्योंकि दंगे तभी होते हैं जब लोगों को यह मालूम होता है कि वहां का एसएचओ, वहां का पुलिस वाला, वहां का सिस्टम, यह कुछ भी हो सकता है यह कांग्रेस हो सकती है; यह बी.जे.पी. हो सकती है; यह एस.पी. हो सकती है क्योंकि कहीं न कहीं दंगे करने वालों को यह मालूम होता है कि हमारे साथ कुछ उल्टा होने वाला नहीं है। हम कैसे करें? हम इस सिस्टम को कैसे इतना मजबूत करें कि चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जिसके साथ गलत हो, किसी के साथ रेप हो, किसी के साथ मार-कुटाई हो, उसे इंसाफ मिले।

कई सालों से बात हो रही थी। सलीम भाई ने कहा प्रिवैंशन ऑफ कम्युनल रॉयट्स, बहुत सारे बिल लाए गए, पास किए गए। मगर इसका सिर्फ शोर हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, चर्चा से ज्यादा उस पर अम्ल कीजिए। क्या किया? आपकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि माइनॉरिटीज़ कितने बैकवर्ड हैं। क्या हमने इसके

बारे में कुछ किया है? नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से कहीं न कहीं एक मस्जिद गिरा रहे होते हैं, वे वोट पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरे तमाशा देख रहे होते हैं। वे कहते हैं कि हम बाद में छाती पीटेंगे। हमें उसमें वोट मिलेंगे। भारत धर्मनिरपेक्ष लोगों का देश है। सैकुलर पीपल को भी अनटचेबल बना दिया गया है। अब सैकुलर नाम लेते हुए भी इंसान को तकलीफ होती है। यह हमारा मुल्क चाहे हिन्दू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है चाहे इसाई है, वह मजहब के नाम पर बंटना नहीं चाहता। वह सड़क चाहता है, बिजली चाहता है, पानी चाहता है। वे प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। मगर हम आपस में जो स्लिंगिंग मैच कर रहे हैं, आपने यह किया, यह किया, मुझे लगता है कि डिस्कशन जिस ओर जानी चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

पहले पार्लियामैंट और असैम्बलीज के एक बार ही इलैक्शन हो जाते थे। अनफार्चुनेटली अब असैम्बली के इलैक्शन होते रहते हैं, इसलिए दंगे भी चलते रहते हैं।

यहां कश्मीरी पंडितों की बात हुई। कविता जी ने भी बात की। 700 कश्मीरी पंडित मारे गए। 50 हजार मुसलमान भी तो मारे गए। मेरी फैमिली के लोग भी तो मारे गए।...(व्यवधान) कृपया ऐसा न करें। इसे आप दोनों के बीच लड़ाई मत बनाओ। नहीं हमारी फैमिली के लोग भी मारे गए। जब मेरे पिता गृह मंत्री थे, मेरे चाचा की हत्या कर दी गई थी; जब मेरे पिता मुख्यमंत्री थे, तो मेरे भतीजे की हत्या कर दी गई थी। यह जरूर हुआ कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलना पड़ा, आपको उन पर तरस आ गया, आपने उन्हें जगह दे दी। मगर जब मुसलमान वहां से निकले तो उन्हें मुल्क में जगह नहीं मिली। बोला, यह आतंकवादी है, इसे निकालो।...(व्यवधान) आज हमारे कश्मीर का शाल वाला, कारोबार करने वाला पूरे मुल्क में जाता है। अपनी चीजें बेचता है। उसे कोई शिकायत नहीं है कि मेरे मुल्क के लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, अगर उसे शिकायत है तो सिस्टम से है। पुलिस वाला किसी के घर जाता है, अरे कश्मीरी को यहां रखा है। इसे निकाल दो। हमारा लोगों के साथ कुछ नहीं है। लोग कश्मीर आते हैं, हम कहीं चले जाते हैं तो एक हैं। मगर इस कंट्री का जो सिस्टम है, जो हमारे स्टेट्स का सिस्टम है, उसे पीपल फ्रैंडली बनाइए, खुद ही माइनॉरिटीज़ भी आ जाएंगी, मेजॉरिटी भी आ जाएंगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे बात करने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने पहले भी राजनाथ सिंह जी का नाम लिया कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि अनफार्चुनेटली जब से यह सरकार बनी है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। मगर आपकी तरफ से आपने लफ्ज भी नहीं खोले। मैं वही कहूंगी, कहते हैं -

न समझोगे तो मिट जाओगे हिन्दुस्तान वालो

आपकी दास्तान भी न रहेगी दास्तान में।

उसे हमें याद रखना चाहिए।

माननीय सभापति : निशीकांत दूबे जी के प्वाइंट ऑफ आर्डर में अगर कुछ ऑब्जैक्शनेबल है तो उसे एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ चंद सवालात हिन्दुस्तान के वज़ीरे दाखिला के सामने रखना चाह रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि वे जवाब देते समय मेरे सवालात के जवाब देंगे। यहां इसलिए बहस हो रही है कि एक इफैक्टिव मकैनिज़्म को इवॉल्व किया जाए। मैं आपके जरिए वज़ीरे दाखिला से पूछना चाहूंगा कि क्या यह बात सही नहीं है कि जब फिरका वाराना फसादात होते हैं, हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा फिरका वाराना फसादात हैं? क्या यह बात सही नहीं है कि जब फिरका वाराना फसादात होते हैं तो सबसे बड़ा रोल पुलिस का होता है? जब तक पुलिस में तमाम तबकों की नुमाइन्दगी नहीं होगी, चाहे अकलियतें हों, दलित हों, हम उन फसादात को रोक नहीं सकते। क्या वे मेरी बात से मुत्तफिक हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स होमोजुनस है, पार्शियल होती है, पुलिस फोर्स में तमाम तबकों की नुमाइन्दगी के लिए क्या करेंगे?

मैं वजीरे दाखिला साहब से दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत ने यह ऐलान किया, इस ऐवान में बात को रखा कि इस साल आप लोग 12 लाख करोड़ रुपये टैक्सेज ऐक्सैप्ट कर रहे हैं। पिछले साल 10 लाख करोड़ रुपये था और इस साल 12 लाख करोड़ रुपये हैं, यानी दो लाख करोड़ रुपये का इजाफा आपने तखमीया लागत किया है, आपने उम्मीद रखी है। अगर यह खेल चलता रहेगा, हिन्दू-मुस्लमान को मारने का खेल चलता रहेगा, फिरका-फसादात चलते रहेंगे, तो क्या होम मिनिस्टर साहब यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि दो लाख करोड़ रुपये इजाफा टैक्सेज आप जो उम्मीद कर रहे हैं, वह क्या आपको मिलेगा? यह मैं आप पर छोड़ता हूं।

मैं होम मिनिस्टर साहब से तीसरी बात पूछना चाहूंगा कि मैं बड़ा मुतमईन हूं कि बीजेपी के मोआज़्ज़िज रूक्न ने जो बात कही है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने जो भी कहना था, वह हमेशा कहा। हम दस साल से सुन रहे हैं, मगर क्या वे उस गुफ्तगू से मुतफ़िक हैं? पार्टी अलग है, हुकूमत अलग है। अब आप हुकूमत में हैं। आपने दस्तूर पर हल्फ उठाया है। आपकी नजर में सब बराबर हैं, तो क्या आप उनकी बात से मुतफ़िक हैं।

मेरा चौथा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितने फसादात हुए, उनकी इंक्वायरी कमिशन की रिपोर्ट क्या कहती है? क्यों नहीं उसे लाया जाता? वजीरे दाखिला साहब, क्या यह मेरी बात सही नहीं है कि भागलपुर के इंक्वायरी कमिशन की रिपोर्ट में जिस पुलिस वाले का जिक्र किया गया, क्या आप या हुकूमत ने उसे प्रैजेंट, मेडल नहीं दिया? उस एसपी को प्रैजेंट, मेडल दिया गया।

मैं आपके माध्यम से वजीरे दाखिला साहब से पांचवा सवाल यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह बात गलत है कि एक इशरत जहां की एनकाउंटर की फाइल आपके पास आयी है, जो आईबी का आफिसर है, उस पर आप कह रहे हैं कि केस डायरी लाकर दो? सर, क्या यह बात गलत नहीं है कि एक लोक्स स्टैंडा ही नहीं है हुकूमत के पास केस डायरी पूछने का। इस ताल्लुक से आप फैसला कब करेंगे? मैं आपके जरिये से वजीरे दाखिला से पूछना चाहूंगा कि आपके कोई गुरू हो सकते हैं। मुझे आप यह बतला दीजिए, एक बार फैसला कर दीजिए कि इस मुल्क में हिन्दुस्तानी उसी को कहेंगे, जो हिन्दू धर्म को मानता है। अगर यह बात है तो आप इस मुल्क के आईन को बदल दीजिए। आपके गुरू कहते हैं कि इस मुल्क में हिन्दू हैं।

मैं छठा सवाल हुकूमत से, वजीरे दाखिला से करना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि आपकी ही सिस्टर आर्ग्नाइजेशन के लोग बयान देते हैं कि तुम गुजरात भूल गये, तो मुजफ्फरनगर को याद करो। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं। वजीरे दाखिला साहब आप मुझे इस बारे में बताइये.

मेरा सातवां सवाल यह है कि आपके ही तनजीम के लोग कहते हैं कि हम 25 अगस्त के दिन तमाम ईसाइयों और मुसलमानों को हिन्दू धर्म में लेकर आयेंगे। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं, यह आप मुझे बताइये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज आप हुकूमत कर रहे हैं। आप हुक्मरान हैं।

मेरा आठवां सवाल हुकूमत से यह है कि क्या आपकी आईबी सिर्फ मुस्लिम तनजीमों पर नजर रखेगी या फिर आप अक्सरीती तबके के तशुद्द पसंद फिरकापस्त ताकतों को जो बम बलास्ट भी किये हैं, क्या उन पर भी आप नजर रखेंगे या नहीं रखेंगे?

मेरा अगला सवाल हुकूमत से यह है कि क्या आप इस मुल्क के पुराआशुब माहौल में जहां पर कत्लो-गारतगी की जा रही है, क्या आपकी हुकूमत कौमी यकजहती काउंसिल की मीटिंग बुलायेगी, ताकि एक मुसब्त पैगाम हुकूमत को दिया जा सके। मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, हुकूमत से कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि आप ऐक्तदार पर आ चुके हैं, मगर क्या कत्लो-गारतगी पर, मेरी लाशों के ऊपर आप अपने ऐक्तदार के महल को बनायेंगे? आप ऐक्तदार के महल को तो बना लेंगे, मगर याद रखिए कि मुल्क की बुनियादें कमजोर हो जायेंगी। इसलिए मैं हुकूमत से ...(व्यवधान)

महोदय, मैं तकमील कर रहा हू। ...(व्यवधान) मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि सूरत का बम बलास्ट, अक्षरधाम का बम बलास्ट, होम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है, क्या आप उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे? क्या आप उनके खिलाफ एक्शन लेकर पूरे मुल्क का ऐतमदाद हासिल करेंगे? यह बुनियादी सवालात हैं।

आखिरी और अहम बात यह है कि क्या आप इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को इसके इथोस को, इसकी रूह को बरकरार रखेंगे या इसे बर्बाद कर देंगे। ...(व्यवधान) मैं आपसे इन सवालात का जवाब चाहता हूं। ये मेरे सवालात नहीं हैं, ये किसी मुसलमान के सवाल नहीं हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ...[19*]

[19*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया.

[हिन्दी]

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): सभापति महोदय, कम्युनल वायलेंस पर एक एफेक्टिव मैकेनिज्म लाना जरूरी है, ...(व्यवधान) इस उद्देश्य से यह चर्चा इस सदन में हो रही है। मैं शिव सेना पार्टी की ओर से मुम्बई शहर का सांसद हूँ...(व्यवधान) मुम्बई शहर एक अंतर्राष्ट्रीय नगरी है। यहाँ दो करोड़ की आबादी है। दो करोड़ की आबादी वाले इस शहर में 10-12 वर्ष पहले बहुत दंगे-फ़साद होते थे। अभी पिछले 10 वर्षों से यह बहुत कम हो गया है, इसका मतलब है कि वहाँ के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्त्ताओं तथा सभी क़ौम के नेताओं के मन में अच्छी भावना आ गयी है, उसके मन में बदलाव आ गया है। मुम्बई महानगरपालिका वहाँ की दो करोड़ जनता की सेवा कर रही है। इसका तीस हजार करोड़ रुपए का बजट है। वहाँ पिछले 15 वर्षों से शिव सेना और बीजेपी की सत्ता है। जब हम लोग सत्ता चलाते हैं, तो कहीं भी भेदभाव नहीं होता है। हिन्दू, मुस्लिम, और और बाकी सभी दलितों को समान दर्जा देते हैं। इतना अच्छा रिश्ता उस शहर में हम लोगों ने बनाये रखा है। इतना होने के बावजूद, मैं अपने मन की एक भावना इस सदन में उठाना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, इस सदन में चपाती खिलाने के बारे में एक अंग्रेजी अखबार में एक बहका हुआ समाचार आया था, जो असली नहीं था। हमें निशाना बनाया गया। असल में यह सब झूठ था। यहाँ के सदस्यों ने धार्मिक भावना भड़काने का काम किया, जिसका मैं यहाँ निषेध करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुम्बई शहर में मुस्लिम भाइयों के प्रति इतनी अच्छी भावना है, क्योंकि जिस दिन चपाती खिलाने का मामला इस सदन में आया, उसी के दूसरे दिन महाराष्ट्र के सभी ख़ासदारों को, जहाँ इफ़्तार पार्टी चलती है, बहुत सम्मानपूर्वक उनको उधर बुलाया गया था और इस घटना का कोई असर हमारे शहर में नहीं हुआ था।

सभापति महोदय, मुम्बई शहर में नवयुवक चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, उनके मन में धार्मिक भावना कम है। उनके मन में विकास की बातें हैं। हम लोग उनका विकास कैसे करें, इस बात की ओर वहाँ के युवा वर्ग सोचते हैं। इन युवाओं के मन में कभी धार्मिक भावना नहीं भड़कायी जाती है। इसलिए वहाँ हिन्दू और मुस्लिमों में अमन होता है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कम्युनल हारमनी कायम रखने के लिए शिव सेना पूरा

योगदान करेगी। आज इस सदन में इस बारे में जो भी मैकेनिज्म लाया जाएगा, जो भी भारी से भारी मैकेनिज्म पर निर्णय लिया जाएगा, उसके तहत हम लोग समाज को बहकाने वाले अनैतिक लोगों पर बंधन लगा सकेंगे। मैं शिव सेना पार्टी और श्री उद्धव जी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि यह जो धार्मिक भावना भड़काने का काम चल रहा है, उस पर आप बंधन लगाएँ, इसमें हम आपको सहयोग देंगे।

[अनुवाद]

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला): आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

चर्चा सांप्रदायिक हिंसा के बारे में है लेकिन मैं सांप्रदायिक सद्भाव पर अधिक बोलना चाहूंगा। मैं सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि से आता हूँ। मैं तेलंगाना से आता हूँ। यहाँ हम इसे गंगा-यमुना *तहजीब* कहते हैं। हमने 1956 तक कभी सांप्रदायिक हिंसा नहीं की थी जब तक हम एक अलग राज्य नहीं बन गए थे। उसके बाद ही हमारे पास कुछ उदाहरण थे और हम मानते हैं कि वे राजनीति से प्रेरित थे। इसलिए, हमारे द्वारा अनुभव की गई सभी सांप्रदायिक हिंसा वास्तव में राजनीतिक हिंसा है और हमने कभी सांप्रदायिक हिंसा नहीं की।

हमारे उपमुख्यमंत्री एक मुसलमान हैं। हम मुसलमानों को आरक्षण देने का इरादा रखते हैं। हमारे पास दरगाह हैं जहां पूरे दरगाह बोर्ड में हिंदू शामिल हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हमारे मंदिर हैं जहां देवी दुर्गा को मोती का हार वहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय द्वारा दिया जाता है। इससे पहले भी हमारे शासक, स्वतंत्रता से पहले, निज़ाम बहुत धर्मनिरपेक्ष थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन मैं एक हिंदू हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ। मेरा मानना है कि जहां भी हिंदू दर्शन प्रचलित है, वहां सांप्रदायिक हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे समझाने दीजिए।

हिंदू धर्म कई दर्शन का समामेलन है। कुछ हिंदू हैं जो कहते हैं कि वे भगवान राम से प्रार्थना करते है; कुछ अन्य कहते हैं कि वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास हिंदू धर्म के भीतर परस्पर विरोधी विश्वास और दर्शन हैं। हमारे पास एक तरफ *द्वैत* है जो मानता है कि मनुष्य यहां है और भगवान कहीं है और दोनों अलग-अलग संस्थाएं हैं और एक ही हिंदू धर्म में बिल्कुल विपरीत दर्शन है जो मानता है कि मनुष्य के भीतर भगवान के अलावा कोई अन्य भगवान नहीं है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अज्ञानी हैं और उनके हिंदू हैं। दक्षिण भारत में यह आज भी मेरे राज्य में प्रचलित है और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है जहां हमारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं लेकिन जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। इन्हें

चार्वाक कहा जाता है। वे गांव-गांव जाते हैं और नो गॉड, नो गॉड और नो गॉड का प्रचार करते हैं। हिंदू धर्म एक समामेलन है और इतना व्यापक और खुला धर्म है कि सांप्रदायिक हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है।

एक *द्वैत* हिंदू एक *अद्वैत* हिंदू की तुलना में एक मुस्लिम या एक ईसाई के अधिक करीब होता है। समस्या यह है कि इतनी व्यापक परिभाषा में और इस तरह के सभी समावेशी दर्शन या हिंदू धर्म नामक दर्शन का एक समूह, जहां गुंजाइश है - जब तक कि यह मौलिकता में संकुचित होना शुरू नहीं करता है।

एक आवेशित वातावरण में, यदि मैं अल्पसंख्यक हूँ, तो बहुसंख्यक की उपस्थिति ही मुझे असुरक्षित बना देती है। सांप्रदायिक हिंसा को दूर रखने के लिए, यह हर समुदाय की समान ज़िम्मेदारी नहीं है, बहुसंख्यक समुदाय की अधिक ज़िम्मेदारी है और अब जब बीजेपी सत्ता में है, तो मुझे लगता है, उनके पास ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने की क्षमता है बशर्ते वे हिंदूवाद की परिभाषा को संकुचित करना शुरू न करें और कुछ ऐसा जो नया आविष्कार किया गया है जिसे हिंदुत्व दर्शन कहा जाता है।

[हिन्दी]

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): बहुत से माननीय सदस्यों ने अच्छा बोला है, मैं सबके साथ मुत्तफिक हूं। सिर्फ मुझे दुख है कि हमारे स्वामी जी, मैं उनसे शुरू नहीं करना चाहता था, मेरे भाई हैं, मैं उनको हमेशा सलाम करता हूं, हाथ मिलाता हूं। यह कम्यूनल वायलेंस पर चर्चा हो रही है।...(व्यवधान) हमारी पार्टी के लिए नौ मिनट समय एलॉटेड है।...(व्यवधान)

मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि इस चर्चा को लाने का जो मकसद है, उसको हमारे बहुत से साथियों ने शायद गहराई से नहीं लिया है। फ़सादात इस मुल्क में हो रहे हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है।

"मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना,

हिन्दी हैं हम वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा।

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।"

भाई आदित्यनाथ जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप रिएक्शन न करें, लोगों को बोलने दें। आपकी बड़ी इज्जत है। जहां तक फ़सादात की बात है, हमारा यह मुल्क गंगा-जमुनी तहजीब का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क है। हजारों जातियों और हजारों ज़ुबान के लोग यहां रहते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, तो हमारी इज्जत होती है। एक शान है, हिन्दुस्तान का एक वक़ार है। आज पूरी दुनिया, अमरीका जैसी ताकत भी आज अगर अंदर ही अंदर से डरती है, तो हिन्दुस्तान की ताकत से डरती है। इसकी सबसे बड़ी बदनसीबी, मैं समझता हूं, यह है कि इस घर को आग लग गयी है घर के चिराग से।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : बदरुद्दीन अजमल साहब की स्पीच के बाद ज़ीरो आवर होगा।

श्री बदरुद्दीन अजमल : मेरी पार्टी का नौ मिनट समय है, अगर उसमें एक मिनट बढ़ा देंगे, तो आपकी मेहरबानी होगी।

महोदय, यह मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है, उसी वक्त ताकतवर हो सकता है, जब सब एक मुट्ठी की तरह हों। हिन्दू-मुस्लिम का मसला कम से कम इस सदन में नहीं आना चाहिए। यह हिन्दू-मुसलमान का मसला नहीं है, यह फसादात तो रोकने का मसला है। जब किसी का घर उजड़ता है, तो वह किसी हिन्दू का भी घर उजड़ता है, किसी मुसलमान का भी घर उजड़ता है, सिख का भी घर उजड़ता है और ईसाई का भी घर उजड़ता है। एक दलित भाई का भी घर उजड़ता है और एक मुसलमान का भी घर उजड़ता है। मैं वह हिन्दू नहीं हो सकता है, मैं वह मुसलमान नहीं हो सकता, अपने आपसे कहता हूं कि अगर मेरे दिल में किसी दूसरे की माँ के प्रति इज्जत नहीं है, तो मैं अपनी माँ की इज्जत कभी नहीं कर सकता। इसी तरह अगर दूसरे की बहन के प्रति मेरे दिल में इज्जत नहीं है, तो मैं अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता। दूसरे के बच्चों के उजड़ने का फिक्र अगर मेरे दिल में नहीं है, तो मैं अपने बच्चों के उजड़ने की फिक्र नहीं कर सकता।

हमारे सामने 15 अगस्त है। हमारे पुरखों ने कहा था – "हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चो सम्भाल कर।" यह हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा यह कहना है कि स्वामी जी ने जैसा कहा कि इस तरफ के लोग फसादात मुसल्सल हो रहे हैं। कोई कहता है कि मुल्क आज़ाद होने के बाद इस देश में 32,000 फसादात हुए। कोई कहता है कि 52,000 हुए और कहता है कि 27,000 हो गए। इस देश में 50 साल से ज्यादा समय तक इस तरफ के लोगों ने देश में हुकूमत की है। बड़े-बड़े कमीशन बनाए गए। आज उन कमीशंस की रिपोर्ट कहां है, मैं स्वामी जी यह बात आपकी तरफ से कह रहा हूं। लेकिन स्वामी जी मैं एक बात आपसे भी कहूंगा कि इस मामले में धर्म को बीच में लाकर, इस मुल्क के नागरिकों को तबाह और बर्बाद न किया जाए, उन्हें और न उजाड़ा जाए। उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएं। चाहे कोई बच्चा किसी मुस्लिम के घर मुसलमान के नाम से पैदा हो रहा है, चाहे वह किसी दलित के घर पैदा हो रहा है, हकीकत यह है कि एक इन्सान पैदा हो रहा है। जिस किसी के घर में भी कोई बच्चा पैदा हो रहा है, वह हमारा भाई है, मुल्क का अंग है, उसे तालीम से संवारिए। उसे शिक्षित किया जाए और उसकी तालीम के लिए बड़े-बड़े बजट लाइए और उसे इस मुल्क में जीने का हक दीजिए।

मैं ओवैसी साहब की एक तजवीज के बारे में कहना चाहूंगा। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सारे विभागों में सारे मजहब के लोगों की नुमाइंदगी दीजिए, मैं समझता हूं इंशाअल्लाह, जब सारे लोग एक साथ होंगे, तो किसी के साथा नाइन्साफी नहीं होगी। सर्वधर्म का एहतराम होगा, यही हमारी हिन्दुस्तान की तहजीब है। जब तक हम लोग इसकी रखवाली करेंगे, इस मुल्क में लोग खुशी से रहेंगे। आप बड़े भाई हैं, अब आप पावर में आए हैं। आप दिल खोलकर छोटे भाइयों पर रहम कीजिए, यही हमारा धर्म कहता है।

माननीय सभापति : यह चर्चा जारी रहेगी। अब हम शून्य काल लेते हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश की विद्युत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन में हमें कई बार इस बारे में सुनने का मौका मिला है और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी प्रदेश की बिजली समस्या को उठाया है। मैं सूचित करना चाहता हूं कि एक बार नहीं, कई बार हमारे मुख्य मंत्री जी ने मांग की है और भारत सरकार से कहा है, यहां पर योगी जी बैठे हुए हैं, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां घग्घर का पानी सबसे ज्यादा है, वहां परमाणु विद्युत योजना बनाई जाए। हम चाहते हैं कि आप इसमें सहयोग करें। उत्तर प्रदेश में तात्कालिक जो गम्भीर सवाल है, वह बिजली के बारे में यह है कि प्रदेश में 1140 मेगावाट का विद्युत प्लांट जो है, वह कोल पर आधारित है। उसके अंदर हमें प्रतिदिन पांच रेकों की आवश्यकता है, जबकि बड़ी मुश्किल से तीन रेक ही प्रतिदिन मिल रहे हैं। इस कारण उत्तर प्रदेश में विद्युत प्लांट और उससे जो बिजली जेनरेट होती है, उसमें प्रतिदिन 460 मेगावाट की कमी हो रही है। उसे लेकर मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। हम मांग करेंगे कि कोयले की जो कमी है उत्तर प्रदेश के कोटे में, उसे पूरा किया जाए। बिजली की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, अगर हमें पूरा कोयला मिले तो उत्तर प्रदेश सरकार उन सवालों का समाधान कर सकती है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का केन्द्र से आबंटित अंश है 6002 मेगावाट का, वह घटकर 4200 मेगावाट कर दिया गया था, अब उसे 4500 मेगावाट तक किया गया है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश का जो केन्द्रांश है बिजली के मामले में, वह पूरा दें, जिससे वहां बिजली की समस्या दूर हो सके। उत्तर प्रदेश से भाजपा के बहुत से सांसद जीतकर आए हैं और केन्द्र की सरकार भी उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों के कारण बनी है। मेरी उनसे भी अपील है कि वे भारत सरकार पर इस बारे में दबाव डालें। अगर वहां के बिजली प्लांट्स में कोयले की कमी होती है, तो बिजली में भी कटौती होगी। उत्तर प्रदेश की जनता यह सब देख रही है और जनता आपको आगे सबक सिखाने का काम करेगी।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति जी, माननीय गृहमंत्री जी यहां बैठे हैं और भारत रत्न देने से संबंधित जो मामला है, उसमें हम कोई राजनीति नहीं करते हैं। देश के जो महापुरूष होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनका समाज के लिए योगदान होता है, उनके लिए भारत रत्न की बात की जाती है। आप हमारे गार्जियन हैं, आप

जानते हैं कि हमारा संविधान सोशलिस्टिक पैटर्न का हिमायती है और सोशलिस्टिक पैटर्न किन लोगों के द्वारा लाया गया। बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी का देश सम्मान करता है और उनका सन् 1942 से लेकर आज तक क्या योगदान रहा है, यह सभी को मालूम है। उसके बाद आदरणीय लोहिया जी, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके कारण आम आदमी और गरीबों को अपने आर्थिक और सामाजिक हक के लिए लड़ने की ताकत मिली। गरीबों को शोषण के खिलाफ उठ खड़े होने का जो जज्बा मिला, उसमें जयप्रकाश नारायण, डॉ. लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जी का कितना बड़ा योगदान है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के हित में, बाबू जगजीवन राम जी के बाद, आदरणीय काशीराम जी ने भी संघर्ष किया। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं जिनके मुलायम सिंह जी से लेकर लालू यादव जी, नीतीश कुमार, चौधरी चरण सिंह, देवी लाल जी और हम सभी लोग उनका आदर करते हैं। आप सब जानते हैं कि सुभाष चन्द्र बोस भारत रत्न से बहुत ऊपर हैं, उन्हें सारी दुनिया जानती है। गृह मंत्री जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इन चारों व्यक्तियों को, जे.पी,. लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और काशी राम जी को आप भारत रत्न देने के बारे में आप गंभीरता से विचार करें और वह आपकी ही सरकार कर सकती है, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री धर्मेन्द्र यादव को श्री राजेश रंजन जी द्वारा उठाये गये मुद्दे के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़कों को व्यापक रूप से निर्मित करने के लिए माननीय वाजपेयी जी ने एक अच्छी शुरूआत की थी। लक्ष्य निर्धारित किये गये। कुछ लक्ष्यों की आंशिक रूप से प्राप्ति भी हुई, परन्तु यूपीए के गत वर्षों के शासनकाल में और विशेष कर वर्तमान बिहार सरकार के दौरान बिहार में पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों का निर्माण एवं रख-रखाव खस्ताहाल है। राज्य की ग्रामीण सड़कें जर्जर हैं। लालफीताशाही एवं अफसरशाही का बोलबाला है और केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाएं खस्ताहाल हैं।

मैंने स्वयं क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में सड़क बन चुकीं या बन रही पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के निर्माण में भारी आनियमितता बढ़ती गई है। भ्रष्टाचार के चलते हमारी ग्रामीण जनता आवागमन की सुविधा से वंचित है। वैसे तो हम ग्रामीण सड़कों को ग्रामीण भारत की जीवन रेखा कहते हैं, परन्तु, अगर हम ये सड़कें निर्मित नहीं कर पाते हैं या इनका रख-रखाव नहीं कर पाते हैं तो यह ग्रामीण जनता को सजा देने के बराबर है। बिजली, पानी के फ्रंट पर बिहार सरकार फेल हो चुकी है। अब वह केन्द्र द्वारा प्रायोजित पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों को भी गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं स्वयं बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य सचिव, डी.एम. एवं अभियंताओं से मिल चुकी हूं। परन्तु, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक सांसद होने के बावजूद भी मेरे क्षेत्र में 45 सड़कें जो वर्षों पहले स्वीकृत हुई थीं अभी तक नहीं बन पायी हैं। सड़कों के अभाव में ग्रामीणों में आक्रोश है और वे यदा-कदा घेराव भी करते हैं। जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठेकेदारों, अभियंताओं एवं अधिकारियों का गठजोड़ पी.एम.जी.एस.वाई. को सफल नहीं होने देने का सबसे बड़ा कारण है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन प्रखंड में कृष्ण नगरा गांव एनएच 104 से दुबहा दोस्तिया रोड के निर्माण की ओर दिलाना चाहती हूं जिसका निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हो रहा है। इस पथ की लम्बाई 2.097 किलोमीटर है और इसके निर्माण पर एक करोड़ 42 लाख रुपए का खर्च होना है। इस पथ के निर्माण का कार्य वर्ष 2012-13 में हर्षवर्धन कंस्ट्रक्शन को आबंटित किया गया था जिसे टेंडर एग्रीमेंट के अनुसार 18 अप्रैल, 2014 तक पूरा कर लेना था परन्तु तीन महीने बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। कृष्ण नगरा गांव एनएच 104 दुबहा दोस्तिया रोड के आस-पास रहने वालों का डेलीगेशन मुझसे मिला था एवं निर्माण कार्य पर असंतोष व्यक्त किया था। लोगों का कहना था कि साइट पर जो मैटीरियल गिरा है वह भी घटिया है। उस कम्पनी के पास साइट पर कार्य करने के लिए अपनी कोई मशीन भी नहीं है। यह कम्पनी छोटे-छोटे ठेकेदारों को काम बांट कर अपना काम कराता है जो काफी घटिया स्तर का होता है। जो रोड निर्मित हो चुकी है, वह भी आधी-अधूरी है। अतः सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर्षवर्धन कंस्ट्रक्शन को तत्काल प्रभाव से

हटा कर उसकी जांच कराते हुए उसे काली सूची में डाला जाए तथा कृष्णा नगर गांव एनएच 104 से दुबहा दोस्तिया रोड के निर्माण का कार्य किसी अन्य संवेदक को दिया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को आवागमन की सुविधा मिल सके एवं सरकार की छवि भी बेहतर दिख सके।

माननीय गडकरी जी ने पिछले दिनों संसद में चर्चा के दौरान कहा कि जीपीएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वे योजनाओं की निगरानी करेंगे। मेरा उनसे आग्रह है कि वे आईटी एवं (जीपीएस) स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वे पीएमजीएसवाई योजनाओं की निगरानी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि पीएमजीएसवाई योजनाएं समय तथा सही गुणवत्ता के साथ पूरी हो सकें।

माननीय सभापति : डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री देवजी एम. पटेल अपने आपको श्रीमती रमादेवी द्वारा उठाए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

श्री विजय सांपला (होशियारपुर): सभापति जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात माननीय रेल मंत्री जी पहुंचाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र होशियारपुर में सप्ताह में एक ही दिन ट्रेन जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह ट्रेन सातों दिन चलनी चाहिए क्योंकि उसके साथ हिमाचल का बार्डर लगता है। यहां लोग माता चिंतपूरनी, चमुंडा देवी की यात्रा पर जाते हैं, इससे उन्हें सुविधा मिलेगी। श्रीशक्ति ट्रेन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, जो दिल्ली से कटरा तक जाती है, उसका ठहराव लुधियाना के बाद जालंधर कैंट में आता है जबकि बीच में फग्वाड़ा स्टेशन मेरे क्षेत्र में पड़ता है। इसके आस-पास दो सौ, ढाई सौ गांव को प्रभावित करता है इसलिए उनकी जरूरत के मुताबिक यहां ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। महोदय, हर सांसद चाहता है कि उसका क्षेत्र उन्नति करे। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि पहले जो ट्रेनें मेरे क्षेत्र में रुकती थीं, आज समय बीतने के साथ उनकी संख्या बढ़नी चाहिए थी मगर जैसे मालवा, एक्सप्रेस मुकेरिया में ट्रेन का ठहराव था जिसे पूर्ववत् रहना दिया जाये, अब सितम्बर और अक्टूबर से मालवा स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव बंद किया जा रहा है। दसुआ और टांडा में जो ट्रेनें चलती थीं, उनके ठहराव रोक दिए हैं। जबकि लोगों की डिमांड ज्यादा है। उक्त स्टेशन पर 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बीच में न तो कोई पैसेंजर ट्रेन चलती है और न ही कोई मेल

गाड़ी रुकती है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि टांडा, दसुआ, मुकेरिया के लिए उचित ट्रेनों की व्यवस्था करें और जो ट्रेनें पहले चलती थीं, उनका ठहराव पहले की तरह सुनिश्चित किया जाए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 29-ई जो गोरखपुर को नेपाल से जोड़ता है, उसमें महेश्वरा नामक स्थान वर्ष 2009 में मेरे आग्रह पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक सेतु निर्माण करने के लिए धन स्वीकृत किया था। लगभग सवा नौ करोड़ रुपये की लागत से इस सेतु का निर्माण होना था। यह आश्चर्य की बात है कि सितम्बर, 2009 में सवा नौ करोड़ रुपये उसके लिए आबंटित किये गये थे। जनवरी 2011 में उसका डीपीआर बनकर तैयार हुआ और लगभग 6 करोड़ 40 लाख रुपये की कुल लागत सेतु की थी लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग का जो राजमार्ग खंड है, उसके द्वारा एक माफिया प्रवृत्ति के ठेकेदार को यह कार्य दे दिया गया और पांच वर्ष होने जा रहे हैं। अभी तक उस सेतु का एक पिलर भी नहीं बन पाया है।

यह सरकारी धन पर सीधे-सीधे डकैती का एक मामला है और सरकारी धन में लूट का एक ज्वलंत उदाहरण है। इस सेतु के लिए जो धनराशि आबंटित की गई है, उसकी किसी केन्द्रीय एजेंसी से जांच कराकर कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होकर उन पर पूरी तरह कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनसे पूरी धनराशि ब्याज सहित वसूल करके उस सेतु का निर्माण समयबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए क्योंकि यह नेपाल को जोड़ने वाला सामरिक दृष्टि से भी और गोरखपुर और उत्तरी क्षेत्रों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राजमार्ग है। कृपया सरकार इसके लिए प्रभावी कार्यवाही करे, ऐसा आपके माध्यम से अनुरोध है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से झारखंड प्रदेश और खासकर गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, अभी 1400 मिलीमीटर बारिश हुई है जिसका 12 प्रतिशत अगर इस्तेमाल होता है तो राज्य में शेष वर्षा का संचय करने का उपाय नहीं है जिसके कारण किसानों की

स्थिति काफी दयनीय है। आज झारखंड प्रदेश में 50 प्रतिशत ही बारिश हुई है और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि खासकर गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पीरटाण, डुमरी, नावाडाट टुंडी, तोपचांची, कसमार, पेटरवार, गोमिया इत्यादि ये कृषिबहुल क्षेत्र हैं। यहां पर डीप बोरिंग करवाई जाए जिससे सिंचाई की सुविधा बहाल करवाई जा सके। झारखंड सरकार द्वारा किसानों के लिए आज की तारीख में कुछ नहीं किया जा रहा है और हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलम्ब वहां पर एक एक पंचायत में कम से कम पांच पांच डीप बोरिंग की जाए और जो हमारे प्रधान मंत्री जी की योजना है कि भारत सरकार के द्वारा प्रधान मंत्री सिंचाई योजना लागू होगी, उसमें इसको जोड़ने की कृपा की जाए। आपने जो समय दिया।

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय सभापति जी, मैं एक ऐसे मुद्दे भारत रत्न पर बोलना चाहता हूं जो आजकल सुर्खियों में है। हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, उनका राजनीतिकरण हो रहा है। बहुत राजनीतिज्ञ लोग या तो उसके लिए रिकमेंड करते हैं या उनके नाम भी आ रहे हैं। असल में इससे ये अवार्ड्स विवादों में घिर जाते हैं। भारत रत्न अवार्ड की जो बात चल रही है, उसकी गरिमा भी इससे कम हो जाती है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे रत्न हैं जो असल में भारत के असली रत्न हैं जिन्होंने हमें भारत लेकर दिया। जिनमें शहीद भगत सिंह जी हैं। शहीद करतार सिंह सरापा और शहीद ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिसमिल जैसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। भगत पूर्ण सिंह हैं जिन्होंने मानवता के लिए पिंगवाड़ा नाम की संस्था बनाकर बहुत सेवा की। अगर इनको अवार्ड नहीं भी मिलेगा तो इनकी शहीदी कम नहीं होने वाली लेकिन अवार्ड ऐसे व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनको अवार्ड देकर अवार्ड की गरिमा और ऊंची हो। भगत सिंह जैसे जो शहीद हमारे दिलों में बसते हैं। इनको अगर अवार्ड मिलते हैं तो इससे भारत रत्न की गरिमा ऊंची होगी। भारत रत्न के लिए पात्र चुने जाने का क्या क्राईटीरिया है? कौन चैक करता है कि किसको देना है? मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी स्टैंडिंग कमेटीज बनती हैं, उसके लिए भी एक कमेटी हो जो ब्यूरोक्रेटिक भी न हो और सरकारी भी न हो। अलग अलग वर्गों से लोग लिये जाएं ताकि आजकल सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में इतनी तरक्की हो गयी है कि आप लोगों से पूछ भी सकते हैं कि कौन अवार्ड का हकदार है? मैं चाहता हूं कि भारत रत्न जैसे अवार्ड देश के शहीदों के नाम होने चाहिए और इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती के. मरगथम (कंचीपुरम): सभापति महोदय, आज शून्य काल में बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं एक बार फिर अपने नेता महोदय की आभारी हूँ। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* जिनकी वजह से मैं आज इस महती सभा में हूँ।

मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांचीपुरम के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूँ। कांचीपुरम को 'टेम्पल सिटी' के रूप में जाना जाता है। 192 फीट ऊंचा एकंबरनाधार मंदिर और वरदराजा पेरुमल मंदिर में 100-स्तंभ मंडपम बहुत प्रसिद्ध हैं। कांचीपुरम रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और उन्हें देश में रेशम की साड़ियों की सबसे अच्छी किस्मों में से एक माना जाता है।

कांचीपुरम झीलों की सबसे बड़ी संख्या वाला देश का पहला जिला है। इसमें 200 से अधिक बड़ी झीलें और तालाब हैं जैसे मदुरंथकम झील, सिरुधवूर झील, कोलवा झील,ताननेरी झील, उथिरामेरुर झील, थंडालम झील आदि और खेती के लिए पानी का मुख्य स्रोत बोरवेल से पानी की सिंचाई करना है। भूमिगत जल स्तर को बनाये रखने का मुख्य एवं एकमात्र स्रोत वर्षा जल से रिचार्जिंग ही है। पलार नदी सिंचाई का मुख्य स्रोत है और पूरे कांचीपुरम जिले और कुछ हद तक चेन्नई को पीने के पानी की आपूर्ति करती है।

हमारी नेता, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* कृषि और सार्वजनिक उपयोग के लिए वर्षा के पानी की कटाई में पूरे देश में एक अग्रणी है। *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* देश की पहली मुख्यमंत्री है जिसने एक कानून बनाया कि तमिलनाडु में निर्मित प्रत्येक भवन में वर्षा जल संचयन और भवन में रिचार्जिंग प्रावधान होना चाहिए।

चूंकि कांचीपुरम जिले में बड़ी संख्या में झीलें उपलब्ध हैं, यह एक प्राकृतिक बुनियादी ढांचा है जो बारिश के पानी को संग्रहीत करने के लिए उपलब्ध है और इस तरह इन झीलों के आस-पास के क्षेत्र में प्राकृतिक उप-मृदा पुनर्भरण प्रदान करता है। इसलिए, केंद्र सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है की, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री कांचीपुरम में झीलों के गहरीकरण और गाद निकालने के लिए मेरे कांचीपुरम निर्वाचन क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करायें।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं डिब्रूगढ़ लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। इस क्षेत्र में करीब 63 किलोमीटर नये राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है। यह राजमार्ग तिनसुकिया जिले के पानीतुला से शुरु होकर असम के बॉर्डर और अरुणाचल के सुकानगुड़ी से होते हुए खुनसा जाएगा। अगर इस डिब्रूगढ़ के लाहुवाल से 23 किलोमीटर जोड़ दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बहुत सुविधा होगी। अरुणाचल प्रदेश के लोग डिब्रूगढ़ में सामान खरीदने आते हैं। लोग यहां रेल से और डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं। अगर 23 किलोमीटर सड़क को लाहुवाल से टिंगराईचारली तक जोड़ दिया जाए तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 315ए में 23 किलोमीटर रास्ते को जोड़ा जाए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं अहमदाबाद पश्चिम संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। जहां तक अहमदाबाद का सवाल है, अहमदाबाद की पवित्र नदी साबरमति के तट पर राष्ट्रीय धरोहर और सबसे बड़ी विरासत महात्मा गांधी का साबरमति आश्रम है। साबरमति आश्रम के निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 2010 में डीपीआर प्रस्तुत किया था। साबरमति आश्रम देश की विरासत है। यहां महात्मा गांधी जी ने रहते हुए समग्र देश की आजादी की लड़ाई की संचालन किया था। और देश को आजादी दिलाई थी। यह बहुत ऐतिहासिक जगह है। गुजरात सरकार ने वर्ष 2010 में एक डीपीआर इस आश्रम के विकास, ब्यूटिफिकेशन, गाडरनिंग और लैंड स्केपिंग के लिए भेजी थी। इस आश्रम के ठीक बगल में दांडी ब्रिज है, जहां से महात्मां गांधी जी ने दांडी कूच किया था, उसके रिनोवेशन के लिए इसमें प्रावधान किये गये हैं। आश्रम के ठीक पश्चिमी ओर पर कस्तूरबा झील का निर्माण करना है और एक फ्लाई ओवर बनाना है। इन सभी के लिए 367.07 करोड़ रुपये का डीपीआर गुजरात सरकार ने 2010 में प्रस्तुत किया है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सांस्कृतिक मंत्रालय इस डीपीआर को शीघ्र ही मंजूर करे, ताकि हम महात्मा गांधी जी को एक भव्य श्रद्धांजलि दे सकें और महात्मा गांधी जी की जो एक बड़ी विरासत है, हमारे देश का एक गौरव है, उसके लिए हम कुछ कर सकें।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संविधान निर्माता भारत रत्न डा.भीमराव अम्बेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक मुम्बई में बनाने की मांग अनेक वर्गों की ओर से पिछले कई वर्षों से होती रही है तथा भूतपूर्व केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री जी ने डा.बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक स्थापित करने हेतु मुम्बई के दादर में इन्दु मिल में भूमि आबंटित करने की घोषणा लोक सभा में 5 दिसम्बर, 2012 को की थी। परंतु लगभग दो वर्ष के बाद भी इन्दु मिल की भूमि पर डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक बनाने हेतु इमारत का निर्माण अभी तक आरम्भ नहीं हो सका। मेरी जानकारी के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अभी तक इस परियोजना को क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से यह इश्यु पैंडिंग है।

महोदय, भारतीय संविधान लागू होने के 64 सालों के बाद भी संविधान निर्माता डा. बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक अभी तक मुम्बई में स्थापित नहीं हुआ है। यह कैसी विडम्बना है कि जिस महान आत्मा का दुनिया में सम्मान होता है, उन्हीं के देश में उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को जानकारी देने हेतु कोई माध्यम नहीं है। आज इस सभागृह में सभी सांसद जब स्पीच देते हैं तो वे अपनी-अपनी पार्टी के जो प्रमुख हैं, उनका गौरवपूर्ण उल्लेख करते हैं, लेकिन डा.बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज इस सभागृह में हमें यह मौका मिला है, उनके द्वारा संविधान लिखे जाने के कारण आज हमें यह सम्मान मिल रहा है, लेकिन आज यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 64 सालों के बीतने के बाद भी हम उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना सके।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुम्बई में इन्दु मिल की भूमि पर इस स्मारक को बनाने की योजना को अविलम्ब क्लियरेंस प्रदान करके शीघ्र ही डा.बाबा साहेब अम्बेडकर का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का मार्ग प्रशस्त करें।

माननीय सभापति : श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ डा.किरट पी.सोलंकी को संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शून्यकाल में मुझे मेरा विषय उठाने की अनुमति दी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ध्यान सतना हवाई अड्डे को राष्ट्रीय हवाई परिचालन सेवा में जोड़े जाने के संबंध में आकर्षित कराना चाहता हूं। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के 50 उन हवाई अड्डों को, जिनमें हवाई सेवाएं संचालित हैं, ऐसे हवाई अड्डों को राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के परिचालन नेटवर्क में जोड़े जाने का ऐलान किया है। मैं लोक सभा क्षेत्र सतना, मध्य प्रदेश से आता हूं। वहां से वर्तमान में वेंचुरा एयरक्राफ्ट का परिचालन भोपाल, सिंगरौली, वाराणसी के लिए हवाई सेवा संचालित है। उस हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक अनुबंध के तहत राज्य शासन को संचालन एवं संवर्धन के लिए दिया हुआ है। सतना हवाई अड्डे का द्वितीय विश्व युद्ध के समय निर्माण किया गया था। अतः मेरी उड्डयान मंत्रालय से मांग है कि राष्ट्रीय परिचालन नेटवर्क में सतना हवाई अड्डे को भी शामिल किया जाए तथा एयर इंडिया की हवाई यात्रा प्रारम्भ की जाए। हमारा जिला एक औद्योगिक जिला है, जहां देश का एक-तिहाई सीमेन्ट का उत्पादन होता है और बड़ी संख्या में यहां से दिल्ली, भोपाल, मुम्बई, कोलकाता जाने वाले यात्रियों को हवाई सेवाओं से जोड़े जाने की लम्बे समय से मांग की जा रही है।

महोदय, इसी तरह से एक दूसरा विषय यह है कि मेरे पड़ोस मे खजुराहों हवाई अड्डा है। यहां पिछले तीन-चार साल से एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें न जाने अभी और कितना समय लगेगा। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जानना चाहूंगा कि यह हवाई अड्डा कब तक पूरा हो जायेगा।

सांय 7.00 बजे

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं बिहार से आता हूँ। बिहार के लगभग 29 जिले सूखे की चपेट में हैं। जहां 42 प्रतिशत बारिश कम हुई है, वहां किसानों की हालत काफी दयनीय है। उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में है। मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की ओर भी ले जाना चाहता हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र नालंदा है, जहां बीस प्रखण्ड हैं। जिनमें से 15 प्रखण्ड सुखाड़ की चपेट में हैं और पांच प्रखण्ड दहाड़ की चपेट में हैं। एक तरफ फलगू नदी के पानी ने हिलसा एवं करायपशुराय प्रखण्ड को काफी प्रभावित किया है, दूसरी तरफ पंचाने नदी में काफी पानी आ जाने से गिरियक, रहुई, कतरी सराय, आदि इलाकों में और खास कर रहूई प्रखण्ड में कई ऐसे गांव हैं, जो प्रभावित हुए हैं। बरांदी गांव की तो सड़क टूट गयी है। रहीमपुर, खिरौना, रहुई, लोहरन आदि तमाम गांवों में पानी का स्तर बढ़ गया है। वहां पर सरकार की तरफ से खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को केंद्रीय सहायता के रूप में अतिरिक्त खाद्य सामग्री, रहने के लिए मकान, फसलों की नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा देने की कृपा करें। टूटे हुए सड़क संपर्क तथा पुल-पुलिया का निर्माण कराया जाए। साथ ही साथ पूरे बिहार राज्य को सुखाड़ से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... [20*]

[20*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डॉ. रामशंकर कठेरिया (आगरा) : सभापति महोदय, मैं आगरा लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ। आगरा शहर की आबादी 25 लाख है। वहां के पानी में टी.डी.एस. का स्तर पांच हज़ार से ले कर दस हज़ार तक है। वहां खारा पानी है तथा पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। यमुना नदी आगरा के किनारे बहती है लेकिन पूरे साल में 11 महीने यमुना नदी पूरी तरह सूखी रहती है। पानी की भयंकर समस्या के कारण वहां के लोग वही खारा पानी पीने को मज़बूर हैं। 20 प्रतिशत लोग तो पानी खरीद लेते हैं, लेकिन 80 प्रतिशत लोग खरीद नहीं पाते हें। जो गरीब लोग हैं, वे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यमुना नदी पूरी तरह सूखी रहती है। यमुना के किनारे ताजमहल की नींव में जो लकड़ी है, जिसके कुएं के ऊपर ताज़महल बना है, पानी के अभाव के कारण, कुएं के नीचे जो लकड़ी है, वह भी सूख रही है और इस कारण ताजमहल में दरार आ रही है और उससे ताजमहल को खतरा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यमुना नदी को साबरमती नदी की तर्ज पर विकसित किया जाए। यमुना नदी पर एक बैराज बनाया जाए, जिसके कारण ताजमहल की सुरक्षा भी हो सकेगी और ताजनगरी की जनता को भी पानी मिल सकेगा। इसी के साथ साथ ताजमहल और लालकिला के बीच में यमुना नदी के किनारे 21 लाख वर्गफुट जो जमीन पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसको हरित पट्टिका घोषित किय जाए। उसको विकसित करने के लिए भारत सरकार कदम उठाए जिससे वहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ सकें।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पूणे के करीब पिंपरी चिंचवड मावल में रक्षा विभाग के अंतर्गत रेड जोन एरिया में पक्के घरों में रह रहे लोगों की समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, पिछले अनेक वर्षों से पिंपरी, चिचवड़, मावल में लगभग एक लाख मकान बने हैं, जिसमें करीब चार से पांच लाख लोग रहते हैं। कई बिल्डिंग्स ऐसी बनी हैं, जिसमें राज्य सरकार, पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवड़ न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि अनेक संस्थाओं ने डेवलपमेंट प्लान मंजूर किया है। उसके अंतर्गत अधिकृत परमिशन ले कर मकान लीगली बनाए गए हैं। इसी एरिया में कई हज़ार मकानों

को बिजली, पानी एवं रास्तों की सुविधा दी गई है। सभी मकानों का लीगली प्रॉपर्टी टैक्स आज भी करोंड़ों में वसूल किया जाता है, लेकिन वर्ष 2013 में पूना कलेक्टर ने इस क्षेत्र को रेड जोन के अन्तर्गत घोषित किया है। शुरू में रेड जोन का क्षेत्र छह सौ यार्ड था, बाद में उसे बढ़ाकर दो हजार यार्ड तक किया गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस एरिया में जो रेड जोन बना है, जो मकान इसके अन्तर्गत आते हैं, रक्षा मंत्री जी, रक्षा सचिव इसके ऊपर ध्यान दें और इन मकानों को अधिकृत किया जाये।

[अनुवाद]

[21*]**श्रीमती आर. वनरोजा (तिरुवन्नामलाई):** माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूँ। मेरे तिरुवन्नामलाई निर्वाचन क्षेत्र में ब्रॉडगेज परिवर्तन से पहले चेन्नई और तिरुवन्नामलाई के बीच रेल संपर्क था। ब्रॉडगेज परिवर्तन के बाद सारी रेल सेवाएं बंद कर दी गई थीं। तिरुवन्नामलाई एक जिला मुख्यालय और एक मंदिर कस्बा है। यह एक आध्यात्मिक केंद्र है। तिरुवन्नामलाई के अन्नामलैयार मंदिर की यात्रा करने और पूर्णिमा के दिनों में परिक्रमा के लिए, तमिल नया वर्ष, कार्थीगाई दीपम जैसे नए वर्ष और त्योहार के दिन, चेन्नई और राज्य के अन्य हिस्सों से लाखों तीर्थयात्री तिरुवन्नामलाई आते हैं। इस दौरान भारी वाहनों की आवाजाही होती है और यातायात को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तिरुवन्नामलाई के लिए पर्याप्त रेल सेवाएं होनी चाहिए। पुडुचेरी और हावड़ा के बीच हावड़ा एक्सप्रेस तिरुवन्नामलाई में नहीं रुकती है। यह ट्रेन तिरुवन्नामलाई रेलवे स्टेशन पर कम से कम 5 मिनट के लिए रुकनी चाहिए। इससे तीर्थयात्रियों और यात्रियों को लाभ मिलेगा। टिकट बुकिंग केवल सुबह के समय की जाती है। मैं आग्रह करती हूँ कि इसे शाम के समय भी बढ़ाया जाए। तिरुवन्नामलाई रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल कार्यालय काम करना चाहिए। रेलवे स्टेशन में पेयजल सुविधा, रेस्ट रूम, शौचालय की सुविधा आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। चेन्नई-तिरुपथुर रेलगाड़ी सेवा इतने वर्षों से चल रही है। यह ट्रेन सुबह 4.30 बजे तिरुपथुर से रवाना होती है और चेन्नई और दूसरी तरफ पहुंचती है 10 बजे तिरुपथुर पहुँचती है। लेकिन पिछले चार महीनों से यह ट्रेन जोलारपेट पर रुकती है, इसलिए जोलारपेट और तिरुपथुर के बीच रेल संपर्क टूट जाता है। इस क्षेत्र के लोगों को तिरुपथुर की आगे की यात्रा के लिए परिवहन के अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः मैं इस महती सभा के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि तिरुपथुर तक रेल सेवा को फिर से शुरू किया जाए जैसा कि पहले था। मैं तिरुवन्नामलाई से चेंगाम के रास्ते जोलारपेट तक एक नई रेलवे लाइन शुरू करने का भी आग्रह करती हूँ।

[21*] मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[हिन्दी]

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत) : महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सोनीपत पार्लियामेंट क्षेत्र से आता हूँ। सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक रीजनल सेन्टर है, जहाँ पूरे हरियाणा के और निकटवर्ती दूसरे राज्यों के भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 500-600 खिलाड़ी नियमित रूप से खेलों के प्रशिक्षण हेतु आते हैं। हाल ही में सरकार ने यहाँ से कतिपय खेलों की प्रशिक्षण सुविधाओं को बदलने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से स्थानीय खिलाड़ियों में काफी रोष है। यहाँ से बॉक्सिंग, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों के प्रशिक्षण सुविधाओं को न बदला जाये, इससे खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि सोनीपत के रीजनल सेन्टर में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण की सुविधाओं को जारी रखा जाये तथा यहाँ से किसी भी खेल प्रशिक्षण सुविधा को न बदला जाये। इस सेन्टर को विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जाये ताकि यहाँ से ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पदक जीतें। चाहे राष्ट्रमंडल खेल हों, चाहे एशियन गेम्स हों, हमारे रीजनल सेन्टर से सबसे ज्यादा खिलाड़ी पदक जीतकर देश के लिए लाते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.के. बीजू (अलथूर): श्री सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान तत्काल निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

राज्य भर में केरल में मूसलाधार बारिश को लेकर दक्षिण-पश्चिम मानसून तेज हो गया है और इससे विशेष रूप से पिछड़े कृषि आश्रित जिलों जैसे पालक्काड़ में तबाही मच गई है।

जिले में हुई गर्मियों की बारिश ने कहर बरपाया है, जिसमें अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है।

महोदय, 2,153 हेक्टेयर भूमि पर फसलें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनमें से धान के खेत 1,392 हेक्टेयर का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गए। फसल बर्बाद होने का अनुमान 9.72 करोड़ रूपए है। जिले में 340 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई है। किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसका पचास प्रतिशत नुकसान केवल धान की क्षति के कारण हुआ है। बारिश से केला और सब्जियों जैसी फसलों को भी नुकसान हुआ है। पंद्रह घर नष्ट हो गए और 412 घर क्षतिग्रस्त हो गए। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से 5.3 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

इस संबंध में, केरल सरकार ने पहले ही प्राथमिक विवरण का अनुमान लगा लिया है और इसे भारत सरकार को सौंपकर 31 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। अकेले कृषि फसलों के नुकसान से, अनुमान लगभग 85 करोड़ रूपए का है इस क्षति सूची में सड़कें, घर और अन्य क्षतिग्रस्त सामान शामिल हैं।

केरल के मामले में, केंद्रीय टीम समय पर नहीं पहुंचती है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि हमारे राज्य में नुकसान की जल्द से जल्द जांच के लिए एक विशेष टीम तुरंत भेजी जाए और केरल राज्य के किसानों और गरीब लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति महोदय, आज पश्चिम अफ्रीका में, नाइजीरिया में, गिनी में और काफी जगह इबोला के पेशेन्ट देखने को मिल रहे हैं। वहाँ वायरल फैला हुआ है जिसके कारण वहाँ के लोग काफी भयभीत भी हैं और कई लोगों की डैथ भी हुई है। हम लोगों के लिए इसके साथ एक बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा उठा जो अखबारों में भी आया कि लागोस में यह बीमारी फैली हुई है। वहाँ आबूज़ा में हमारे चार इंडियन डॉक्टर हैं जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइमस में काम करते हैं। वे डाक्टर इंडिया वापस आना चाहते हैं, उनको इस बीमारी से डर लग रहा है। उनका पासपोर्ट हॉस्पिटल द्वारा ज़ब्त किया गया है और ज़बर्दस्ती उनको उनकी विल के खिलाफ पेशेन्ट के इलाज के लिए रखना चाहते हैं। जहाँ यह बीमारी है, उसका डिस्टैन्स वहाँ से 800 किलोमीटर है। मैं आपके माध्यम से इस मामले में सरकार का हस्तक्षेप चाहती हूँ। किसी की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डाक्टर खुद भयभीत है और वापस आना चाहता है तो किसी की विल के खिलाफ

उसको वहाँ ज़बर्दस्ती नहीं रखना चाहिए। हाई कमीशन से वह टच में हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके उनका पासपोर्ट उनको वापस दिलवाकर उन्हें इंडिया वापस लाया जाए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत ही लोक महत्व के सवाल को उठाने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, यह बहुत सैंसिटिव मामला है। पूरे बिहार में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत लगभग 10 हज़ार से अधिक विद्युत ट्रांसफॉर्मर खराब पड़े हैं। इसमें लगभग 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार देती है और 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को देनी पड़ती है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र में कमोबेश यही हालत है। सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर खराब पड़े हुए हैं। जब मैं क्षेत्र का भ्रमण करने जाता हूँ तो स्थानीय लोगों का कोपभाजन हमें बनना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मर खराब पड़े हैं लेकिन बदलने के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है - न राज्य सरकार के पास है, न केन्द्र सरकार के पास है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आज पूरे बिहार में ट्रांसफॉर्मर खराब होने की वजह से गाँवों में अंधेरा हो गया है। उसमें पटना और पाटलिपुत्र के अलावा बक्सर तथा और इलाका भी आता है। लोगों में एकदम हाहाकार मचा हुआ है।

माननीय सभापति : आप डिमांड बताइए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं डिमांड ही तो बता रहा हूँ, पहले मेरी वेदना सुन ली जाए। मैं छः घंटे से इसी बात को कहने के लिए बैठा हूँ, अब तो सदन भी करीब-करीब खत्म होने वाला है।

महोदय, उक्त योजना में 16 केवीए और 25 केवीए के ट्रांसफॉर्मर लगाए गए थे लेकिन लोड बढ़ने के कारण ट्रांसफॉर्मर या तो जले हुए हैं या खराब पड़े हुए हैं। जिन गाँवों में ट्रांसफॉर्मर लगे हैं, वहाँ गरीब लोग बसते हैं। गाँव के गरीब लोग जो कभी अंधेरे से उजाले में आए थे, उनको बड़ा सुनहरा अवसर मिला था। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में सबसे बड़ी खामी यह है कि इस योजना में सभी जगह कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। जब गांवों में इस योजना के माध्यम से विद्युतीकरण हो रहा है तो भविष्य की ज़रूरत को देखते हुए 63 केवीए और 100 केवीए के ट्रांसफार्मर लगाने चाहिए, ताकि वह लोड सह सके। आप भी इससे सहमत होंगे। यह

पूरे देश की हालत है, केवल बिहार की बात नहीं है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां भी ऐसा ही होगा, चूंकि सभी जगह एक ही पॉलिसी है।...(व्यवधान) इस योजना के क्रियान्वयन में देश का बहुमूल्य संसाधन खर्च हुआ है, लेकिन गांव के लोगों को इससे लाभ नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक लाइन में डिमाण्ड बताइए और अपनी बात को खत्म कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। अब स्थिति यह है कि लोग यह मानने लगे हैं कि इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है और यह योजना सफेद हाथी साबित हो रही है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप समाप्त नहीं कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैंने अभी अपनी डिमाण्ड नहीं की है, कृपया मुझे डिमाण्ड रखने दीजिए।

माननीय सभापति : यह डिबेट नहीं है, यह ज़ीरो ऑवर है।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं ज़ीरो ऑवर में ही आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां 16 केवीए और 25 केवीए के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वहां 65 केवीए और 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि गांव के लोगों को विद्युत मिल सके। गांव के लोगों ने सपना देखा था कि वे भी कभी अंधेरे से उजाले में आएंगे।...(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, मैं श्री रामकृपाल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

माननीय सभापति : निशंक जी, आप बोलिए।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र हरिद्वार के अंतर्गत ऋषिकेश और वीरभद्र क्षेत्र के अलावा हैदराबाद और गुड़गांव में भी सन् 1962 में आईडीपीएल को भारत सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर दवाइयां देने के लिए स्थापित किया था।

श्रीमन, हजारों-करोड़ रुपये की सम्पत्ति से तैयार देश के लिए जीवनरक्षक दवाइयों की निर्माता ये ऐसी यूनिट्स हैं, जिन्होंने गुजरात के सूरत में प्लेग फैलने पर उसकी रोकथाम के लिए और देश में आपातकाल के समय में दवाइयां उपलब्ध करवाने का काम किया था। लेकिन आज ये दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। हजारों लोगों की रोज़ी-रोटी छीनी जा रही है और वे बेघर होने को मजबूर हैं। इसके कारण से देश के लिए संकट खड़ा हो रहा है, क्योंकि जीवनदायी दवाइयों को चीन से खरीदा जा रहा है। मैं पुरजोर मांग करना चाहता हूं कि ऐसी यूनिट्स जो देश की प्रगति में, देश की रक्षा में और देश के स्वास्थ्य मिशन में मील का पत्थर साबित हो सकती थीं और मील का पत्थर साबित हुई हैं, ऐसी यूनिट्स को, जो कि दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, अत्याधुनिक तकनीक के साथ, नये निर्माण के साथ पुनर्जीवित किया जाए ताकि देश की प्रगति में यह आगे बढ़ सकें और जीवन रक्षा कर सकें। आपात स्थिति में यदि चीन ने जीवनरक्षक औषधियों को देने से इंकार कर दिया तो देश संकट में आ जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इन यूनिट्स को नई तकनीक के साथ शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, मैं इबोला वायरस से संबंधित एक मामला उठा रहा हूं जिसका उल्लेख अभी श्रीमती रंजीत रंजन ने किया था।

भारत इबोला वायरस के लिए सतर्क है क्योंकि एक जोखिम है कि घातक वायरस को देश में आयात किया जा सकता है यदि चार प्रभावित पश्चिम अफ्रीकी देशों में काम करने वाले भारतीयों की बड़ी आबादी लौटती है। भारत में चार इबोला प्रभावित पश्चिम अफ्रीकी देशों में लगभग 45,000 लोग रहते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि उनमें से कुछ के अपने गृह देश लौटने की संभावना है, अगर प्रकोप बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने शुक्रवार को इस बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था और अधिकारियों ने आशंका जताई है कि यह वायरस दुनिया भर में फैल सकता है।

इस संबंध में, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह सरकार द्वारा इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित व्यक्तियों की सटीक जांच के लिए सभी राज्य सरकारों और विमान पत्तनों के अधिकारियों को सचेत करे।

महोदय, इन प्रभावित देशों से आने-जाने वाले यात्रियों पर सरकार द्वारा क्या यात्रा नियंत्रण उपाय किए जाते हैं? पूरा देश इस आशंका में है कि क्या यह महामारी भविष्य में हमें प्रभावित करेगी या नहीं। इसलिए, भारत सरकार को लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए आवश्यक और त्वरित कदम उठाने चाहिए। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, बच्चे किसी भी देश की 100% जनसंख्या नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे किसी देश का 100% भविष्य जरूर होते हैं। भारत में साक्षरता दर 66% है। वर्ष 2007 में यू.एन.ओ. की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व साक्षरता रैंकिंग में 149वें स्थान पर था। वास्तव में, शिक्षा, जो एक सांविधानिक अधिकार था, अब वह मौलिक अधिकार बन चुका है। अब यह संविधान के अनुच्छेद 21-ए में है, जो एक अप्रैल, 2002 को पूरे भारत में लागू हो चुकी है। यह मज़बूत तरीके से यह आश्वासन देता है कि छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी तथा यह उनके माता-पिता का मौलिक कर्तव्य भी है। लेकिन शिक्षा के अधिकार की ज़मीनी सच्चाई से आप सभी वाक़िफ हैं। अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो यहां एक-एक सेक्शन में 90-90 बच्चे बैठ रहे हैं। बदरपुर, मोलरबंद, तुगलक़ाबाद एक्सटेंशन, जे ब्लॉक संगम विहार आदि ऐसे अनेक एरियाज हैं जहां के स्कूलों में विद्यार्थी शिक्षक के अनुपात में बहुत अधिक हैं। सरकारों ने इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। पिछले 15 वर्षों में दिल्ली में 40 लाख लोग पड़ोसी राज्यों से रोज़गार व शिक्षा के लिए आए हैं। इनमें अधिकतर लोग अपने बच्चों की शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए

यहां आए हैं। सरकार ने इसके संबंध में नीति नहीं बनाई, उनके कारण उन से फायदा उठाकर कुछ नए राजनीतिक दल भी पैदा हो गए थे, जिन्होंने 500 स्कूल बनाने का आश्वासन दिया और 49 दिनों में भाग खड़े हुए।

सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय एजुकेशन मिनिस्टर से निवेदन है कि जो फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने यहां बीस स्कूल खोलने का निर्णय लिया, लेकिन इसी वर्ष के अंदर उन बच्चों के दाखिले होने चाहिए। बच्चों के मां-बाप बेचारे हमारे पास आते हैं कि उनके बच्चों के दाखिले स्कूलों में नहीं होते हैं। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार से, वर्षों से देश में विश्वविद्यालयों की संख्या में 11.6 गुणा, महाविद्यालयों में 12.5 गुणा और विद्यार्थियों की संख्या 60 गुणा बढ़ गयी है, जिससे यूनिवर्सिटी में बच्चों के दाखिले नहीं होते हैं। लोग सैंकड़ों किलो मीटर दूर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं तथा दिल्ली में पढ़े हुए बारहवीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा नहीं मिलती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज देश के बाहर राज्यों में भी खोले जाएं जिनसे उन बच्चों को एजुकेशन मिल सके।

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>सांय 07.22 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 14 अगस्त, 2014 / 23 श्रावण, 1936 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2014 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित